खण्ड 5
समाज कल्याण प्रशासन

खण्ड 5 समाज कल्याण प्रशासन

समाज कल्याण की संकल्पना और इसके परिचालन का क्षेत्र एक देश से दूसरे देश से अलग–अलग तरह के होते हैं, यह उनके ऐतिहासिक विकास की स्थितियों पर निर्भर करता है, विकास और कल्याण के लक्ष्यों को दी गई उत्कर्शता की स्थिति व स्तर तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य की संरचना के विकास पर आधारित होता है। समाज कल्याण सैद्धान्तिक और परिचालन के शब्दों में कह सकते हैं कि इसकी भारत में एक लम्बी और व्यापक परम्परा रही है। इस खण्ड में, समाज कल्याण के लिए प्रमुख नीतियों को आधार देने के साथ समाज कल्याण की संकल्पना और दृष्टिकोण सम्मिलित किये गये है और इनको व्यापकता से स्पष्ट करते हुए विश्लेषण किया गया है।

इकाई 9 समाज कल्याणः संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियाँ

भारत अपने लोगों के कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अपने नागरिकों को समग्र व व्यापक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है ताकि वे अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस इकाई में हम समाज कल्याण के अर्थ, संकल्पना तथा दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालेंगे। इसमें समाज कल्याण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कारणों तथा उपायों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करेंगे। इस इकाई में परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण, अन्तिम (अवषिश्ट) परिप्रेक्ष्य, मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण और संस्थागत दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। इस इकाई में भारत में समाज के कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में सांविधानिक प्रावधानों को समुचित रूप से सम्मिलित किया जाता है, इसके अतिरिक्त, भारत में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित प्रमुख नीतियाँ एवं विधि–विधानों को समाहित करके उनकी समीक्षा की गई है।

इकाई 10 शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार

उच्च कोटि शिक्षा नए ज्ञान, नवीनीकरण और उद्यमता की आधारषिला है जोकि देश के विकास और समषद्धि व सम्पन्नता की ओर ले जाती है। शिक्षा हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने के संतुलन में महत्वपूर्ण तथा सुधारात्मक भूमिका निभाती है। यह इकाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व और अर्थ को प्रकट करते हुए उस पर प्रकाश डालती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकास का वर्णन प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर जोर देते हुए उन पर प्रकाश डालती है तथा शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.), 2009 के महत्व और विशेषताओं का मूल्यांकन भी प्रस्तुत करती है।

इकाई 11 स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसकी प्राकृतिक धरोहर है, तथा लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर कोई अन्य वस्तु नहीं है। इस इकाई में हम स्वास्थ्य नीति के महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य नीति, 1983 के विकास के इतिहास की भी खोज खबर की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के योगदान को इस इकाई में सम्मिलित करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्यों, उद्देश्यों, सिद्धान्तों और मूल्यांकन के संदर्भ की समीक्षा भी की जाएगी। इस इकाई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 2019 के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के सुधार के लिए सिद्धान्तों और प्राथमिक क्षेत्रों में कार्य और उसके महत्व पर चर्चा की गई है।

इकाई 12 खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा का अधिकार

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, देश में कृषि सम्बन्ध और खाद्य नीतियों का प्रमुख उद्देश्य, भूखमरी, खाद्य असुरक्षा तथा गरीबी को कम करने का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के रूप में खाद्यान्नों के समुचित भण्डारण की व्यवस्था करने के भरसक उपाय किए गए हैं। इस इकाई में भारत में खाद्यान्नों की माँग–पूर्ति के साथ उसकी माँग को पूरा करने के लिए खाद्य नीति में इन उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, इस इकाई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है।

इकाई 13 रोज़गार नीति (मनरेगा) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम

इस इकाई में "रोज़गार नीति" शब्द को स्पष्ट किया गया है और भारत में रोज़गार नीति और कार्यक्रमों पर किए गए विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। इसमें श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, प्रधानमन्त्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, बाल श्रम प्रतिषेध, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना, प्रधानमन्त्री युवा योजना, ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) के महत्व और उसकी प्रमुख विशेषताओं को व्यापकता और विस्तार के साथ प्रकाश डालते हुए समीक्षा की गई है।

इकाई 14 पर्यावरण नीति

भारत विश्व के कुछ एक देशों में से एक है जिसने अपने देश के संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधानों का निर्माण किया है। इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस इकाई में पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त पर्यावरणीय नीति के महत्व और उसके व्यापक क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें पर्यावरण नीति के द्वारा उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा की गई है और पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणीय संरक्षण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की भूमिका और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उसकी समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 9 समाज कल्याणः संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियाँ

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 समाज कल्याण की संकल्पना

9.3 समाज कल्याण दृष्टिकोण

- 9.3.1 परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण
- 9.3.2 अन्तिम परिप्रेक्ष्य
- 9.3.3 मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण
- 9.3.4 संस्थागत दृष्टिकोण

9.4 समाज कल्याण की नीतियाँ

- 9.4.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- 9.4.2 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- 9.4.3 अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 9.4.4 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
- 9.4.5 राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति
- 9.4.6 स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति
- 9.4.7 अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी उपाय
- 9.4.8 महिलाएँ और बाल विकास
- 9.4.9 राष्ट्रीय महिला नीति
- 9.4.10 बाल कल्याण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

9.5 निष्कर्ष

9.6 शब्दावली

9.7 संदर्भ लेख

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- समाज कल्याण की संकल्पना और महत्व;
- भारत में समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधानों का वर्णन; और
- भारत में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित प्रमुख नीतियाँ एवं विधि–विधान का मूल्यांकन।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

9.1 प्रस्तावना

भारत, अन्य अनेक देशों की तरह से ही अपने लोगों के कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का संविधान कृ अपनी प्रस्तावना के माध्यम से मूल अधिकारों के प्रावधान तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों और अनेक केन्द्रीय एवं राज्य विधान–विधियों तथा राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत के लोगों को व्यापक रूप से सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ जोकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें या उनकी पूर्तियाँ की जा सकें।"

यद्यपि कानून व्यवस्था और कर संग्रहण करना राज्य का प्राथमिक कार्य है किन्तु बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी में सभी देशों के समाज कल्याण कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी विशेषकर लोकतान्त्रिक देशों में प्रमुख रूप से उभर कर आई है। वास्तव में आधुनिक राज्य यह मानते हैं कि उनको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के एक एजेंट की भूमिका को निभाना है। इस तरह से कल्याण के क्षेत्र में राज्य को प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है जिसकी मान्यता व स्वीकृति प्रथम पंचवर्शीय योजना में की गई है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि "जैसा कि सामाजिक संरचना बहुत ही जटिल बनी हुई है, इसलिए राज्य की यह जिम्मेदारी बन गई है कि वह लोगों के कल्याण के लिए उनको सेवाएँ उपलब्ध कराने की भूमिका को निभाने के लिए उसमें वृद्धि करने की घोषणा करें उसके लिए समुचित व व्यापक कदम उठाएँ। वास्तव में, इन समाज कल्याण के कार्यों को राज्य के बढ़ते हुए स्थायी संसाधनों के द्वारा सोख लिया गया हैं। इसलिए यह सरकार के महत्वपूर्ण कार्य व जिम्मेदारी बनती है कि वह व्यक्तिगत और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भरसक प्रयास करे जिनकी अत्यंत आवश्यकता है।

9.2 समाज कल्याण की संकल्पना

सैद्धान्तिक और परिचालन के रूप में कुछ शब्दों में समाज कल्याण की संकल्पना भारत में प्राचीन परम्परा से चली आ रही है। भारत के सभी प्राचीन धार्मिक हस्तलिखित साहित्य कृ वेद, सूत्र, महाकाव्यों, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों कृकृ जिसमें दोहा, छन्द, ष्लोक तथा व्यापक रूप से साहित्य मौजूद हैं जो कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी प्रावधानों को लागू करने पर बल देते हैं तथा धनी–मानी लोगों से कहा गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से तथा कमजोर परिवारों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी सहायता करें। इन सबमें सम्पूर्ण समाज को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिए विशेष जोर दिया गया है।

समाज कल्याण की संकल्पना और इसके परिचालन की स्थितियाँ विभिन्न देशों में अलग–अलग तरह से पूरी की जाती है, यह सब उनके ऐतिहासिक विकास के स्तरों तथा कल्याण के लक्ष्यों को प्रमुखता दिए जाने पर निर्भर करता है और सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य की संरचना के विकास पर आधारित होता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका समाज कल्याण के कार्यों को कानून की व्यवस्था तथा संस्थानों के माध्यम से इसकी परिभाषा प्रस्तुत करता है, जिसमें सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक और समाज कल्याण के कार्यों को सुरक्षित और उन्नत करने का प्रयास करता है जो प्रायः विभिन्न सामाजिक सीमा के स्वरूप में आधारित होते हैं जिनमें बेरोजगारी, दुर्घटना, रोग, तथा वृद्धावस्था में सहायता करने के प्रावधानों को निर्मित करना और उनको लागू करना होता है। फ्रीडलैंडर के अनुसार संगठित सेवाओं और संस्थानों में शामिल और स्थित होता है जिसकी अभिकल्पना या निर्माण व्यक्तिगत तथा लोगों के समूहों को जीवन तथा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत के संतोशजनक स्तरों को बनाने के लिए उनकी सहायता करना उनको सहयोग प्रदान करना

है तथा व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करना जिसमें उन्हें सम्पूर्ण क्षमता के साथ विकास करने के अवसर दिए जाएँ और इसके साथ ही उनके परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं के सहित सहृदयता में उनको सम्पन्न होने, उनकी संवृद्धि को उन्नत करने की अनुमति हो और सरकार का भरपूर सहयोग हो (फ्रीडलैंडर, Friedlandar, 1967)।

वेन वेसी (Wayne Vasey) टिप्पणी करते हैं कि समाज कल्याण में दो प्रमुख विशेषताएँ सम्मिलित हैं : (क) परिवार को सहयोग या शक्तिशाली बनाने के लिए कल्याण के उपायों व साधनों का प्रयोग करना एक मूल सामाजिक संस्थान के माध्यम से होता है जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तथा (ख) व्यक्ति की क्षमता सषक्त बनाने की इच्छा व सहायता सहयोग जिसके द्वारा उसकी जीवन स्थितियों को बेहतर और सम्पन्न व्यक्ति की क्षमता सषक्त बनाने की इच्छा व सहायता सहयोग जिसके द्वारा उसके जीवन की स्थितियों को बेहतर और सम्पन्न बनाया जा सके (वेसी, Vasey, 1958)।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के अनुसार जोकि "राष्ट्रीय विकास योजना के संदर्भ में समाज कल्याण परियोजना" पर आधारित है। समाज कल्याण "संगठित क्रियाकलापों का एक निकाय है जिसका मूल अर्थ व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को उनकी अपनी स्थितियों, बदलती स्थितियों, समायोजन करना तथा विकास के कार्यों में भागीदारी के माध्यम से उन्नतशील बनाना" समाज कल्याण की गतिविधियों के कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे स्थानीय लोग या नागरिक अपनी भागीदारी के द्वारा स्वःसहायता तथा सहायता से एक अच्छे सामाजिक वातावरण की रचना कर सकते हैं जोकि विकास की एक अच्छी स्थिति है। कुछ अन्य गतिविधियाँ या सक्रियताएँ हैं जिनका उद्देश्य सीधे ही संवेदनशील समूहों की सहायता करना है अथवा उन लोगों का जो सामाजिक स्तरों पर बहुत ही नीचे के स्थान पर स्थित हैं, उनकी सहायता करना है (गोरे और खाण्डेकर, Gore and Khandekar, 1975)।

हीवुड के अनुसार समाज कल्याण स्वास्थ्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ व्यक्ति को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाते हुए उसको उन्नत व समृद्ध बनाता है। हीवुड समाज कल्याण व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित कारणों को प्रस्तुत करते हैंः

1) यह सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय एकता का निर्माण करता है जिसमें सभी नागरिकों को समाज के अन्दर पण उपलब्ध कराता है तथा कम से कम कुछ मूल सामाजिक सहयोग सहायता की गारन्टी प्रदान करता है।

2) यह इस समझ या चेतना में स्वतंत्रता को व्यापक बनाता है जो लोगों को गरीबी से सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसी स्थितियाँ निर्मित करता है जिनमें वे लोग विकास कर सकते हैं तथा उन्नति की संभावनाओं को महसूस कर सकते हैं।

3) यह समाज वंचना के प्रभावों का सामना करने के द्वारा अपनी समषद्धि या वैभव को सुनिश्चित करता है और उन लोगों की सहायता करता है जो अपने आपकी सहायता करने में असमर्थ या सहायता नहीं कर सकते हैं।

4) यह पुनःर्वितरणात्मक रचनातंत्र के रूप में सेवा करता है जो कि महान समानता को उन्नत करता है और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ को सषक्त बनाता है (हीवुड, Heywood, 2005)।

9.3 समाज कल्याण दृष्टिकोण

यह दृष्टिकोण एक संरचित संस्थागत अनुक्रिया को इंगित करता है या नीति के लिए ढाँचा प्रस्तुत करता है। प्रत्येक विकसित और विकासशील देश के अपने दृष्टिकोण और समाज कल्याण नीतियों और कार्यक्रमों के दृष्टिकोण और पद्धतियाँ होती हैं। उनके कल्याण करने की पद्धति यह प्रतिबिम्बित करती है कि किस प्रकार से अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सके और उनको बेहतर तरीके से संवृद्ध किया जा सके।

हम समाज कल्याण के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: (1) परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण (Family-Centric Approach) (2) अन्तिम परिप्रेक्ष्य (Residual Perspective) (3) मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण (Mixed-Economy Approach) और (4) संस्थागत दृष्टिकोण (Institutional Approach)

9.3.1 परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण

यह षायद सबसे पुराना दृष्टिकोण है जिसमें समाज कल्याण प्रावधान में परिवार सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाता है। कठोर पारिवारिक बन्धन सामाजिक पूँजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए बच्चों, बूढ़ों तथा विकलांग परिवार के सदस्यों की देखभाल करने में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारत में या फिर इंग्लैण्ड जैसे उन्नत देश में भी परिवार की संरचना को अभी तक बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है तथा बहुत सारी सामाजिक आवश्यकताएँ जहाँ अन्य देशों में सरकार के कार्य करने द्वारा पूरी की जाती है वहीं पर यह सब आवश्यकताएँ परिवार द्वारा ही पूरी की जाती हैं। एशिया के अनेक देशों में संयुक्त परिवार आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्य सहायक रहा है। विशेषकर बेरोज़गार बच्चों और वृद्ध परिवार के सदस्यों के लिए लगातार सहायक के रूप में बने हुए हैं।

परिवार इसलिए नीति विष्लेशक द्वारा अनुभव किया जाता है। यह हस्तक्षेप करने या बीच बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु सिद्ध हुआ है।

यह दृष्टिकोण परम्परागत सोच व ज्ञान और ठोस सामाजिक विज्ञान के सिद्धान्त पर आध ाारित है। सषक्त पारिवारिक बंधन सतत् सामाजिक सहायता के स्रोत के रूप में निश्चित किया गया है। लोक नीति विष्लेशक यह अनुभव करते हैं कि राज्य कल्याणकारी आवश्यकताओं और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए दोनों ही, परिवार का हस्तक्षेप करने का महत्वपूर्ण बिन्दु है।

परन्तु परिवार दृष्टिकोण की कुछ सीमाएँ हैं। इनमें से एक यह कि विस्तारित परिवार व्यवस्था जोकि शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ पर यह नश्ट होने के कगार पर है। दूसरा परिवार में जेन्डर की भूमिका को नहीं देखा जाता है। तीसरा वित्तीय तथ्य भौगोलिक मुद्दे परिवार के दृष्टिकोण पर सार्वभौमिक विश्वास की बाधा डालते हैं।

9.3.2 अन्तिम परिप्रेक्ष्य

अन्तिम दृष्टिकोण को अंतिम आश्रय के रूप में सरकार द्वारा कल्याणकारी प्रावधानों को लागू करना माना गया है। इस विचार का यह आधार है कि लोग अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति अपनी सहायता के लिए परिवार, बाजार (विशिष्ट बीमा) या फिर ग़ैर–सरकारी संगठनों से माँग कर सकता है, उनसे प्राप्त कर सकता है। सरकार सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसी समय कदम उठाएगी जब गरीब व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में या उनका समाधान निकालने में असमर्थ रहेगा। इस संदर्भ में केवल गरीबों को अंतिम उपाय के लिए लोक प्रावधानों को बनाएगा जो केवल बीमारों, बेरोजगारों, लोगों को व्यवस्थित करने और अन्य गरीब लोगों के हितों के लिए होंगे।

अन्तिम दृष्टिकोण केवल कुछ ही देशों में लागू किया गया है। इसकी अनेक सीमाएँ हैं जिसके कारण बहुत कठिनाई से इसका लाभ मिलता है, इनमें से सबसे प्रमुख हैं "साधनों" या पात्रता की जाँच में सफल होना। सबसे पहले यदि आवासीय शर्त की आवश्यकता है तो इसको पूरा करना कठिन हो जाता है क्योंकि संघीय व्यवस्था में योजनाओं का लाभ देने के लिए लाभार्थियों को उनके विशिष्ट "राज्य" या "प्रादेशिक" आवासीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता अनिवार्य होती है। अन्तिम दृष्टिकोण में कुछ मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है जैसे कि आवासीय कमियाँ। इस दृष्टिकोण में लाभ बहुत ही कम गरीब लोगों को मिलता है जो थोड़ी बहुत पात्रता भी रखते हैं उनको लाभ देने में हतोत्साहित किया जाता है।

9.3.3 मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण

इंग्लैण्ड और जर्मनी सहित कुछ देशों में समाज कार्य के सीमित क्षेत्रों में मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण को लागू किया हुआ है। उदाहरण के लिए, जर्मन समाज बीमा व्यवस्था के माध्यम से सरकार, समाज, प्रशासकों, बैंकों, फर्मों और व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच सहयोग–सहायता के लिए एक बहुत ही सफल मंच का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार से बीमा की व्यवस्था के लाभों को व्यक्तिगत आय व अर्जन से जोड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वंचितों को ढेर सारी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति की जाती है।

इस मॉडल में लोक या सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र मिल कर बहुत ही सक्षम तरीके से कल्याणकारी नीतियों में नौकरशाही केन्द्रित परिचालन की तुलना में बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन कार्य करते हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण में अत्यधिक प्रमुख सीमाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप बहुत सारे देशों में लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था को बेहतर संभावित तरीकों से इसका संचालन करने में सफल नहीं हुए हैं।

9.3.4 संस्थागत दृष्टिकोण

यह मानकीय दृष्टिकोण है, समाज कार्य इस विश्वास पर आधारित है कि सामूहिक अनुक्रिया व सहयोग तथा संसाधनों को एकत्रित किए बिना इन कार्यों की उन्नति नहीं की जा सकती है। कल्याणकारी कार्य, इस दृष्टिकोण के अनुसार समस्त जनसंख्या की लोक सेवाएँ उपलब्ध कराकर पूरी की जा सकती है जैसे कि सार्वजनिक मार्गों का निर्माण तथा विद्यालयों की स्थापना करना। इस दृष्टिकोण को संपूर्ण संतुश्टिकरण मॉडल के रूप में भी वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए एक विशिष्ट सामाजिक समूह के लिए निश्चित किया गया है जिसमें इस कार्यक्रम का लाभ केवल कमजोर वर्गों को ही मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था सम्पूर्ण विश्व में इस मॉडल के अंतर्गत की गई है।

संस्थागत दृष्टिकोण देखनें में सुरूचिपूर्ण लगता है किन्तु अनेक लोग इस दृष्टिकोण के लिए अपने सहयोग में विस्तार नहीं करते हैं और न ही वे अपने संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं जैसा कि अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं। व्यवहार में संस्थागत दृष्टिकोण जो समाज कल्याण से जुड़ा है, इसमें सम्पूर्ण लोक सहयोग की कमी है जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) समाज कल्याण को संकल्पना के परिभाषित कीजिये और इसके महत्व की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) समाज कल्याण के विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा कीजिए।

.....

.....

.....

9.4 समाज कल्याण की नीतियाँ

भारतीय संदर्भ में समाज कल्याण की नीतियाँ केन्द्रीय और राज्य की नीतियों को मिलाकर की जाती है जो विधायी अधिनियमों पर आधारित होती हैं। यह लोगों की सहायता (विशेषकर जो लोग समुदाय के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित होते हैं) करने के लिए पारित की गई हैं जो लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की अपेक्षा करते हैं, उनकी पूर्ति की जाती हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि "समाज कल्याण" के शब्द सीमित या प्रतिबन्धित अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। समाज कल्याण की नीतियों को सामाजिक रूप से पद्दलित समूहों के लिए ही लागू किया जाता हैं। जैसे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ग़ैर–अधिसूचित समुदाय, अनाथ, विधवा, अविवाहित माँ, नैतिक भय से पीड़ित, वृद्ध और असफल व्यक्ति, महिला और बच्चे, सामाजिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति, भिखारी, वेष्याएँ, अपराधी या अपचारी, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, रोगी, मानसिक रूप से मन्दबुद्धि या रोगी और उच्च जाति के लोगों में से आर्थिक रूप से पिछड़े, आश्रयहीन तथा बेरोजगार लोगों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह के समूहों के लिए समाज कल्याण के कार्यक्रम उनके दुखों को कम करने की दिशा में उनकी सहायता करने के लिए आवश्यक है।

9.4.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Castes and Scheduled Tribes - SCs & STs) की संरक्षाओं की प्रकृति में अनेक प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह से निम्नलिखित दो अधिनियमों को पारित किया गया है जो विशेष रूप से (i) अस्पष्यता का निरोध और (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर पाबन्दी और नियंत्रण करने के लिए विशेष उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। इस तरह से ये इनके सामाजिक उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955): यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत मूल अधिकारों के संदर्भ में पारित किया गया है। इस अधिनियम का अधिकारक्षेत्र संपूर्ण भारत और राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

यह अधिनियम और नियम, किसी भी रूप में अस्पष्यता का प्रचार–प्रसार या व्यवहार करने से सम्बन्धित विभिन्न अपराधों की श्रेणियों के लिए दण्ड के स्तरों का निर्धारण करते हैं। इन अपराधों के दण्ड निश्चित हैं जिसमें जेल की अवधि तथा आर्थिक दण्ड सम्मिलित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति या समूह द्वारा चाहे वह ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक,

दार्षनिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आधारों अथवा फिर किसी अन्य आधार पर की गई अस्पष्यता का व्यवहार करने और उसके सिद्ध होने पर उसे अपराधी करार दिया जाएगा। अस्पष्यता के व्यवहार को बार–बार करने पर अपराधी को कठोर दण्ड देने का प्रावधान रखा गया है।

I. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989):** इसे (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Prevention of Atrocities Act – PoA Act) भी कहते हैं, यह सन् 1990 में लागू हुआ है। इस विधान का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों पर रोकथाम, उन पर पाबन्दी लगाना तथा अपराधी को दण्ड देने के लिए पारित किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापक रूप से नियमों को बनाया गया है जो इससे संबद्ध हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पीड़ित करने पर उनको राहत देने और उनके पुनर्वास करने के लिए प्रावधानों के मानकों को निर्धारित करते है।

II. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना**

उपर्युक्त दो अधिनियमों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। यह संविधान के अनुच्छेद 383 के तहत स्थापित की गई जो सन् 1990 में दो राष्ट्रीय आयोगों में विभाजित कर दिया गया था। यह 89वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किए गए हैं। इन दोनों राष्ट्रीय आयोगों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अलग–अलग तरह से संरक्षण करने और इन पर होने वाले अत्याचारों की निगरानी करते हुए संरक्षण प्रदान करने और अपराधियों को दण्ड दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों राष्ट्रीय आयोगों पर इनके कल्याण के लिए तथा इनके मुद्दों के पुनर्रीक्षण करने का कार्य भार भी है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ आरंभ की गई हैं जैसे कि मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियाँ, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोषिप शामिल हैं। लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में के.जी. से लेकर पी.जी. तक के स्तर के लिए होस्टल सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं इसी तरह से इनके अनुपूरक में केन्द्रीय योजनाओं के द्वारा भी अनुदान भत्ते उपलब्ध कराए गए हैं ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उनके खर्च वहन किए जा सकें।

अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना की गई है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation) तथा एक राष्ट्रीय सफारी अभिचेयर वित्त और विकास निगम (National Safari Armchairs Finance and Development Corporation) की भी स्थापना की गई है। अनुसूचित जातियों को विस्तारित वित्तीय सहायता तथा आधारित मूल पूँजी की सहायता देने के लिए जोखिम पूँजी फंड और क्रेडिट विस्तार गारन्टी योजना (Venture Capital Fund and a Credit Enhancement Guarantee Scheme) भी लागू की गई है। ताकि वे अपने उद्यम स्थापित कर आरंभ कर सकें अथवा उद्योगों के जोखिमों को साहसपूर्व उठाते हुए अपनी उन्नति कर सकें।

9.4.2 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

सन् 1999 में सामाजिक न्याय और प्राधिकार मन्त्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) से अलग आदिवासी कार्य मन्त्रालय (Ministry of Tribal Affairs) की स्थापना की जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके, समाज के अत्यधिक पद्दलित समन्वित तथा योजनागत तरीके से विकास करने का लक्ष्य है। अनुसूचित जनजाति के लोग अन्य समुदायों से अलग निकटस्थ क्षेत्रों में रहते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनकी भूमि को अन्य लोगों द्वारा अधिग्रहण करने से रोकने तथा अन्य सामाजिक कारकों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में "अनुसूची पाँचवी और अनुसूची छठी" के प्रावधानों को लागू करना भी इसका उद्देश्य है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पाँचवी अनुसूची में "अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas)" की परिभाषा दी गई है, इस प्रकार के क्षेत्रों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति अपनी शक्ति से आदेशों की घोषणा कर सकते हैं, ये क्षेत्र "अनुसूचित क्षेत्र हैं, इसके लिए सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा भी किया जा सकता है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची का निर्माण किया गया है, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के क्षेत्रों को इसी अनुसूची में शामिल करते हुए "आदिवासी क्षेत्रों" (Tribal Areas) की घोषणा की गई है, और इस प्रकार के आदिवासी क्षेत्रों के लिए जिला परिशद अथवा क्षेत्रीय परिशदों की घोषणा की गई है जो इन आदिवासी क्षेत्रों की निगरानी और देखभाल का कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों के कल्याण को ध्यान में रखना है। विशेष बात यह है कि इन परिशदों को व्यापक सीमाओं में विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि ये अपना कार्य निष्पादन स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989): जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि इस लोक सेवा का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना, उनका निवारण करना है। इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र और परिचालन की सीमाएँ जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में निर्धारित की गई हैं उसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी लागू होंगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग (National Commission for Scheduled Tribes - NCST) की स्थापनाः संविधान में संशोधन करके सन् 2004 में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग का मुख्य कर्त्तव्य है कि अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से सभी सम्बन्धित मामलों की जाँच, निगरानी तथा मूल्यांकन करना; इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के पदत्त अधिकारों और उनके सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर या अत्याचार होने पर किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर उसकी समुचित जाँच करना तथा उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाना है।

इस आयोग के अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति निर्धारित करने के लिए सन् 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation) की स्थापना की गई ताकि लक्षित समूहों को कौशल और उद्यमिता का विकास करने केलिए अनुदान के

रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही एक परिसंघ भी बनाया गया जिसका नाम भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.) (1987 में स्थापित) की स्थापना की गई है जोकि आदिवासी या जनजाति उत्पादनों के विकास और उनके (प्राकृतिक तथा जैव उत्पादों, हाथकरघा इत्यादि) विपणन के कार्यों को पूरा करती है और अपने द्वारा बाजार या अन्य दुकानों के माध्यम से सीधे उत्पादों को बेचने का कार्य करती है।

अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए भी योजनाएँ बनाई गईं हैं तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वरोजगार अवसरों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में माइक्रो–केड्टिस योजना आरंभ की गई है। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययन और उत्तर–स्नातक अनुसंधान कार्यक्रम जिससे विदेशों में अध्ययन कर सकते हैं, इसके लिए योजना के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जनजाति कार्य मंत्रालय भी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए समुचित शैक्षिक संरचनाएँ उपलब्ध करा रहा है तथा जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रोत्साहनों के साथ छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध करा रही है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) के पारित होने के पश्चात् अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पारम्परिक रूप से रहने वाले लोगों के लिए, उन्हें वन अधिकार दिए गए हैं, तथा उनको वन भूमि या जंगल की भूमि में अपने स्वयं के काम धन्धे करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

9.4.3 अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Second Backward Classes Commission) (जिसे सामान्यतः मण्डल आयोग (Mandal Commission) के नाम से जाना जाता है) की स्थापना की जिसने अपनी रिपोर्ट सन् 1980 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर सन् 1993 में भारत सरकार ने सिविल पदों तथा केन्द्र सरकार की सेवाओं में खाली पदों की भर्ती के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों और विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में भी अध्ययन के लिए प्रवेश और रोजगार के लिए रिक्त पदों को भरने में भी आरक्षण देने की योजना का विस्तार कर दिया गया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (National Backward Classes Finance and Development Corporation - NBCFDC)

सन् 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई, इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लाभ के लिए आर्थिक उन्नति तथा विकासात्मक गतिविधियों और इन वर्गों के सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना और उनके कौशलों को विकसित करने एवं स्व–रोजगार कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी तय करते हुए उनकी सहायता करना है।

शैक्षिक सषक्तीकरण (Educational Empowerment)

इनके लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं जैसे कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा से पूर्व और दसवीं कक्षा के पश्चात् छात्रवषत्तियाँ, राष्ट्रीय फेलोषिप एवं ब्याज मुक्त सहायता अवार्ड की व्यवस्था की गई है। डी.नोटीफाइड जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय योजना के अनुसार उन्हें हॉस्टल की व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं जो अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनको सेकेण्डरी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं।

9.4.4 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत अषक्त और विकलांगता के आधार पर इस तरह के व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस तरह के विकलांग व्यक्तियों को संविधान के द्वारा सभी अधिकारों को प्राप्त करने की गारन्टी दी गई है।

विभिन्न नीतियों, मुद्दों तथा लाभदायक पहल या प्रयास के ऊपर ध्यान केन्द्रित करने के विचार के साथ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और उनका सषक्तीकरण करने के उद्देश्य से एक अलग सामाजिक न्याय और प्राधिकार मन्त्रालय द्वारा विकलांग कार्य विभाग की स्थापना सन् 2012 में की है। यह विभाग अब विकलांगत और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों के लिए नोडल एंजेसी का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिकत यह विभिन्न पणधारियों के बीच निकट सहयोग व सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। ये केन्द्रीय मन्त्रालय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ विकलांगता के मामले इसमें सम्मिलित हैं। अतः भारतीय संविधान कुछ अषक्तताओं व विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित और संरक्षता उपलब्ध कराता है।

संविधान का अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अषक्तता या विकलांगता के मामलों में कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदत्त करता है। इसके अतिरिक्त संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ, पंचायतों और नगरपालिकाओं को अलग–अलग शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदत्त करती हैं कि समाज के अन्य गरीब वर्गों के साथ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं उनकी संरक्षा के साथ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उनके लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करना और उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी प्रदान करना है। केन्द्रीय स्तर पर अनेक संविधियों को पारित किया गया है जिनका उद्देश्य विकलांगता की विशिष्ट श्रेणियों के सहित विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास और उनका कल्याण करना है। विकलांग व्यक्तियों का सषक्तीकरण विभाग सभी केन्द्रीय योजनाओं की निगरानी करने के लिए विकलांग से सम्बन्धित कानून बनाने के लिए प्रयासरत है।

भारतीय पुनर्वास परिशद (Rehabilitation Council of India - RCI) : यह एक सांविधानिक निकाय है तथा यह केन्द्र सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो विकलांग, पद्दलितों और विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले समुदायों को ध्यान में रखते हुए व उनको लक्षित करते हुए इसका नियामन किया जाता है। यह परिशद अपने पास एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्ट्रर को रखती है जिसके अन्दर इस क्षेत्र से सम्बन्धित सभी योग्यता प्राप्त व्यावसायिकों के मुख्य दस्तावेजों के विवरण को इसमें दर्ज करती है, जब आवश्यकता होती है, इन्हें बुलाया जाता है और उनसे सम्बन्धित सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं।

9.4.5 राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति

वर्तमान राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति (National Policy on Older Persons - NPOP) की घोषणा सन् 1999 में की गई थी, इसे सरकार के दष्ढ़ निश्चय को फिर से दोहराया गया था कि वृद्ध जनों की खुषहाली को निश्चित किया जाए। राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति राज्य सहयोग पर

ध्यान देती है और वित्तीय तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं वृद्ध जनों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, विकास में समान हिस्सा, दुर्व्यवहार तथा षोशण के विरुद्ध संरक्षण और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रावधानों को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति का प्रथम उद्देश्य वृद्ध जनों के परिवारों को उनके वृद्ध परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए उत्साहित करना, इनकी सेवा के लिए तैयार करना और स्वैच्छिक तथा ग़ैर–सरकारी संगठनों से परिवार के द्वारा अनुपूरक सेवाएँ लेने के लिए कहना और इसके साथ ही समुचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ वृद्ध जनों को उपलब्ध कराने में सहायता करना है।

9.4.6 स्वापक औषधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति

भारत में स्वापक औशधि द्रव्य का युवाओं द्वारा व्यसन एक गंभीर समस्या बन गई है विशेषकर कुछ शहरी क्षेत्रों के भागों में इसकी भयानकता देखी जा सकती है। भारत एक पारगमन बिन्दु है और इसी तरह से स्वापक औशधि द्रव्यों के लिए निवास स्थान है। केन्द्रीय मन्त्रालयों के एक तत्कालीन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 7 करोड से अधिक लोग स्वापक औशधि द्रव्यों के व्यवसनी हैं। समस्या की गंभीरता को समझते हुए सामाजिक न्याय प्राधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) के सहित सभी हितधारकों से सलाह मशवरा करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Policy - NDPS Policy) का निर्माण किया। स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति को भारत की नीति के रूप में प्रसारित किया गया, उसकी जानकारी दी गई। इस तरह से स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति को भारत सरकार में विभिन्न मन्त्रालयों, संगठनों और राज्य सरकारों के मन्त्रालयों व संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं ग़ैर–सरकारी संगठनों के लिए मार्गदर्शन का काम लिया जाता है। व्यापक रूप से भारत की यह प्रतिबद्धता है कि समग्रता के साथ स्वापक औशधि द्रव्यों के जोखिम या संकट का डट कर सामना करें। कानूनी उपायों के अतिरिक्त मनःप्रभावी मादक द्रव्य संकट की रोकथाम करने के लिए समाज आधारित उपायों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है।

9.4.7 अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी उपाय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि "अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित किया जाएगा और उनकी विशिष्ट भाषा, संस्कृति को मान्यता प्रदान करते हुए उनकी रूचि व इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनके प्रशासन के अधिकार होंगे।" संविधान के अनुच्छेद 350 और 350 (ख), यह अधिकार देते है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से, अनुच्छेद 347 तथा 360(क) सांविधानिक सुरक्षा व शिक्षा एवं भाषागत अल्पसंख्यक समूहों को शिक्षा और भाषा के अध्ययन करने का अधिकार देता है।

छः धार्मिक समूहों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जरतुस्ती (पारसी) और जैन धर्म के लोगों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (National Commission for Minorities (NCM) Act) , 1992 के प्रावधानों के अनुसार, इनको अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। संघीय सरकार और राज्यों सरकारों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक निम्नांकित उपाय किए हैं। जनवरी 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लाभों या हितों के लिए समस्त नीति नियोजन, संयोजन या समन्वयन मूल्यांकन नियमायक विकास कार्यक्रमों में

मुख्य भूमिका निभाने तथा उनसे सम्बन्धित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करना निश्चित किया गया था। मंत्रालय को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सांविधानिक कानूनों पर प्रशासन करने और उनको लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

9.4.8 महिलाएँ और बाल विकास

महिलाएँ इस देश की जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा हैं। ये पुरुशों की तुलना में बहुत सारी असुविधाओं से पीड़ित होती हैं जैसे कि साक्षरता दर, श्रम भागीदारी औसत और कमाई या अर्जन करना इत्यादि। प्रथम से पाँचवीं पंचवर्शीय योजनाओं की अवधि में महिलाओं और बाल विकास के कार्यों को कल्याणकारी विषयों के तहत रखा गया था। असुविधा भोगी समूहों के कल्याण के साथ संबद्ध कर दिया गया था जैसे कि निराश्रय या दीन–हीन, विकलांग वृद्धजन इत्यादि लोगों के साथ जोड़ दिया गया था। द्वितीय पंचवर्शीय योजना तक यह कार्यनीति लगातार चलती रही थी, इसमें महिलाओं की शिक्षा तथा सुध ाारात्मक सामग्री के उपायों एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई थी।

छठी पंचवर्शीय योजना में महिला के "कल्याण" से "विकास" के दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया था। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के तीन प्रमुख क्षेत्रों में विशेष रूप से बल दिया गया था। इस तरह से सातवीं पंचवर्शीय योजना में लाभकारी मूलक स्कीमों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर की उन्नति पर अधिक बल दिया गया था। साथ ही कुषल एवं अकुषल रोजगार को समुचित शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी आय को वृद्धि करने पर बल दिया गया था। आठवीं पंचवर्शीय योजना के उद्देश्यों में एक यह उद्देश्य था कि यह निश्चित किया जाए कि विकास का लाभ महिलाओं तक पहुँचना चाहिए ताकि महिलाएँ विकास प्रक्रिया में समान ढाँचे और भागीदारी के रूप में उनके समान कार्य करने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त "महिला सषक्तीकरण" पर विशेष बल दिया गया तथा नौंवी पंचवर्शीय योजना में "महिलाओं की संघटक योजना" पर कार्य किया गया और सन् 2007 में जेन्डर बजट प्रस्तुत किया गया था।

महिलाओं और बाल विकास के आरंभ से लेकर, इनके लिए सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए सन् 2006 में एक अलग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) की संघीय स्तर पर स्थापना की गई, इसको महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, उनकी चिन्ताओं का हल करने की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही उनकी व्यापक रूप से उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास तथा भागीदारी को निश्चित करना है। इसके साथ ही विषय से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करते हुए अन्य मन्त्रालयों तथा एजेंसियों के साथ संविधियों को तथा नीतियों को लागू करना और समन्वयन करने की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी।

9.4.9 राष्ट्रीय महिला नीति

सन् 2018 में राष्ट्रीय महिला नीति (National Policy for Women) की घोषणा की गई, इससे यह अपेक्षा की गई है कि यह सतत् जीवन चक्र और शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय–निर्माण तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार तथा उनके लिए सहज–सरल वातावरण का निर्माण करने के मुद्दों से सम्बन्धित व्यापक वरणक्रम को सम्मिलित करते हुए इन पर महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर सरकार की कार्रवाई पर मार्गदर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

9.4.10 बाल कल्याण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

बच्चे (0–18 तक आयु) देश के विकास की सम्पत्ति होते हैं। इनको नियोजित तरीके से पोषित करने की आवश्यकता होती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इनके पालन–पोषण के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय ने बाल विकास के लिए अनेक कार्यक्रम और पहल आरंभ की है। इनमे से कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार से हैंः

राष्ट्रीय बाल नीति (2013)

भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय बाल नीति (National Policy for Children - NPC) को सन् 2013 में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय बाल नीति ने सरकार की प्रतिबद्धता को बच्चों के अधिकारों के अनुभव करते हुए इस पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया है। इसमे अपने के मूल्य के साथ बचपन को जीवन का एक अभिन्न अंग होने की मान्यता दी है। राष्ट्रीय बाल नीति ने प्रत्येक बच्चे के अकाट्य अधिकारों के रूप मे उनकी उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकारों की पहचान की है और इनको प्रमुख प्राथमिकता के क्षेत्रों के रूप में भी घोषित किया है जिसमें कि सरकारी और ग़ैर–सरकारी संगठनों व एजेंसियों के द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।

सरकार ने बाल दुरुपयोग या अपराधों के केसों से निपटने के लिए एक विशेष कानून बनाया है। यह "बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012 है। "यह अधिनियम अपराधियों को कठोर दण्ड देने के प्रावधान प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न अवधियों के अनुसार साधारण कारावास से लेकर कठोर दण्ड देने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of Child Rights - NCPCR) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (State Commissions for the Protection of Child Rights - SCPCRs) के अनुसार प्राधिकृत पदनामित किया है जिसे इस अधिनियम की निगरानी तथा उसके कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राष्ट्रीय पोषण नीति

राष्ट्रीय पोषण नीति (National Nutrition Policy) को सन् 1993 में सूत्रबद्ध किया था इसकी पूर्ति करने या इसके अनुसार सन् 1995 में राष्ट्रीय कार्य योजना (National Plan of Action) को विकसित किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना की पहचान कुपोषण का सामना करने व उससे निपटने के लिए समन्वित कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार में विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई।

शिशु और किशोर बालकों के पोषण व्यवहार को उन्नत करने के लिए आई.एम.एस. अधिनियम के अनुसार समुचित पोषण करने और कार्यान्वयन करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इसको पूरा करने के लिए अपने हाथ में लिया है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय में खाद्य और पोषण बोर्ड भी स्थापित है जोकि नीति–निर्माण, कार्य नीतियाँ विकसित करने एवं हमारे देश के लोगों के पोषणात्मक स्तर व स्थिति को सुधारने के लिए नवीनतम उपायों व साधनों की पहचान का कार्य कर रहा है।

व्यापक अंगीकरण (दत्तक) सुधार

किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 के अंतर्गत 2017 में विनियमन अंगीकरण (Adoption Regulations) करके अधिसूचित किया गया है, इसमें केन्द्रीय अंगीकरण (दत्तक) संसाधन प्राधिकरण (Central Adoptions Resource Authority - CARA) में ऑन–लाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, इसके अनुसार भारत में कहीं पर भी जब बच्चे को अंगीकरण (दत्तक) करते हैं तो इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। केन्द्रीय अंगीकरण (दत्तक) संसाधन सूचना और मार्गदर्शन व्यवस्था (Central Adoption Resource Information and Guidance System - CARINS) कानूनी अंगीकरण (दत्तक) प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय अंगीकरण (दत्तक) संसाधन प्राधिकरण की एक मात्र सरकारी पोर्टल व्यवस्था है। अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी बच्चे का गैर–कानूनी रूप से अंगीकरण (दत्तक) करने की स्थिति में इस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा। यह अधिनियम बच्चों के लिए समुचित संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए उनके हितों व लाभों के अधिकारों को सुरक्षित करता है।

समग्रता बाल विकास

बच्चों के समग्रता विकास के लिए मन्त्रालय ने एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services - ICDS) कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है जिसको हम आँगनवाड़ी सेवाएँ भी कहते हैं जिसका संचालन मन्त्रालय कर रहा है जोकि सन् 1975 से अस्तित्व में है। यह सेवाओं का एक पैकेज है जिसमें अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवाएँ तथा पूर्व विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का समावेष किया गया है जिसका उद्देश्य 0–6 वर्ष के आयु समूह में बच्चों के पोषणात्मक तथा स्वास्थ्य स्तर का सुधार करना है। हाल ही में कुछ समय पूर्व में मन्त्रालय ने एक प्रमुख नीति के आरंभ करने का कार्य अपने हाथ में लिया है जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवाओं का सार्वजनिकीकरण करना सम्मिलित है तथा किशोर बालिकाओं (11–18 वर्ष तक) के लिए पोषण कार्यक्रम आरंभ किया है। बाल अधिकारों के संरक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना की है और घरेलू अत्याचारों से महिलाआ संरक्षण अधिनियम को पारित किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सन् 2016 में राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (National Plan of Action for Children - NPAC) को प्रस्तुत किया है जिसमें चार प्राथमिकता क्षेत्र सम्मिलित हैं उत्तरजीवितता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, संरक्षण और भागीदारी शामिल हैं। मन्त्रालय यह भी प्रयास कर रहा है कि महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों में गैर–सरकारी संगठनों को और अधिक प्रभावी रूप से सम्मिलित किया जाये।

आपदाओं में लोगों का कल्याण

आपदाओं के कारण लोग बेहद प्रभावित हैं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, सूखा पड़ना, भूस्खलन, भयंकर आग लगना, बड़ी दुर्घटनाएँ इत्यादि होने पर तुरंत बचाव की आवश्यकता होती है तथा बचाव, राहत और दीर्घकालीन सहायता के लिए राज्य से कानूनी दावा किया जा सकता है आर इन सबकी पूर्ति के लिए माँग की जा सकती है। आपदा प्रबन्धन अधि ानियम (Disaster Management Act), 2005 एक कानूनी संरचना उपलब्ध कराता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (National Disaster Response Fund - NDRF) और राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (State Disaster Response Fund - SDRF) ये दोनों अधिसूचित आपदा की घटना होने पर राहत और बचाव पर होने वाले खर्चों को पूरा करते हैं, इनका परिचालन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। राहत में उत्तरजीवितता के मदों को

शामिल किया जाता है जिसमें खाद्य सामग्री, पेय जल, स्वास्थ्य, चिकित्सा सहायता, वस्त्र वितरण, आश्रय उपलब्ध कराना इत्यादि होते हैं। यह राहत सामग्री और अन्य सेवाएँ कुछ सप्ताहों/महीनों तक उपलब्ध कराई जाती हैं जब तक आपदा पीड़ित लोग सामान्य स्थितियों में वापस नहीं आ जाते हैं, राहत और सेवाएँ तदर्थता के आधार पर होती हैं। राज्य सरकार की यह प्राथमिकता और कर्त्तव्य होता है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ राहत और बचाव कार्यों का तुरंत ही निष्पादन करें। राज्य के जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह आपदा की स्थिति में आपातकालीन उपायों को तुरंत लागू करें और पीड़ितों को तुरंत राहत व सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराएँ। ग़ैर–सरकारी संगठन जैसे कि रेड क्रास राहत आर पुनर्वास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन–कौन से कार्य सम्पन्न किए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बच्चों की समग्रता विकास की दिशा में किए गए उपायों की सूची बनाएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

9.7 निष्कर्ष

भारत के संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त भारत के कल्याणकारी राज्य होने और इस पर अपनी प्रतिबद्धता के अकाट्य प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सफल सरकारें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस सम्बन्ध में विशेष कर न्यायपालिका सम्बन्धित विधि विधानों और कार्यक्रमों की उदार समीक्षा और व्याख्या करने में प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं, यही मुख्य कारण है कि कल्याण–मूलक सांविधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों को सुनिश्चित करते हुए उनको व्यावहारिक और वास्तविक रूप में परखा गया है।

एक भय और आषंका बनी हुई थी कि भारत में सन् 1991 में उदारीकरण का उद्गम या अपनाने के पश्चात् राज्य गरीबों और हशिये पर पड़े लोगों के प्रति कल्याणकारी प्रतिबद्धता को वापस कर लिया जाएगा। परन्तु इस भय के विपरीत संघीय सरकार और इसकी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने कल्याणकारी कार्यक्रमों का, इसके विपरीत तीव्र

गति से कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन किया है। वास्तव में, जो नया नुस्खा ग्रहण किया गया है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के संवर्द्धन के कारण उसमें कल्याणकारी कार्यों को एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है और यही कारण है कि कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए अपने बजट सम्बन्धी धनराशि में वृद्धि करके इसका निर्वाह किया गया है। एक और अन्य दबाव वाला कारण यह है कि राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हुई है और वे जनता के बीच इन दलों की प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए लोगों के समक्ष बहुत ही लुभावनी योजना/उदारता की मुक्त लाभकारी योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं जो कल्याणकारी राज्य की दिशा में बेहतर होती है। एक मुक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सावधिक चुनाव करना भी इस पद्धति को गति प्रदान करता है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका आजकल प्रयोग किया जा रहा है जैसे कि गरीबों को मुफ्त में गैस चूल्हा देने के लिए योजना बनाना और उनको देना, निःशुल्क विद्यालय तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को लैपटॉप व साइकिलें देना, आर्थिक सहायता के रूप में कुकिंग गैस देना, व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (उदाहरण के लिए पी.एम.जे.वाई.) केवल 5 रुपये में निशुल्क सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन, मुफ्त में मोबाइल फोनों का वितरण करना, ग्राइन्डर्स एवं रसोई का सामान देना, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भुगतान की गई फीस राशि को वापस उनको लौटाना या देना, भूमि का दान करना (कुछ एक मामलों में), गरीबों और मलीन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क घर बनाने की जगह, पक्का घर बना कर देना, विवाह में होने वाले पूरे खर्चों को बेटी वालों को देना, त्यौहारों के अवसरों पर मुफ्त में घरेलू सामान देना, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण बहुत कम हैं, इससे भी अधिक दान–अनुदान राज्य सरकारों के द्वारा वितरित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में बहुत सारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इस तरह की योजनाओं के निपटारण की गति तेजी से बढ़ती जा रही है। परम्परागत कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि पेंशन देना, इसकी राषि में वृद्धि की जा रही है आर इसके साथ ही उसमें लगभग 10 गुणा वृद्धि की गई है और (कुछ राज्यों में) और पात्रता की आयु में भी कमी की गई है, इस तरह से दोनों प्रकार से वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि लोकतान्त्रिक भारत में कल्याणवाद के अंतर्गत जीवन को नई लीज प्राप्त हो रही है जिसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी न कि किसी प्रकार की कमी आएगी।

9.8 शब्दावली

समाज सेवा (Social Services): समाज सेवाएँ वे सेवाएँ होती हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत या समुदायों के संरक्षण और समाज कल्याण कार्यों का विस्तार करना, यह सामाजिक संविधियों के द्वारा हो सकता है अथवा फिर समाज कार्यों के माध्यम से पूरे हो सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security): सामाजिक सुरक्षा एक विशिष्ट शब्दावली है, इसका अर्थ सरकारी संरक्षण करना है जो लोग अपनी आय शक्ति को नश्ट कर चुके हैं या हो चुकी है क्योंकि वे विकलांग वृद्धावस्था, बेरोजगारी या परिवार का जो मुख्य अर्जन करने वाला, कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी है।

आपदा राहत (Disaster Relief): आपदा राहत का अर्थ हैं नकद राशि या वस्तु के रूप में किसी व्यक्ति की सहायता व सहयोग करना क्योंकि वह उत्तरजीवितता के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने से वंचित हो गया है, आपदा के कारण जैसे कि बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात या फिर इसी तरह का कोई भयंकर विध्वंस हो गया है जिसमें वह पीड़ित हो गये हैं।

9.9 संदर्भ लेख

Bose, A.B. (1987). *Encyclopaedia of Social Work, Ministry of Welfare.* New Delhi, India: Government of India.

Friedlander, W. (1967). *Introduction to Social Welfare*. New Delhi, India: Prentice-Hall.

Gore, M.S. & Khadelkar, M. (1975). *Quarter Century of Welfare in India*. Bombay, India: Asia Publishing House.

Government of India. (2018). India Year Book. New Delhi, India: Publications Division.

Government of India. (1951). First Five Year Plan, Planning Commission, New Delhi.

Heywood, A. (2005). *Key Concepts in Politics.* New York, India: Macmillan.

Vasey, W. (1958). Government and Social Welfare. New York, USA: Rinehart.

United Nations. (1970). *Social Welfare Planning in the context of National Development Plans.* New York, India: UN Publications.

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - समाज कल्याण की संकल्पना
   - राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में समाज कल्याण योजना
   - समाज कल्याण का महत्व
2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण
   - अन्तिम परिप्रेक्ष्य
   - मिश्रित–अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण
   - संस्थागत दृष्टिकोण

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - समाज कल्याण का दृष्टिकोण
   - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समाज कल्याण नीतियाँ
   - अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समाज कल्याण नीतियाँ
2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services - ICDS)
   - किशोर बालिकाओं (11–18 वर्ष तक) के लिए पोषणात्ममक कार्यक्रम
   - बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग
   - घरेलू अत्याचार से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम

इकाई 10 शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.1.1 शिक्षा नीति का महत्व

10.1.2 शिक्षा नीति–निर्माण में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियाँ

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकासक्रम

10.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

10.3 संशोधन (1992) के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समस्याएँ और मुद्दे

10.5 नई शिक्षा नीतिः सतत् संशोधन की आवश्यकता

10.6 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.)

10.6.1 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

10.6.2 शिक्षा का अधिकार – मूल अधिकारों का एक भाग

10.6.3 सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार

10.6.4 प्राथमिक शिक्षा में लिंग अन्तर को कम करना

10.6.5 अध्यापक प्रशिक्षण

10.6.6 नैतिकता–आधारित शिक्षा

10.6.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेष

10.7 आलोचनात्मक अवलोकन

10.8 निष्कर्ष

10.9 शब्दावली

10.10 संदर्भ लेख

10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- शिक्षा नीति का महत्व और अर्थ;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) में विकासक्रम का वर्णन;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समस्याओं पर चर्चा; और
- शिक्षा का अधिकार (Right to Education - RTE) अधिनियम, 2009 के महत्व और विशेषताओं का मूल्यांकन।

10.1 प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास की क्रांति का निर्धारक है और देश की प्रगति तथा संवृद्धि के लिए जीवनषक्त है। विकास के लिए देश के एजेंडे पर कोई और अन्य ऐसी मद नहीं है जो व्यापक लोगों की शिक्षा का अधिकार से अधिक जिसकी प्राथमिकता और जिस पर ध्यान दिया जाना हो, या जिसकी आवश्यकता हो। शिक्षा मानव संसाधन विकास पर निवेश है। यह व्यक्ति को उसके वातावरण, समालोचनात्मक विचार व सोच तथा श्रेष्ठ आकांक्षाओं की बेहतर समझ पैदा करती है। हमारे नेताओं का हमेशा ही व्यक्ति की प्रगति और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देना रहा है। शिक्षा की भूमिका पर बल देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 निम्नलिखित विषयों पर जोर देती हैः

यह (शिक्षा) "संवेदनाओं और प्रत्यक्ष ज्ञान को परिश्कृत करती है जोकि राष्ट्रीय साहचर्य या संयोजन, एक वैज्ञानिक, मनोदषा तथा मस्तिश्क और भावनाओं को स्वतंत्रता प्रदान करती है कृकृ शिक्षा मानव मस्तिश्क के विकास में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करती है। यह राष्ट्र के विकास में शक्ति देने में भी सहयोग करती है।"

10.1.1 शिक्षा नीति का महत्व

भारत में शिक्षा नीति को "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य का महत्वपूर्ण धुरीय केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस नीति की परिकल्पना सबके लिए उत्तम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा नीति राज्य कार्यों, निजी प्रयासों और लोक तथा निजी प्रयासों के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली को सुधारना तथा उसका विस्तार व व्यापक बनाने के लिए एक लक्ष्य या विवरण या दस्तावेज है।"

10.1.2 शिक्षा नीति-निर्माण में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियाँ

भारत के संविधान ने शिक्षा के कार्यों को सरकारी स्तर पर परिचालन के लिए केन्द्र (संघ), राज्य और स्थानीय स्तरों पर तीन सूचियों में विभाजित किया है – संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, और विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा (सूची 1 की 63–66 प्रविशिष्टयों के विषय) को समवर्ती सूची में सम्मिलि किया गया है। इसका अर्थ यह है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही "शिक्षा" पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं अथवा वे विधि–विधान का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षिक ढाँचे के अंतर्गत केन्द्र सरकार को पूरे देश में शिक्षा के स्तर को समान रूप से लागू करने के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदत्त की गई है।

शिक्षा नीति के सूत्रीकरण का एक जटिल प्रयोग या अभ्यास है। इसमें अनेक संस्थानों जैसे कि नागरिक मंचों, मीडिया, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों, विधानमण्डल और इसकी विशेष समितियाँ, कैबिनेट और इसकी विशेष समितियाँ तथा सम्बन्धित मंत्रालय अर्थात् मानव शिक्षा विकास मन्त्रालय और राज्य शिक्षा मन्त्रालयों को सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अभिकरण जोकि नीति के सूत्रीबद्ध करने में विधानमण्डलों और कार्यकारी प्रशासकों का मार्गदर्शन करती हैं अर्थात नीति आयोग, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education - CBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद (National Council of Educational Research and Training – NCERT), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission – UGC) तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जैसे कि संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन – यूनेस्को

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - UNESCO) शामिल हैं। इन सबके अतिरिक्त सभी स्तरों पर प्रशासनिक सलाहकार समितियाँ भी बनी हुई हैं जोकि विभिन्न स्तरों पर नीतियों को सूत्रबद्ध करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है।

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकासक्रम

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रमुख चिन्ताएँ राष्ट्रीय प्रगति के कारक के रूप में शिक्षा में वृद्धि करने के लिए किस प्रकार से ध्यान दिया जाए। शैक्षिक पुनर्निर्माण की समस्याओं, विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा पुनः समीक्षा की गई थी जिनमें बहत महत्वपूर्ण हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1948–49), इसके अध्यक्ष डॉ. राधाकृश्णन थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), इसके अध्यक्ष डॉ. मुदालियर थे तथा शिक्षा आयोग (1964–66) के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. कोठारी थे। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के पश्चात् यह प्रथम आयोग था जिसने सभी कोणों से शैक्षिक विकास की समीक्षा की थी।

इस रिपोर्ट को अनेक भागों में प्रकाषित किया गया था, इसमें कोठारी आयोग ने भारत सरकार ने यह सलाह दी थी कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक विस्तृत विवरण तैयार करें जिसमें वह राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शन जारी करें। इसी के अनुसार भारत सरकार ने सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विवरण तैयार करके उसे जारी किया थ।

10.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में इस विषय पर बल दिया था कि शैक्षिक प्रणाली इस प्रकार की हो कि जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं और महिलाओं को तैयार किया जाए जिससे उनके चरित्र और प्रतिबद्धता राष्ट्रीय सेवा तथा विकास के लिए समर्पित हो। केवल तब ही शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति को उन्नत करने अपनी भूमिका निभाने में समर्थ होगी। सामान्य नागरिकता की समस्या पैदा करनी होगी और संस्कृति तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि देश को अपनी महान सांस्कृतिक विरासत तथा इसकी अपनी अनोखी संभावनाओं के साथ एकरूपता में राष्ट्रों के समुदाय में अपना उचित स्थान ग्रहण करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में जो विशेष बल दिया वह था : 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, अध्यापकों को समुचित और संतोशजनक वेतन दिया जाए जो उनकी योग्यता तथा जिम्मेदारियों के अनुसार हों, क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित किया जाए तथा त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए, शैक्षिक अवसरों में समानता हो; राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को गति प्रदान करना, विज्ञान की शिक्षा, तथा अनुसंधान, कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा एवं साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा, क्रीड़ा तथा खेलों का विकास, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके शैक्षिक हितों को उन्नत करना, शैक्षिक संरचना में 10+2+3 के ढाँचे को अपनाना, इन सब को सम्मिलित किया गया था। इस तरह से इस नीति दस्तावेज में प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, इत्यादि की सिफारिश भी की गई है।

सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्वतंत्रता उपरान्त भारत में शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। राष्ट्रीय प्रगति की उन्नति के अतिरिक्त तथा सामान्य नागरिकता और संस्कृति की समझ पैदा करते हुए, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण

को सषक्त बनाना है। शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन करना, सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता में सुधार करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देना, नैतिक मूल्यों को पैदा करना और शिक्षा तथा लोगों के जीवन के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

10.3 संशोधन (1992) के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) को सूत्रबद्ध करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की पूर्व रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए इसमें सम्मिलित किया है वहीं पर सन् 1968 में सूत्रबद्ध की गई नीति का लाभदायक प्रयोग किया गया परन्तु कुछ नई परिघटनाओं को इसमें शामिल नहीं किया। उस समय के प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने दिनांक 5 जनवरी 1985 नई शिक्षा नीति को विकसित कने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि "मैं अत्यंत बलपूर्वक कहना चाहूँगा कि समाज की उत्पादकता शक्ति के साथ शिक्षा को संबद्ध किया जाए।" शिक्षा मन्त्री के.सी. पन्त ने 19 अगस्त 1985 को शिक्षा पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जिसका शीर्षक "शिक्षा की चुनौतियाँ – एक नीति परिप्रेक्ष्य" था। इसी रिपोर्ट को संसद के पटल पर भी रखा गया था। इस पर शिक्षाविदों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा–परिचर्चा की गई थी। इसके आधार पर अर्थात् चर्चा के निश्कर्शों पर मई, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा स्वीकृत करके अपनाई गई थी। इस नीति को कार्य नियोजन व कार्यक्रमों के माध्यम से (पी.ओ.ए.) (Programme of Action - POA) विस्तृत की गई और इसको अगस्त, 1986 में संसद द्वारा पारित करके अपनाया गया था।

इसके अतिरिक्त दो समितियों (आचार्य राममूर्ति समिति, दिसम्बर 1990 तथा जनार्धन रेड्डी समिति जनवरी 1992) की सिफारिशों के आधार पर इसमें संशोधन प्रस्तुत किए गए इसके पश्चात् संशोधित राष्ट्रीय नीति को सूत्रबद्ध करके उसे मई, 1992 में संसद के पटल पर रखा गया और स्वीकृति होने के बाद लागू किया गया था।

दस्तावेज I – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) को 12 भागों में विभाजित किया गया तथा उसके निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं:

यह निश्चित किया गया कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अद्भूत निवेश है। यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह सुझाव देती है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को यानि दोनों को मिलकर भागीदारी के साथ इस युग में इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करें। शिक्षा नीति कहती है कि राष्ट्र को पूरी तरह से शैक्षिक रूपांतरण करने के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसाधनों का सहयोग व सहायता उपलब्ध कराएँ जिसमें असमानताओं को कम करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान इत्यादि को शामिल करके कार्यान्वयन किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति "महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा", अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग व क्षेत्रों जिसमें अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा संवृद्धि पर विशेषकर जो देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचितों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए असमानताओं को हटाने या नश्ट करने तथा शैक्षिक अवसरों का समानीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें स्थापित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भाग V में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को पुनर्गठित करना निश्चित किया गया है जैसे कि – प्रारंभिक बाल देखभाल तथा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा जिसमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा पद्धति सम्मिलित की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नीति दस्तावेज विशेष रूप से कुछ चयनित क्षेत्रों के रोजगारों से उपाधियों की आवश्यकताओं को समाप्त करने में बल देता है। इसके अतिरिक्त इस दस्तावेज में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर देता है और कहता है कि महात्मा गाँधी के शिक्षा पर क्रांतिकारी विचारों की तरह से उसको अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण रूप में परिवर्तन करने के लिए जमीनी स्तर पर सूक्ष्म या लघु योजनाओं का निर्माण करके इस चुनौती के रूप में स्वीकार व क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट का भाग–VI "वर्तमान प्रौद्योगिकी में सुधार करने पर जोर देते हुए कहता है कि नई स्वदेशीय प्रौद्योगिकियों को विकसित करना एवं उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाते हुए, उस पर विशेष जोर देना है।" इसके साथ है यह सभी स्तरों पर स्टॉफ विकास कार्यक्रमों के लिए क्षमता एवं प्रभावकारिताओं को उन्नत करने पर जोर देने की सिफारिशें करता है।

व्यवस्था संचालन का निर्माण करने की इसकी कार्यनीति के भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करती हैः

क) व्यावसायिक संवृद्धि तथा उत्तरदायित्वों में सुधर करने के लिए अध्यापकों को उनके स्तरों की शर्तों पर उनको वेतन भुगतान अवसरों की उपलब्धियाँ, उनके साथ अच्छे व्यवहार के लिए बेहतर रूप से उनके जीवन के साथ व्यवहार करना है।

ख) सुधरे हुए विद्यार्थियों के प्रावधान तथा उनके व्यवहार के स्वीकार्य मानकों के आंकलन पर जोर देना या उनसे आग्रह करना;

ग) संस्थानों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रावधान;

घ) राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरों पर स्थापित स्तर और मानकों के अनुसार संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन करने की प्रणाली की रचना करना उसकी स्थापना करना;

भाग VIII – राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग VIII शिक्षा के विषयों और प्रक्रिया का नवीनीकरण करने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के प्रावधान रखे गए हैं जिसमें सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, नैतिक शिक्षा, भाषाओं का विकास, मीडिया और शिक्षा प्रौद्योगिकी, पुस्तकें और पुस्तकालय, जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा, खेल, योग, शिक्षा तथा सुधारों एवं कार्यक्रमों के विस्तार में युवाओं की भूमिका को समाहित किया है। इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षाओं में सुधार करना भी सम्मिलित है।

शिक्षा प्रबन्धन, जिसमें उच्च प्राथमिकताओं को सम्मिलित करना है और जिनको निम्नलिखित विचारों या प्रावधानों के द्वारा मार्गदर्शित किया गया हैः

क) शिक्षा के दीर्घकालीन योजना बनाने और प्रबन्धन परिप्रेक्ष्य को विकसित करना और इसको देश के विकास तथा आवश्यक जनषक्ति के इसका एकीकरण करना;

ख) शैक्षिक संस्थानों के लिए स्वायत्तता की भावनाओं को विकेन्द्रीकरण और रचना है;

ग) ग़ैर–सरकारी अभिकरणों तथा स्वैच्छिक प्रयासों के सहयोग को सम्मिलित करते हुए लोगों की भागीदारी को महत्व प्रदान करना;

घ) शिक्षा की योजनाओं और प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी को सम्मिलित करना;

ङ) उद्देश्यों और मानकों को देने का सम्बन्ध में उत्तरदायित्व को सिद्धान्त को स्थापित करना।"

इसके अतिरिक्त, नीति के दस्तावेज शिक्षा की नीतियों के विभिन्न मानकों के कार्यान्वयन के पुनर्रीक्षण के लिए आवश्यकता पर जोर देती है।

भारत में शिक्षा के भविष्य के परिदृश्य के प्रावधानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहु आयी भूमिका को निभाने पर बल देती है।

दस्तावेज II – राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः कार्य नियोजन (1986)

इस नीति दस्तावेज में शिक्षा से सम्बन्धित अनेक मुद्दों की समीक्षा करने के पश्चात् कुछ निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इसमे ं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव को कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत किए गए हैं जिन पर ध्यान केन्द्रित किया गया हैः

i) "व्यवस्था कार्य का निर्माण करना।"

ii) प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण और जिला शिक्षा बोर्ड, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Education and Training - DIET) की स्थापना करना, स्वायत्तता के प्रावधान, संस्थानों की व्यवस्था और अयापकों की जिम्मेदारियों को स्थापित करना।

iii) शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के लिए कार्यों का विवरण तैयार करना, मैकेनिक्स, रचनातंत्र, निधि का प्रबंधन करना।

iv) श्रम शक्ति की योजना और माँगों की पूर्व घोषणा।

v) प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मुक्त और सतत् शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी।

vi) पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं अध्यापन–अध्ययन प्रक्रिया के विकास और उसका सावधि ाक रूप से पुनर्रीक्षण करना; तथा

vii) आँकड़ों पर आधारित, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना।

इसके अतिरिक्त, शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों एवं शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों या अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा नीति के दस्तावेज में अखिल भारतीय शैक्षिक सेवाओं की संरचना करने की सिफारिशें की गई हैं।

10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समस्याएँ और मुद्दे

1. नीति–निर्माण और नीति का कार्यान्वयन के बीच अन्तर

संघीय संरचना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सूत्रबद्ध करना या निर्माण करना एक कठिन कार्य है। इसमें संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बहुत सारे अभिकरणों के प्रयास सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय सहमति बहुत ही कम दिखाई देती है क्योंकि विधानमण्डलों के विधायक और संसद के सांसद होते हैं वे विभिन्न दलों से सम्बन्धि

ात होते हैं और वे प्रायः नीति के मुद्दों पर विभाजित हो जाते हैं और अपने भिन्न मतों के साथ इस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के मतभेदों से निपटने के लिए कुछ उपायों की परिकल्पना की है। हालाँकि, लोकतान्त्रिक प्रणाली में बहुसंख्यक निर्णय की राय को स्वीकार किया जाता है।

एक नीति अपना सही आकार उसी समय ग्रहण करती है जब उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ होती है। यही सत्य शिक्षा नीति पर भी लागू होता है। यदि कार्यक्रम योजना, संसाधनों का आबंटन तथा अध्यापन–अध्ययन के वास्तविक परिचालन के साथ जो लोग सम्मिलित हैं, वे अपने कार्य करने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं और वे लोग अपने कार्यों को बहुत ही हल्क में लेते हैं, और इस तरह से उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की जाँच के आधार पर खड़ी होती है। यह सब व्यापक रूप से होता है क्योंकि इस पर व्यापक रूप से निगरानी तथा राजनीतिक सहयोग की भावनाएँ काम करती हैं या उन पर सहयोग प्रदान करती हैं।

2. शिक्षा में समानता का पोषण करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमानताओं को हटाने पर विशेष बल देती है और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने का प्रयास करती है। परन्तु व्यवहार में इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने को लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं किन्तु यह अभी तक पुरुशों और महिलाओं के बीच व्याप्त अन्तर को पाटने में सफल नहीं हुई है। इसी तरह से समुदाय के कमजोर वर्गों और ऊँचे स्तर के लोगों एवं विकलांग तथा सामान्य जनसंख्या के बीच जो शैक्षिक असमानता है उसे यह शैक्षिक व्यवस्था कम नहीं कर पाई है।

3. विश्वसनीय आँकड़ों की कमी

अपर्याप्त आँकड़ा आधार भारत में लोक नीतियों को सूत्रबद्ध करने में बाधा उत्पन्न करता है। यह बात शिक्षा क्षेत्र में सही सिद्ध होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन कमियों को माना है तथा यह सुझाव दिया है कि शिक्षा की सीढ़ियों के सभी स्तरों पर विश्वसनीय आँकड़ा आधार का निर्माण करने के लिए विस्तृत रूप से सुझाव दिए हैं।

4. प्रशिक्षित अध्यापकों और संरचना के प्रावधान की कमी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह टिप्पणी की गई है कि प्राथमिक विद्यालयों, उच्च और उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित अध यापकों की भारी कमी हे। यह अवरोध शिक्षा में नीति के लक्ष्य को धूमिल करता है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में संरचनात्मक साधनों की कमी है, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल व्यवस्था बेहद खराब है तथा विभिन्न स्तरों पर इससे संबद्ध क्षेत्रों के बीच शैक्षिक नीति का सम्बन्ध अच्छा नहीं है, इसलिए शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थितियाँ और प्रवेष लेने की स्थितियों और शिक्षा की उपेक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

10.5 नई शिक्षा नीतिः सतत् संशोधन की आवश्यकता

जबसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/92 को सूत्रबद्ध किया गया है अथवा बनाई बनाई है तब से भारत और विश्व में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत की राजनीतिक,

सामाजिक और विकास की अवस्था, एक ऐसे चरण से गुजर रही है जहाँ पर आवश्यकताओं का अंबार लगा है इसी के परिणामस्वरूप शिक्षा पद्धति को भी दूरदृष्टि से देखा जा रहा है, अथवा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य बना हुआ है। इसलिए, इसमें सतत् संशोधन की आवश्यकता बन गई है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि भारत के संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21क को जोड़ा गया है। सन् 2009 में राज्य के हिस्से में या राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि राज्य अपने यहाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इस अनिवार्यता का पालन करने के लिए राज्य इसके लिए कानून बना कर निर्धारण कर सकता है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार ने सन् 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रामनियम के अधीन राष्ट्र के लिए नई शिक्षा नीति के निर्माण में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में प्रस्तुत की और इसके पश्चात् मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 का प्रारूप तैयार किया जिसमें कुछ नवीन सुझावों को सम्मिलित करके अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यह दोनों ही दस्तावेजों को नीति–निर्माण व सूत्रबद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश या परिणाम स्वीकार किए गए हैं। इन निर्विश्ट दस्तावेज़ बताते हैं कि विद्यालयों और उच्च शिक्षा नीति पद्धति में कौशल विकास कार्यक्रमों को नवीनतम रूप देकर इसे केवल हमारे विद्यार्थियों को लाभदायक रोजगार दिलाने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह उन विद्यार्थियों में उद्यमयिता सम्बन्ध कौशल को विकसित करने में भी सहायक होगी। यह प्रेरणा भी देगी कि व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभिक अवस्था में पाठ्यक्रम में शामिल कर दी जाएँगी जिससे बच्चों में श्रम और कौशल विकास की दिशा में उनकी सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन आएगा और श्रम के प्रति उनकी प्रतिश्ठा को बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा, दस्तावेज आगे कहता है कि शैक्षिक अभिरूचि की जाँच या परीक्षा भी ली जाएगी ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर उनके वास्तविक संभावित और उनके रूचि के क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी और उनको भविष्य में इसके लिए तैयार किया जा सकेगा।

सरकार नई शिक्षा नीति (New Education Policy - NEP) की संरचना की प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके जिसका सम्बन्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवीनीकरण और अनुसंधान से होगा साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को तैयार किया जाए और भारत को ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शैक्षिक तथा उद्योगों में श्रमबल की कमी को पूरा किया जा सके।

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता सतत् रूप से बनी हुई है। नई शिक्षा नीति पर एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंजन बनाए गए हैं, यह समिति षीघ्र शिक्षा में किए जाने वाले सुधारों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

.....

.....

2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10.6 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.)

शिक्षा के दोनों लक्ष्य हैं, इसी तरह से मानव संसाधन विकास के उपाय हैं व साधन हैं। यह देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में संतुलन स्थापित करने यह महत्वपूर्ण और निवारण भूमिका को निभाती है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अधिकतर देश इसके महत्व को समझते हैं

10.6.1 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

संविधान का 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 में अनुच्छेद 21क को जोड़ा है जिसके द्वारा प्रावधान बनाया है कि "राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।" इसके पश्चात् अगस्त 2009 में संविधान में बच्चों को शिक्षा के अधिकार को बच्चों का मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है।

10.6.2 शिक्षा का अधिकार – मूल अधिकारों का एक भाग

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संविधान (Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act), 2009 यह बच्चों का अधिकार है, यह सन् 2010 तक पूरे देश में लागू हो गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, यह सभी विद्यालयों में लागू होता है परन्तु इसमें सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त न करने वाले अल्पसंख्यकों और गैर–अल्पसंख्यकों के विद्यालयों को इसमें छूट दी गई है। इस अधिनियम में "निःशुल्क" (शिक्षा) को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि राज्य बच्चों की वित्त सम्बन्धी आने वाली बाधाओं को इसके माध्यम से दूर करेगा क्योंकि गरीबी के कारण बच्चे विद्यालयों से आठवीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, वे धन के अभाव में विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

10.6.3 सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan – SSA) की योजना को केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अपने यहाँ लागू करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता दी जाती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर होने वाले खर्चे के भार को 68:32 औसतन दर के रूप में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच हिस्सेदारी के अनुपात से खर्चे को वहन किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार निम्न प्रकार से अन्तःक्षेप करता है जिसमें नए विद्यालय खोलना, विद्यालयों का निर्माण कराना, अतिरिक्त कक्षाकक्षों की स्थापना करना या बनाना, शौचालयों का निर्माण कराना तथा बच्चों को पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध कराना, अध्यापकों के लिए प्रावधान बनाना, अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रषिक्ष दिलाना और

उनको शैक्षणिक संसाधन द्वारा सहयोग देना, बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और वर्दी देना, शिक्षण उपलब्धियों को सभी स्तरों पर प्राप्त करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन और सभी निष्पादित कार्यों की निगरानी करना है।

शिक्षा का अधिकार का एक मूल अधिकार है जो बच्चों को किसी नजदीकी विद्यालय में अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बच्चों के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसको स्पष्ट किया गया है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का अर्थ समुचित सरकार की बाध्यता है कि वे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएँ इसमें विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेष, उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। तथा इस प्रावधान को लागू करना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के समूह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को उत्तीर्ण करने तक निःशुल्क भार वहन किया जाए। निःशुल्क का अर्थ है कोई भी बच्चा शिक्षा षुल्क या खर्च के भुगतान करने के लिए वह बाध्य नहीं है अर्थात् वे अपनी शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेंगे। क्योंकि गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने में वित्त की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अतः शिक्षा के अधिकार सरकार का एक बड़ा कदम है, इसलिए बच्चों को और उनके संरक्षकों को शिक्षा के इस मूल अधिकार के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विशिष्ट प्रावधान है कि जो बच्चे विद्यालय से बाहर के हैं तथा वे नियमित रूप से विद्यालय में प्रवेष लेने में असमर्थ हैं, उनके विनियोजन प्रवेष के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में प्रवेष से वंचित रहे बच्चे पददलित समुदायों से सम्बन्धित होते हैं – अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, मुस्लिम, आप्रवासी, वे बच्चे जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता है, शहरी उपेक्षित बच्चे, काम करने वाले, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

10.6.4 प्राथमिक शिक्षा में लिंग अन्तर को कम करना

बालिका शिक्षा

शिक्षा का अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताता है तथा पद्दलित समूहों और कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बालिकाओं और बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान क अंतर्गत विद्यालय संरचनात्मक सुविधाएँ जिसमें शौचालय और पेयजल की आपूर्ति के लिए सुविधाएँ सम्मिलित हैं जैसे कि शौचालय, पेयजल पर विद्यालय/ग्राम/खण्ड तथा जिला स्तर पर आवश्यकताओं पर आध ाारित राज्य द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत सभी मंजूरसुधा नए विद्यालयों में विद्यालय के बच्चों जिसमें बालक–बालिकाएँ दोनों के शौचालयों और पेय जल की सुविधाओं को उपलब्ध कराना है।

सम्मिलित शिक्षाः शिक्षा के अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बालक या बच्चा जिसको विशेष आवश्यकता के साथ बिना किसी प्रकार, श्रेणी और विकलांगता की डिग्री का ध्यान रखे बिना इन सबको उन्नत या श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए या दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक हैं, बच्चों की अनिवार्य आवश्यकताएँ जिसमें पहचान करना, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, समुचित शैक्षिक योजना की तैयार करना, सहायता का प्रावधान और लागू करना, अध्यापक प्रशिक्षण, संसाधन, सहयोग, छंदम बाधाओं को दूर करना, निगरानी और मूल्यांकन और अनिवार्य विशेष आवश्यकता के साथ बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष घ्यान देते हुए सम्मिलित किया गया है।

10.6.5 अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापकों की उपलब्धताः प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016–17 तक की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 19.49 लाख अतिरिक्त अध्यापकों के नए पदों की भर्ती की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा का अधिकार अधि ानियम के लागू होने के पश्चात् यह अनिवार्य हो गया है कि केवल उन्हीं लोगों को अध यापकों के लिए भर्ती करेंगे जो लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा – टी.ई.टी. (Teacher Eligibility Tests - TETs) की परीक्षा पास कर सकेंगे। सी.बी.एस.ई. अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करेंगे और परीक्षा का आयोजन भी ग्यारह चरणों में पूरा करेंगे।

सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापकों की योग्यता को बरकरार रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान सभी अध्यापकों के लिए 20 दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जो अध्यापक नए भर्ती हुए हैं, उन सबको भी 30 दिन का प्रशिक्षण की व्यवस्था गई है।

10.6.6 नैतिकता–आधारित शिक्षा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान में सम्मिलित मूल्यों के साथ सुसंगतता के साथ में पाठ्यक्रम में विकास करेंगे और जो कि बच्चों की संपूर्ण विकास की गति को सुनिश्चित करेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि बाल मित्रता तथा बाल–केन्द्रित शिक्षण, बच्चों की ज्ञान पर निर्माण करना, संभावनाओं और ज्ञान तथा बौद्धिकता, भय से बच्चों को मुक्त करना और संकट तथा अन्य संकटों को झेलने की शक्ति इनमें आ जाए, यह इन सब पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पाबन्दी लगाता है। (i) षारीरिक दण्ड तथा मानसिक प्रताड़ना पर रोक था; (ii) बच्चों के प्रवेष के लिए प्रवेष की प्रक्रिया की संवीक्षा करना; (iii) कैपीटेषन फीस; (iv) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूषन फीस लेकर पढना तथा (v) और बिना मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय का संचालन करना।

10.6.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भाग 12(जे)(ग) का अधिदेश है कि सभी असहायता प्राप्त निजी विद्यालय और विशेष श्रेणी के विद्यालय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार उन निजी विद्यालयों के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं हुई है, इसका आधार राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग अधिसूचित मानकों के अनुसार दिया जाए जो अधिकतम सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना और बजट के आकार के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत भुगतान की होगी।

10.7 आलोचनात्मक अवलोकन

भारत शिक्षा के अधिकार को अधिनियमित करने के पश्चात् दुनिया अन्य 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है। हालाँकि, इसमें अभी तक बहुत सारे मुद्दे और समस्याएँ बनी हुई हैं। उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को नीचे दिया जा रहा है।

प्रथम, प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध अध्यापकों की अत्यंत कमी है। सरकारी विद्यालय प्रणाली द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। जबकि देश में यह प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध ा कराने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। इसके साथ 80 प्रतिशत मान्यता प्राप्त

विद्यालय मौजूद हैं, यह भी अध्यापकों की कमी तथा संरचनात्मक व्यापक अन्तर के कारण उत्तम शिक्षा नहीं मिल पा रही है। द्वितीय, जो बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, यह देखा गया है कि उनको विशेष लाभ होता है और इस तरह से शिक्षा में असमानता स्थापित होती है, उसका विस्तार होता है। यहाँ तक की निम्न स्तर से सम्बन्धित बच्चे जब सरकारी विद्यालयों में प्रवेष के लिए आते हैं, उनका प्रवेष नहीं हो पाता है क्योंकि उनका शैक्षिक व अन्य स्तर पर बहुत निम्न प्रकार का होता है, और वे प्रवेष पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ असहायता प्राप्त विद्यालयों ने भारत के उच्चतम न्यायालय में केस दायर किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों के सांविधानिक अधिकारों का हनन करता है।

निजी प्रबन्धन के पास यह अधिकार है कि वे सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने विद्यालयों का संचालन कर सकते हैं। इन पक्षों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वंचित लोगों के बच्चों का 25 प्रतिशत का आरक्षित कोटा सरकारी और असहायता प्राप्त निजी बच्चों में लागू करना असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय (अप्रैल, 2012) कहा कि इस प्रकार कर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। इसके बाद केस में न्यायालय ने अपनी व्यवस्था दी कि यह अधिनियम निजी असंख्यक विद्यालयों और बोर्डिंग विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा कि यह बोध होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का दृष्टिकोण के साथ निजी विद्यालयों में जहाँ क कोटा का सम्बन्ध है, यह लोक क्षेत्र में अभिप्रेरित विद्यालय नहीं होगा कि वह अपने स्तर या अपनी संरचना में सुधार कर सकें।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) शिक्षा के अधिकार के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

यह माना जाता है कि शिक्षा मानवीय क्षमता को प्राप्त करने और एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास का मुख्य कारक है, और इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय विकास को

बढ़ावा देती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना भारत की निरंतर चढ़ाई के लिए अंतर्निहित कारक है, और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक मंच पर नेतृत्व करना।

भारत में आने वाले दशक में दुनिया में सबसे अधिक युवा लोगों की आबादी है, और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की क्षमता हमारे देश के भविष्य को निर्धारित करेगी।

वैश्विक शिक्षा विकास कार्यवृत्ति 2030 सतत् विकास की कार्यवृत्ति (Agenda for Sustainable Development) के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित हुआ, जिसे भारत ने 2015 में अपनाया - 2030 के लिए "समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास" संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को अधिगम का समर्थन करने और सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक कायापलट की आवश्यकता है, ताकि सतत विकास के लिए 2030 कार्यवृत्ति के सभी लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त किया जा सके।

पाठ्यक्रम में बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, खेल और फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल होना चाहिए, विज्ञान और गणित के अलावा, शिक्षार्थियों के सभी पहलुओं और क्षमताओं को विकसित करना और शिक्षा को अधिक समग्र और उपयोगी बनाना।

शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के लिए आवश्यक होना चाहिए। नई शिक्षा नीति को सभी स्तरों पर, हमारे समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में, शिक्षकों को फिर से स्थापित करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में हमारी अगली पीढ़ी के नागरिकों को आकार देते हैं। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेश, और समानता प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। यह सुनिश्चित करने के लिए पहल होनी चाहिए कि इस तरह के समूहों के सभी छात्रों को अंतर्निहित बाधाओं के बावजूद, शैक्षिक प्रणाली में प्रवेश करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न लक्षित अवसर प्रदान किए जायें।

शिक्षा पर पिछली नीतियों के कार्यान्वयन ने बड़े पैमाने पर पहुंच और इक्विटी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 में संशोधित की गई थी और 1986/92 की अंतिम नीति के बाद से एक बड़ा विकास किया गया है, बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी कमियों को निर्धारित करता है।

शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य तर्कसंगत सोच और कार्य करने में सक्षम अच्छे मनुष्यों को विकसित करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक कल्पना पर केंद्रित है, जिसमें ध्वनि नैतिकता और मूल्य हैं। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित के रूप में एक समतामूलक, समावेशी और बहुवचन समाज के निर्माण के लिए लगे हुए, उत्पादक और योगदान करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है।

उच्च शिक्षा मानव के साथ-साथ सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने और भारत को अपने संविधान में परिकल्पित के रूप में विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - लोकतांत्रिक, न्यायसंगत, सुसंस्कृत, और मानवीय राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सभी के लिए न्याय।

उच्च शिक्षा राष्ट्र की स्थायी आजीविका और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अधिक से अधिक युवा भारतीयों को उच्च शिक्षा की आकांक्षा है।

उच्च शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्च शिक्षा संस्थानों के बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के समूहों /नॉलेज हबों में परिवर्तित करके उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्रों को रखना होगा।

इस नीति का उद्देश्य बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के समूहों में जाना है, जो उच्च शिक्षा की संरचना के बारे में इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है। एक विश्वविद्यालय का अर्थ उच्च शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना है। इस नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक-आधारित, बहु-विषयक, समग्र स्नातक शिक्षा की परिकल्पना, विषयों का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रवेश और निकास बिंदु शामिल हैं। अलग-अलग उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित डिजिटल क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अंतिम रूप से अर्जित डिग्री की ओर गिना जा सके।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में दो बार कॉमन कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। यह 2022 सत्र से लागू किया जाएगा। स्नातक की डिग्री निकास विकल्पों के साथ 4 वर्ष की होगी जो निम्नानुसार है। 1 वर्ष के बाद बाहर निकलें तो एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, 2 साल के बाद बाहर निकलें एक डिप्लोमा प्रदान करेगा और एक ब्रेक के बाद डिग्री को पूरा करने के लिए एक मिड टर्म ड्रॉप आउट का विकल्प दिया जाएगा।

स्नातक कार्यक्रम प्रकृति में बहु-विषयक होंगे और कला और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। कला, भाषा और संस्कृति को सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा। एम. फिल डिग्री को बंद कर दिया जाएगा और 2040 तक, आई.आई.टी. जैसे सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु-विषयक बन जाएंगे। विज्ञान के छात्रों और इसके विपरीत कला और मानविकी विषयों का अधिक समावेश होगा।

दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। संबद्ध महाविद्यालयों की प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध किया जाएगा और महाविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने के लिए अधिक स्वायत्तता और शक्ति प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थिति समाप्त हो जाएगी और NCERT के परामर्श से NCTE द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NCFTE 2021 तैयार की जाएगी।

2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री। मेंटरिंग के लिए नेशनल मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ /सेवानिवृत्त

फैकल्टी का एक बड़ा पूल होगा, जो विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक सलाह/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होगा।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त जहाज और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए धन, बेहतर छात्र सेवाओं, MOOCs की क्रेडिट-आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दूरस्थ शिक्षा उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के बराबर हो।

दुनिया विभिन्न नाटकीय वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ ज्ञान के क्षेत्र में तेजी से बदलाव कर रही है, जैसे कि बड़े डेटा, मशीन सीखने और कृत्रिम बुद्धि का उदय, और परिणामस्वरूप दुनिया भर में कई अकुशल नौकरियों को मशीनों द्वारा लिया जा सकता है, जबकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और मानविकी में बहु-विषयक क्षमताओं के संयोजन के साथ, विशेष रूप से गणित, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान को शामिल करने वाले एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता अधिक से अधिक मांग में होगी।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान के लिए भी कॉल करेंगे और परिणामी सामाजिक मुद्दों को बहु-विषयक सीखने की आवश्यकता को बढ़ाएंगे। मानविकी और कला की बढ़ती मांग होगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

इसका उद्देश्य 2040 तक भारत के लिए एक शिक्षा प्रणाली होना चाहिए जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो और जल्दी से बदलते रोजगार परिदृश्य और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि बच्चे ही नहीं सीखें, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखना कैसे सीखें। शिक्षा शिक्षा को और अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख, सीखने-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला और निश्चित रूप से, सुखद बनाने के लिए विकसित होना चाहिए।

जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक तरीके संभव नहीं हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए महामारी और महामारी में हाल ही में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट कवर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (Indian Institute of Translation and Interpretation - IITI), राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान) पाली, फारसी और प्राकृत के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने, और मातृभाषा /स्थानीय भाषा का उपयोग करने का सुझाव देता है जो शिक्षा का एक माध्यम है।

अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों कार्यक्रम

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण दोनों संस्थागत सहयोगों, और छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से और भारत में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंक वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय आदि बहु-विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। नीति का लक्ष्य 100ः युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण एचआरडी मंत्रालय में बनाया जाएगा, अब स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय। एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (National Educational Technology Forum (NETF) शिक्षण, मूल्यांकन, योजना, प्रषासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी, निजी और ओपन में एक ही ग्रेडिंग और नियम होंगे और सभी यूजी पाठ्यक्रमों में प्रमुख और मामूली विषय होंगे।

उच्च शिक्षा संस्थानों की बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities - MERUs), आई.आई.टी., आई.आई. एम. IIM के साथ, देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किए जाने के लिए। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा के दौरान मजबूत अनुसंधान संस्कृति और निर्माण अनुसंधान क्षमता।

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India - HECI) की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल ओवररचिंग छतरी निकाय के रूप में की जाएगी। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित होंगे। शैक्षणिक मानक और संस्थान एक प्राधिकरण द्वारा शासित होंगे।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक उपकरण है जो शिक्षा के परिवर्तन और लोकतंत्रीकरण के बारे में लाएगा जो आने वाले वर्षों में पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा।

10.9 निष्कर्ष

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि शिक्षा हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचार व सुधारात्मक भूमिका निभाती है। बच्चे और युवा वर्ग एक सम्पत्ति और मूल्यवान संसाधन है, उनकी सावधानीपूर्वक तथा व्यवस्थित पोषण करना, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधिक पालन पोषण की नितांत आवश्यकता है ताकि ये लोग जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह हमारे शिक्षा का अधिकार के संपूर्ण विकसित की आवश्यकताएँ हैं जिसमें वे शिक्षा में सषक्त आधार का निर्माण करने में सक्षम हों और वे अपना सुहावना भविष्य के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। उच्च कोटि की शिक्षा नए ज्ञान–विज्ञान, नवीनीकरण और उद्यमिकता की आधारषिला रख सकते हैं जिसके माध्यम से यह लोग देश के विकास तथा वैभव व समषद्धि का नेतृत्व कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के महान नेताओं ने शिक्षा की व्यापक भूमिका को स्वीकार किया था। गान्धी और सरदार पटेल हमेशा ही देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए आह्वान करते थे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शिक्षा भारत सरकार और राज्यों की प्रमुख चिन्ता रही है और इंडोनेषिया को व्यक्तिगत संवृद्धि और व्यापक राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण कारक मानते हुए इसमें लगातार प्रगति कर रहे हैं।

10.9 शब्दावली

संघीय व्यवस्था (Federal system): संपूर्ण राष्ट्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कानूनी प्राधिकारिता का वितरण वर्णन करना।

समवर्ती शक्तियाँ (Concurrent powers): सरकार के संघीय व्यवस्था की शक्तियाँ या उनका क्षेत्राधिकार जैसे कि भारत के द्वारा संघीय सरकार और राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकारिता दोनों के द्वारा शासन में भागीदारी करना।

नीति (Policy): एक सरकार द्वारा निर्मित दस्तावेज कि वह कानून, नियम–विनियम या एक प्राधिकारिता पूर्ण निर्णय के माध्यम से क्या करना चाहती है।

कार्यान्वयन (Implementation): एक प्रक्रिया जिसमें सरकार द्वारा नीतियों को अधि ानियमित किया है इसको न्यायोचित अभिकरणों के माध्यम से परिचालन या संचालन किया जाना है।

10.10 संदर्भ लेख

Basu, D.D. (2015). *Introduction to the Constitution of India*. Gurgaon, India: Lexis.

De, A. & Dreze, J. (1999). *Public Report on Basic Education in India.* Delhi, India: Oxford University press.

Government of India. (1986). *National Policy on Education, 1986 (with Modifications undertaken in 1992)*. New Delhi, India: Ministry of Human Resources Development, New Delhi.

Government of India. (2009). *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act*. New Delhi, India: Ministry of Law and Justice.

Singh, Y. K. & Nath, R. (2013). *History of Indian Education system*. Delhi, India: APH Publishing.

World Bank. (2014). *World Development Indicators, Participation in Education.* Washington D.C., USA: World Bank.

10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज 1 और 2
   - बालिका शिक्षा
   - व्यापक शिक्षा
   - अध्यापकों की उपलब्धता
   - सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण

2) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - नीति–निर्माण और बच्चों के बीच अन्तर
   - शैक्षिक स्तरों और असमानताओं के मुद्दे
   - विश्वसनीय आँकड़ों की कमी

- शिक्षा अध्यापक और संरचना के प्रावधान में गुणवत्ता की कमी

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
   - शिक्षा का अधिकार – मूल अधिकारों का एक भाग
   - सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार
2) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - सरकारी विद्यालय व्यवस्था के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है।
   - जो बच्चे निजी विद्यालयों में प्रवेष लेते हैं उनमें यह देखा जाता है कि वे विशेष लाभ प्राप्त करते हैं और इसीलिए वे शिक्षा में असमानता को पैदा करते हैं अर्थात् इस तरह से असमानता में वृद्धि होती है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 11 स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 के अपनाने से पहले स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली

11.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983

11.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002

11.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

11.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

11.7 निष्कर्ष

11.8 शब्दावली

11.9 संदर्भ लेख

11.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगे:

- स्वास्थ्य नीति का महत्व और इसका अर्थ;
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के विकास में विभिन्न स्तर; और
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए गए प्रयासों के प्रभावों की समीक्षा।

11.1 प्रस्तावना

धन और प्रसिद्धी के सहित लाभों में सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य का होना है। मनुश्य के पास जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वह स्वास्थ्य है और यह उसकी वास्तविक खुशियों के स्रोत है। सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के शब्दों में लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर किसी को उच्च महत्व देने का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य में निवेश करना मानव संसाधन विकास पर निवेश करना है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा और वैभव निर्भर है। जीवन की गुणवत्ता के सुधार की शर्तों में स्वास्थ्य विकास, इसलिए अत्यावष्यक है। परन्तु, इसको सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची के रूप में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए और व्यापक सीमाओं में स्वास्थ्य क्रियाकलापों में आवश्यक प्रयास और निर्देशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा स्वयं सरकारी मशीनरी में यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य नीति के ढाँचे के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से लोगों को बताया जाना चाहिए।

"स्वास्थ्य नीति" के शब्दों की परिभाषा स्वास्थ्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक निश्चित कार्रवाई की घोषणा के रूप में की जा सकती है। यह एक सामान्य निर्देशन है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य कार्य की व्याख्या और निष्पादित की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation - WHO) के कार्यकारी बोर्ड के उद्धरण के अनुसार, "एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना, अन्य लक्ष्यों में

प्राथमिकता देना और उनको पूरा करने के लिए मुख्य रूप से निर्देश देने के लिए लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है" (डब्ल्यू. एच. ओ. 2000)।

11.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 के अपनाने से पहले स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली

स्वतंत्रता के समय, देश को स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्य के शासन द्वारा दी गई विरासत थी जो आवश्यक रूप से सेना के बलों को औपनिवेषिक प्रशासकों और स्थानीय कुलीन लोगों को ही उपलब्ध कराई जाती थी। इस तरह से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, कुलीन लोगों पर केन्द्रित थी तथा रोगनाशक मूलक थी, ग्रामीण लोगों को व्यापक रूप से न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल सेवा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। यदि व्यापक रूप से कहा जाए तो स्वास्थ्य स्थिति के साथ चार प्रमुख समस्याएँ जुड़ी हुई थीः जनसंख्या का अधिक होना, संचारित रोगों की व्यापकता से घटनाओं का घटित होना, कुपोषण की समस्या तथा स्वास्थ्य देखभाल संरचनाओं की बेहद कमी होना सम्मिलित था।

भोरे समिति रिपोर्ट (1946)

भारत में जो वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, इसका मूल सर जोसेफ भोरे (Sir Joseph Bhore) की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की नियुक्ति 1943 में की गई (भारत सरकार, 1946)। इस समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का आधार है। शहरी

स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए की गई सिफारिशों के अतिरिक्त कुछ नियम भी निर्धारित किए गए थे। भोरे समिति रिपोर्ट में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व सफाई व्यवस्था और आवास की सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया था। समिति ने जोर देकर कहा है कि "चिकित्सा राहत और रोकथाम स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था जितना भी षीघ्रता से जो सकता है, देश की ग्रामीण जनसंख्या के व्यापक रूप से तुरंत उपलब्ध कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।"

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम स्वास्थ्य योजना

अक्तूबर 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम आरंभ होने के साथ ही आधुनिकता की षुरुआत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (Primary Health Centres - PHCs) के कार्यक्रमों की स्थापना और उनका क्रियान्वयन आरंभ हुआ, यह ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास का एक अभिन्न घटक रखा गया था। इसके साथ ही प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड (Community Development Block) के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत तीन उपकेन्द्रों की स्थापना की गई थी। इसमें लगभग 60,000 लोगों को ग्रामीण जनसंख्या को समाहित करते हुए उनको रोगनाशक, रोकथाम तथा प्रगतिशील सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक केन्द्र बिन्दु के रूप में परिकल्पना की गई थी। इस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत उपकेन्द्रों के माध्यम से इस योजना का विस्तार और प्रसार किया गया।

सन् 1973 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक उपकेन्द्रों में प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (Auxiliary Nurse Mid-wife) और प्रशिक्षित पुरुश स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को नियुक्ति किया जाएगा और इनको बहु–प्रयोजन कार्यकर्त्ता (Multi-purpose Worker) के नाम से जाना जाएगा तथा ये लोग केन्द्रों में एक पैकेज के रूप में अपनी स्वास्थ्य सेवाएँ

उपलब्ध कराएँगे। इसके बाद भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया जिसमें अक्तूबर 1977 से ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना (Village Health Guide Scheme) से सम्बन्धित होंगे जिसका कार्यान्वयन किया जाएगा और इन कार्यकर्त्ताओं को समुदायों के अन्दर से नियुक्त करके इनको मूल स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का मूल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये लोग मातृ देखभाल करने के कार्य में सहायता करेंगे तथा माताओं को शिक्षित करेंगे जिसका विषय होगा प्रतिरक्षण और परिवार कल्याण योजना (Immunisation and Family Welfare Schemes)। यह मातृ सेवा में सहायता करने का कार्य करेंगे।

सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ

भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर उस समय रखा गया था जब कज़ाखिस्तान में आल्मा–एता में की गई घोषणा (Alma-Ata Declaration) (विश्व स्वास्थ्य संगठन – यूनीसेफ ने 12 सितम्बर 1978 को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रायोजित करने की घोषणा की) कज़ाखिस्तान में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण के माध्यम से "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" (Health for All by 2000) देखभाल करने की सिफारिशें की थी, इसी समय से इस योजना में बेहद तीव्रता से क्रियान्वयन देखने में आया है।

11.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy - NHP), 1983, जिसको संसद द्वारा पारित किया गया था, वह "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" की उपलब्धि करने के लिए आल्मा–एता में की गई घोषणा की अनुक्रिया में प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया था। इसमें यह स्वीकार किया गया कि विकास के केन्द्र मुख्य या प्रमुख स्वास्थ्य है, इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि सब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच हो यानी की स्वास्थ्य सेवाओं का सबको लाभ प्राप्त हो। इस को फिर से दोहराया गया कि समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ प्राप्त हो और इस कार्य में समुदाय को और भी सहयोग प्राप्त हो। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुधारने के लिए कुछ निवेशों को करने के लिए कुछ प्राथमिकताओं को मान्यता दी है जैसे कि पोषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करना और दवाइयों और स्वास्थ्य देखभाल की विभिन्न प्रणालियों को सम्मिलित करना, सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली में उत्तरदायित्व और कार्य निष्पादन के विशिष्ट क्षेत्रों में जिम्मेदारी लेना विशेषकर रोकथाम, प्रगति कार्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मॉडल के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने आल्मा–एता में की गई घोषणा के अंतर्गत सम्मिलित एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यों को मान्यता दी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अंतर्गत विशेष प्रकार के कदम उठाए गए थेः (i) चरण, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नियोजित करना, सुविस्तारित स्थापना के समयबद्ध कार्यक्रम; (ii) स्वास्थ्य स्वयंसेवी समुचित ज्ञान और सामान्य कौशलों के माध्यम से अन्तःमध्यस्थता; (iii) सुव्यवस्थित संदर्भित प्रणाली की स्थापना; और (iv) घटनात्मक विस्तारित विशेषज्ञता और सुपर–विशेषज्ञ सेवाओं की स्थापना करना।

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में सुधार देखने के बावजूद, इसमें अभी भी बहुत सारी कमियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के निरूपण की दिशा में इन परम्पराओं को मान्यता देना अभी शेष है।

11.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का सूत्रबद्ध 1983 में अंतिम से किया गया था और तब से लेकर अब तक स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित कारकों के निर्धारण में अनेक परिवर्तन देखने में आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य "देश की सामान्य जनसंख्या के बीच अच्छे स्वास्थ्य के एक स्वीकृत स्तर को प्राप्त करना था।" पिछड़े क्षेत्रों में नई संरचनाओं की स्थापना करना और विद्यमान संस्थानों में संरचनाओं में परिवर्धन करने के माध्यम के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने का प्रयास किया था।

अभिभावी महत्व, देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक और भौगोलिक विस्तार की ओर अधिक समान पहुँच को सुनिश्चित करना है। संघ सरकार के द्वारा गुणात्मक वृद्धि के अंषदान के द्वारा ठोस वृद्धि के माध्यम से औसतन लोक स्वास्थ्य निवेश में प्रगति करने पर जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस नीति में जोर दिया है कि निजी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ विशेष कर उस जनसंख्या के समूह के लिए जोकि सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम हैं और उसका वे भुगतान करने में सक्षम हैं। प्राथमिक रूप से रोकथाम की व्यवस्था की गई है और आबंटन के क्षेत्रीय अंष में वृद्धि करने के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर प्रथम लाइन रोगनाशक कार्यवाही आरंभ की गई है। एलोपैथिक प्रणाली के अंतर्गत, दवाइयों के प्रासंगिक प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2000 ने परम्परागत दवाइयों की जाँच की गई प्रणाली की क्रिया पर भी बल दिया है।

संक्षेप में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य की व्यापक कमियों की अनेक प्रकार से पहचान की गई है, तथा स्वास्थ्य देखभाल पर केन्द्र सरकार के खर्चों में ठोस वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र के लिए विनिमयन करने का भी प्रस्ताव है। हालाँकि, परिचालन या संचालन के शब्दों में आल्मा–एता (Alma-Ata Declaration) में की गई घोषणा का परित्याग भी किया गया है तथा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के निजीकरण और अधिक कानूनी रूप देने का प्रस्ताव भी है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 को स्वीकार करने से पहले की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

11.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की घोषणा केन्द्र सरकार ने की जो कि मिश्रित प्रक्रिया की एक श्रेष्ठतम नीति है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को अपनाने से पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मसौदा प्रतिपादित किया और दिसम्बर 2014 में इसको सार्वजनिक प्राधिकार में लागू कर दिया गया था। इसके पश्चात् पणधारियों और राज्य सरकारों के विस्तार से चर्चा की गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मसौदा बेहद उपयोगी व लाभदायक बना दिया गया। फरवरी, 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए केन्द्र सरकार से इसको लागू करने या इसके प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त की।

रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल को उन्नत करना तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता के साथ उनको सार्वजनिक करना तथा उनकी सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा "स्वास्थ्य और निरोग केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यापक रूप से सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैकेज के प्रावधानों को तैयार किया गया है। इस स्वास्थ्य देखभाल पैकेज को मुख्य असंचारित रोग (Non-Communicable Diseases – NCDs), मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health), उपषमन देखभाल (Palliative Care) तथा पुनर्वास देखभाल सेवाओं (Rehabilitative Care Services) को विस्तार रूप देकर लागू करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का लक्ष्य और उद्देश्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का प्राथमिक उद्देश्य "सूचना, स्पष्ट सषक्त और इसके सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देने में सरकार की भूमिका को प्राथमिकता देना है। स्वास्थ्य में निवेश करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए संगठन निर्माण करना, रोगों की रोकथाम करना, क्षेत्र की सीमाओं के आर–पार की कार्रवाई के द्वारा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उसको उन्नत करना, प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना, मानव संसाधनों का विकास करना, चिकित्सा सम्बन्धी बहुतत्वों को प्रोत्साहित करना, जानकारी व ज्ञान के आधार का निर्माण करना" लोक क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यह अधिकार देती है, कि गैर–सरकारी स्वास्थ्य देखभाल कराने की सुविधा देने वालों को प्राधिकृत करके उनकी सेवाओं का प्रयोग किया जाए। इस नीति का यह उद्देश्य है कि रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च होने वाली लागत में उनकी जेब खर्च में महत्वपूर्ण कमी करना है। लीक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विश्वास करते हुए इसको सशक्त बनाना और लीक स्वास्थ्य लक्ष्य के साथ गठबन्धन में परिचालन को गति प्रदान करना और निजी स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी उद्योगों को उन्नत करना तथा अच्छी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का यह प्रस्ताव भी है कि सभी सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क रोग निधान करना और निःशुल्क आपातकालीन

देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करायी जाये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, में यह कहा गया है कि कार्यनीतिक खरीददारी, क्षमता निर्माण करना, कौशल विकास कार्यक्रमों, जागरूकता पैदा करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समुदाय के लिए सतत् संजाल विकसित करना और आपदा प्रबंधन के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निजी संगठनों व संस्थानों के साथ सहयोग करने का प्रावधान है। नीति इसका समर्थन करती है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और ग़ैर–वित्तीय सहायता दी जाए। इसके अतिरिक्त, नीति यह प्रस्तावित करती है कि समयबद्ध तरीके से सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, रोग रोकथाम देखभाल तथा पुनर्वास देखभाल सेवाओं को शामिल किया गया है। नीति यह भी समर्थन करती है कि द्वितीयक और तृतीयक देखभाल का पालन करते हुए प्राथमिक देखभाल के संसाधनों को (दो–तिहाई या इससे अधिक) प्रमुख औसतन में आबंटन किया जाए।

नीति, विशिष्ट गुणात्मक लक्ष्ययों को निर्धारित करती है जिसका उद्देश्य रोगों को कम करना है। यह स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर देती है और सन् 2020 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को रोगों के लिए पंजीकरण व्यवस्था की स्थापना करने के लिए बल देती है। इस नीति में यह भी प्रावधान है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ चिकित्सा साधनों और उपकरणों के लिए अन्य लोगों से गठबन्धन किया जाए। नीति में प्रमुख ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में बाल और किशोरों की स्वास्थ्य देखभाल, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधिकतम स्तरों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

प्रभावन क्षमता की दिशा में वृद्धि करने के लिए बहुआयामी स्वास्थ्य देखभाल विरासत की नीति का अनुमोदन है कि विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को सार्वजनिक सुविधाओं में सह–स्थिति के माध्यम से आयुश (AYUSH) तक की पहुँच हो और उसका समाधान है। इसमें यह भी कहा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि करने के एक हिस्से के रूप में विद्यालयों और कार्य स्थलों में व्यापक रूप से योग कराने के कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 यह भी समर्थन करती है कि स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता और उसके परिणाम में सुधार लाने के लिए व्यापक डिजिटल साधनों का नियोजन किया जाना चाहिए ताकि विनियमन, विकसित करने तथा देखभाल को सतत् रूप से संचालित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Digital Health Authority - NDHA) की स्थापना की जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 यह भी प्रतिपादित करती है कि वर्तमान स्तरों से स्वास्थ्य देखभाल को सुधारने के लिए दीर्घ अवधि स्वास्थ्य लक्ष्यों को भी स्थापित किया जाना चाहिए। ये निम्न प्रकार हैं:

स्वास्थ्य की स्थिति और कार्यक्रम का प्रभाव

क्र. सं.	संकेतक	वर्तमान स्थिति (वर्ष: 2017)	लक्ष्य (तक)
1	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	67.5	70 (2025)
2	कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR)	2.43	2.1 बच्चे प्रति महिला (2025)
3	शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate - IMR)	40.5	28 (2019)
4	मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate - MMR)	174	100 (2020)
5	पाँच के अंतर्गत मृत्यु दर	35	23 (2025)
6	सुरक्षित जल और स्वच्छता (साफ सफाई) तक की पहुँच		स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत (2020) तक
7	सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय या खर्च (सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के अनुसार)	1.15%	2.5% (2025)
8	चिकित्सकों की उपलब्धि	-	उच्च प्राथमिकता जिलों (2020) में आई.पी.एच.एस. के मानकों के अनुसार
9	प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल सुविधा	-	उच्च प्राथमिकता जिलों (2025) में आई.पी.एच.एस. के मानकों के अनुसार
10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क (National Health Information Network)	-	नेटवर्क (2025)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के नियम

प्रथम बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 द्वारा निर्धारित दस प्रमुख नियम। ये निम्न प्रकार हैं:

- व्यावसायिकवाद, एकीकृत और नीतिविषयक (Professionalism, Integrity and Ethics;
- साम्या (Equity);
- समर्थ होना (खर्च कर सकना) (Affordability);
- सर्व व्यापकता (Universality)
- रोगीमूलक और देखभाल की कोटि (Patient-centered & Quality of Care);
- उत्तरदायित्व (Accountability);
- सम्मिलित सहभागिता (Inclusive Partnerships);
- बहुपक्षवाद या बहुपक्षीय (Pluralism);

- विकेन्द्रीयकरण (Decentralisation) और
- गतिवाद और अनुकूलता (Dynamism and Adaptiveness)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण में सुधार हेतु निम्नलिखित सात प्राथमिक क्षेत्रों में समन्वय कार्य करने के लिए पहचान की गई है:

1. स्वच्छ भारत अभियान
2. संतुलित, स्वास्थ्य आहार और नियमित व्यायाम
3. तम्बाकू, षराब और स्वापक पदार्थों पर रोकथाम करना
4. यात्री सुरक्षा – रेल और मार्ग यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम करना;
5. निर्भयकारी – लिंगगत होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कार्रवाई करना;
6. कार्य स्थल पर तनाव कम करना और सुरक्षा में सुधार करना; और
7. अन्दर और बाहर के वायु प्रदूषण को कम करना।

इस नीति में इन सात क्षेत्रों के प्रत्येक के साथ में कार्यनीतियों का विकास करने और संस्थागत रचनातंत्र के लिए एक–दूसरे को संबद्व करने की आवश्यकता – स्वास्थ्य नागरिक अभियान (Swasth Nagrik Abhiyan) को बनाना – स्वास्थ्य के लिए सामाजिक आन्दोलन की षुरुआत करना सम्मिलित हैं। इसमें संकेतकों का विवरण दिया है, उनके लक्ष्यों और उनको समझने के लिए रचनातंत्र का निर्माण करने की सिफारिश की गई है।

कार्यान्वयन का ढाँचा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रतिपादित करती है कि कार्यान्वयन के ढाँचा को स्थापित करना चाहिए ताकि नीति की प्रतिबद्धता पर कार्रवाई की जा सके। जैसे कि कार्यान्वयन का ढाँचा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मील के पत्थर तथा दिए जाने योग्य के मार्ग का नक्षा उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का आलोचनात्मक मूल्यांकन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को केन्द्र सरकार ने 15 मार्च 2017 को घोषणा की थी, इससे स्पष्ट होता है कि नीति से सम्बन्धित कार्यों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने की दिशा में एक सराहनीय उपाय माना गया है। जबकि नीति स्वयं यह बताती है कि "स्वास्थ्य" भारत के संविधान के अनुसार राज्य का विषय है। परन्तु राज्य सरकारें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रतिपादन की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हुई थी।

द्वितीय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017, प्रत्येक नागरिक को सामर्थ्यपूर्ण और कोटि की स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य करने का सामना कर रही है। यद्यपि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ने दस प्रमुख नियमों को प्रतिपादित किया हुआ है, इनको वास्तव में नीति के कार्यान्वयन के निष्पादन में पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में निश्चित स्थिति में नहीं है (सन् 2018–19 में 7.1 प्रतिशत), देश के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index - HDI) सन् 2018 में 189 देशों की सूचीक्रम में 130वाँ स्थान था। भारत में लोगों के जन्म की प्रत्याशा सन् 2016 में 68.3 वर्ष पर आकर खड़ी हुई है और सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income - GNI) प्रति व्यक्ति आय 5663 इसी वर्ष में थी। परन्तु भारत विश्व का पाँचवाँ रोग भार

वाहन है और यहाँ पर असंचारित रोगों की घटनाओं में बेहद वृद्धि हो रही है जैसे कि मध ुमेह बीमारी और देखभाल के लिए भुगतान की वित्तीय व्यवस्था की बुरी स्थिति है, भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के देशों में अत्यधिक पिछड़ा हुआ देश है। यद्यपि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने जानी–पहचानी कमियों को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से एक अवसर दिया है। देश में अधिकतर गाँवों में स्वच्छता व साफ–सफाई नहीं के बराबर है वहीं पर पीने के पानी की सुविधाएँ नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और संचारित रोगों की घटनाएँ अपने उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।

अत्यंत डगमगाती कमियों के बीच स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक फंडिंग का अभाव है। इसको सुधारने में राज्यों के साथ भागीदारी में निर्णायक हो सकती है यदि केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्तमान 1.15 प्रतिशत से 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का व्यय 2.5 प्रतिशत हो जाएगा। देश में स्वास्थ्य की स्थिति को देखने पर लगता है कि स्वास्थ्य पर व्यय की गई वृद्धि नीति को लक्ष्यों को प्राप्त करने में समुचित नहीं हैं जैसा कि वृद्धि करने के सुझाव दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त और अधिक चिकित्सकों और पैरा–मेडिकल कर्मियों की ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल करने के लिए आवश्यकता होगी। प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों की उपलब्धता नए जन्म शिशुओं की मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिल सकेगी और उच्च संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रतिफल अच्छे मिलने की संभावना बन जाएँगी। तत्कालीन वर्शों में ये आँकड़े 80 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गए हैं। यह आलोचना का सबसे बड़ा बिन्दु है कि ग्रामीण भारत में चिकित्सकों, नर्सों, दवाइयों और अस्पतालों की दुखदायीपूर्ण कमी हैं। इसी प्रकार से एच. आई.डी. में क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं। इन कमियों को षीघ्र पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

इक्कीसवीं सदी ने पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप देखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation - WHO) ने नोवेल कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) को 11 मार्च, 2020 को एक महामारी घोषित कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेष के महत्व को पूरी दुनिया को महसूस कराया। इससे यह अहसास भी हुआ कि स्वास्थ्य मानव पूंजी की उत्पादकता का एक प्रमुख संकेतक है। इस महामारी के प्रकोप के बाद, भारत सरकार ने तैयारियों और प्रतिक्रिया के उपायों की शुरुआत की। इसमें लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, निगरानी, अनुबंध अनुरेखण, परीक्षण और समुदाय के प्रसार, सामुदायिक भागीदारी, अस्पतालों की तैयारी, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे उपाय शामिल थे। 24 मार्च 2020 को, भारत में लॉक डाउन के पहले चरण को लागू किया गया था, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया, जो कि कोविड-19 के प्रभाव की तीव्रता पर निर्भर करता है। भारत ने भी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत विशिष्ट नियमों और विनियमों को अपनाया था। कोविड-19 संकट के प्रभावी प्रबंधन के लिए, अस्पतालों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात, समर्पित कोविड अस्पताल (Dedicated COVID Hospital - DCH), समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (Dedicated COVID Health Centre - DCHC) और समर्पित कोविड देखभाल केन्द्र (Dedicated COVID Care Centre (DCCC)।

निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवाएँ लेने पर विश्वास करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि वास्तव में सच यह है कि 70 प्रतिशत सभी बाहरी रोगियों का इलाज निजी क्षेत्र कर रहा है। परन्तु

यहाँ पर उत्तरदायित्व का एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि निजी क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई देखभाल करने की कोटि और लागत दोनों को कैसे उचित माना जाए और उस पर किस प्रकार से विश्वास किया जाए कि वह सही है। इसलिए, यह योजना हो गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए विनियमायक व नियंत्रित करने और उसको मान्यता देने जैसे विषयों के लिए रचनातंत्र व संस्थान की स्थापना करना अत्यंत अपरिहार्य है ताकि निजी क्षेत्रों पर व्यवस्थित रूप से नियंत्रण निष्पादित किया जा सके। इस प्रकार की असावधानी, अनैतिक व्यापारिक तत्व व सत्ता आसानी से सार्वजनिक कोष तक पहुँच पर उसे नष्ट कर देंगी। इस तरह से अस्वास्थ्यकर व्यवहार को रोकना अत्यंत आवश्यक है तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों को कानून के अंर्तगत प्रमाणपत्र दिए जाए और उन पर विनियमता को लागू किया जाए। इनको रोग के इलाज सम्बन्धी मान्यता देना एवं इन पर संरचनात्मक निगरानी रखना नितांत आवश्यक होता है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर आवश्यक संतुलन बनाए रखने तथा निगरानी की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है।

11.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission - NHM)) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission - NRHM)) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission - NUHM), दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आरंभ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है, ताकि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। प्रारंभ में सन् 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया गया था और 18 राज्यों को स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों की पहचान करके इसको लागू किया गया था। इसके पश्चात् राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में आरंभ करने के साथ ही इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सम्मिलित कर लिया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित कर दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य साम्यता, सामर्थ्यपूर्ण होना और उच्च कोटि की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से पहुँचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रति, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। इसके प्रमुख कार्यक्रम के घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को सषक्त करना, जनन–मातृत्व–नवजन्में बच्चों और किशोर अवस्था के स्वास्थ्य (Reproductive-Maternal-Neonatal-Child and Adolescent health - RMNCH+A) से सम्बन्धित संचारात्मक और असंचारात्मक रोगों की रोकथाम, उनमें हस्तक्षेप और नियंत्रण करना सम्मिलित किया गया है। स्वास्थ्य मिशन का मुख्य केन्द्र बिन्दु सभी स्तरों पर सम्पूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक प्राधिकृत, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली और इसके साथ अन्तर क्षेत्रीय सामाजिक रूपता की स्थापना पर ध्यान देना है ताकि स्वास्थ्य की निर्धारण की व्यापक सीमाओं पर समान रूप से करना सुनिश्चित किया जा सके जैसे कि शिक्षा, षुद्ध जल, स्वच्छता या साफ–सफाई और जेन्डर समानता इत्यादि।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख सूत्रपात या पहलें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुछ प्रमुख सूत्रपात या पहलें निम्न प्रकार हैं:

1) **स्वास्थ्य देखभाल के लिए निधि में वृद्धि करना (Increase in Funding for Healthcare)** : स्वास्थ्य देखभाल में जमीनी स्तर पर सुधार करने के लिए उपकेन्द्रों

के संयुक्त अनुदान का प्रयोग करना। उदाहरण में (i) क्षेत्र में सहायक नर्स मिडवाइविज (Auxiliary Nurse Midwives - ANMs) अब प्रसवपूर्व देखभाल तथा अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने में बेहतर सक्षम हो गई; ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता या साफ सफाई और पोषण समितियाँ (Village Health Sanitation and Nutrition Committees - VHSNC) शामिल हैं, गरीब परिवारों और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग–अलग स्थानीय समुदायों में उनकी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए संयुक्त अनुदानों का प्रयोग किया गया है।

2) **अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्त्ता (Accredited Social Health Activists - ASHAs) :** सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्त्ता के नाम से जाना जाता है जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच सम्बन्ध ा स्थापित करने के लिए मिशन के अंतर्गत कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। ये स्वयंसेवक जनसंख्या के वंचित वर्गों की माँगों की देखभाल का कार्य करते हैं, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच या कठिनाई के कारण वहाँ पहुँच नहीं पाते हें। आशा कार्यक्रम का विस्तार संपूर्ण राज्यों में कर दिया गया है, ये विशेषकर बाहरी रोगियों की सेवाएँ, नैदानिक सुविधाएँ, संस्थागत प्रसव या सुपुदर्गी और आन्तरिक रोगियों की देखभाल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। आशा की प्रमुख गतिविधियों में परामर्ष गतिविधियाँ, जागरूकता पैदा करना, अतिसार व दस्त प्रबंधन सेवा प्रावधान, ओ.आर.एस. जिंक प्रदर्शन, स्थान, ओ.आर.एस. का घरों में जाकर वितरण करना इत्यादि सम्मिलित हैं।

3) **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :** जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम – जे.एस.एस.के. (Janani Shishu Suraksha Karyakram - JSSK) स्कीम में लीक स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी गर्भवती महिलाएँ प्रसव कराने के लिए हकदार हैं जिसमें निःशुल्क प्रसव, सेवाएँ, सीजेरियन ऑपरेशन कराना भी सम्मिलित हैं, ये सब निःशुल्क किए जाते हैं।

4) **जननी सुरक्षा योजना**ः जनानी सुरक्षा योजना (Janani SurakshaYojna - JSY) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व अन्तःहस्तक्षेप किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव कराने के माध्यम से मातृत्व और नवजन्में शिशु की मृत्यु को कम करना है।

5) **स्वस्थ देखभाल संविदाकारः** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission - NRHM) अन्तःसेवा क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए संविदाकार उपलब्ध कराए गए हैं, ये राज्य सरकारों द्वारा कार्यनीतिक स्थानिक सुविध ाओं में सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार से नर्सिंग स्टॉफ और सहायक कार्यकर्त्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए समुचित महत्व दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, क्लिनिकल स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों में आयुश सेवाओं के सह–स्थापित स्थानों को भी सहयोग दिया जाता है।

6) **निःशुल्क दवाइयाँः** यह पहल प्रणालियों को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आरंभ की गई है जैसे कि सुविधा के अनुसार आवश्यक दवाई सूची (Essential Drug List - EDL), ठोस अधिप्राप्ति प्रणाली (Robust Procurement System), आई.टी. आध ाारित संभार–तंत्र और आपूर्ति श्रंष्खला प्रबंधन, समुचित भण्डारण और उदाहरण दवाई विनियमन और कोटि सुनिश्चित रचनातन्त्र, स्तरीय इलाज मार्गदर्शन विवरण लेखाकरण तथा शिकायत समाधान प्रणाली इत्यादि निःशुल्क अत्यावष्यक दवाइयाँ गुणवत्ता के निश्चित प्रावधानों को बनाए रखना और उनका प्रयोग करना है।

7) **निःशुल्क नैदानिक सेवाएँ (Free Diagnostic Services) :** देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यावष्यक नैदानिक कराने के लिए लागत निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की सहायता दी गई है। यह पाँच राज्य नामक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कष्मीर और त्रिपुरा ने राष्ट्रीय मार्गदर्शन के अनुसार मॉडल को पहले ही अपना लिया है।

8) **राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएँ (National Ambulance Services)** : रोगियों के मूल परिवहन के प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घटक है। एम्बुलेंस सेवाएँ प्राप्त करने की डॉयल सं. 108/102 को रिंग करना होता है, यह एम्बुलेंस परिचालन की सुविधा इसी मिशन का एक भाग है।

9) **राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई (National Mobile Medical Unit)** : मोबाइल चिकित्सा इकाई (Mobile Medical Unit - MMU) का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जिन क्षेत्रों में सेवाएँ उपलब्ध नहीं है, लोगों के घरों के दरवाज़े पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना। सम्पूर्ण देश में 335 जिलों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का परिवहन परिचालन किया जा रहा हैं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सम्पूर्ण सीमाओं का अर्थ है, मामूली बीमारी, संचारित रोग और असंचारित रोग, जनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवाओं को उपलब्ध कराया गया है।

10) **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Child Health Scheme)** : इसकी पहल सन् 2013 में आरंभ की गई। यह बच्चों के स्वास्थ्य की संमीक्षा करने के लिए हैं तथा 4 डी.एस. के अंतर्गत जाँच और प्रबन्धन के द्वारा समयपूर्व अन्तःहस्तक्षेप करने के लिये है जिसमें कि जन्म के समय शारीरिक दोष रोग, कमियाँ, विकलांगता के साथ विकास में विलम्ब और 30 पहचान की स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन निःशुल्क किया गया है। बच्चे जिनका आयु वर्ग 0–18 वर्ष का है, उनको सम्पूर्ण देश में चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित किया गया है।

11) **क्लिनिकल देखभाल और प्रशिक्षण के लिए जानकारी केन्द्र के रूप में जिला अस्पताल :** इस योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों को बहु–विशेषज्ञता स्वास्थ्य देखभाल जिसमें डाइलिसिज देखभाल, इंटेंसिव कार्डिक देखभाल, केंसर रोग का इलाज, मानसिक बीमारी आपात कालीन चिकित्सा और ट्रॉमा देखभाल की सुविधाओं को इत्यादि सम्मिलित करके उनको सषक्त बनाया गया है। ये अस्पताल जिला मुख्यालय में स्थित एके टेली–मेडीसन केन्द्र के माध्यम से नीचे के स्तर से लेकर क्लिनिकल सुविधाओं के लिए जानकारी और सहयोग व सहायता उपलब्ध कराएँगे। ये पैरामेडिक्सि तथा नर्सों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रों के रूप में सेवाएँ भी उपलब्ध कराएँगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

प्रथम, यह देखा गया है कि संयुक्त निधियों और अन्य अनुदानों की समुचित रूप से निगरानी नहीं की जाती है। द्वितीय, प्रमुख कार्यकर्त्ताओं जैसे कि आशा, सहायक नर्स मिडवाइविज के बीच समन्वय की बहुत बड़ी कमी पाई गई और ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों (Village Health and Sanitation Committees - VHSCs) के तालमेल और कार्यों के न करने की स्थिति बहुत खराब रही जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तृतीय, एम्बुलेंसों की अत्यंत कमियाँ या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों पर कार्यकर्त्ताओं की कमी अथवा काम न करना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं

को सषक्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुँच से बाहर रहे हैं जिसके परिणमास्वरूप स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ पूरी तरह से प्रभावित रही हैं। चतुर्थ, कौशलों को अद्यतन बनाने के लिए आशा की परामर्षी सेवाएँ और प्रशिक्षण बहुत ही कमजोर सिद्ध हुआ। टीकाकरण प्रसवपूर्ण देखभाल तथा बच्चों के सम्पूर्ण प्रतिरक्षाकरण कार्यक्रम के लिए आगे फिर से आशा का अतिरिक्त प्रशिक्षण किया जाएगा।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2017 का क्या साम्यर्थ और क्या कमजोरियाँ हैं? स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2017 के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल को सुधारने के लिए नियमों और प्राथमिकताओं का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

11.7 निष्कर्ष

भारत सहित अनेक विकासशील देशों में बताया गया या पता लगा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा सकते हैं, या यह संभव है कि जब समुचित राजनीति इच्छाषक्ति हो और जब सक्षम नीति–निर्माताओं (policy-makers) और नीति–क्रियान्वितकर्त्ताओं (policy-implementers) के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छे डिजाइन बनाए जाएँ और उनको लागू किया जाए या उनमें परिवर्तन किए जाएँ।

शासन के वर्तमान चरण में, प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और लागत भी कम कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकारों द्वारा पोशक प्रतिस्पर्धा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति एवं निवेश विशेषकर दवाइयों और चिकित्सा उपस्करों की पूर्ति के विविध प्रयासों से स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। हालाँकि, शक्तिशाली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को निजी रूप में देने के विनियम बनाने चाहिये और सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी साम्यर्थता को सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जबकि स्वास्थ्य देखभाल में सरकार को अपनी प्रमुख भूमिका निभानी होती है फिर भी निजी व्यापार और सरकार के बीच सही भागीदारी के माध्यम से अत्यधिक लाभ हो सकता है। वर्तमान सुधार (मई 2014 से आरंभ हुए) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रबंधन को उन्नत करने में सहायता करेंगे। सामाजिक

लेखाकरण का कार्यान्वयन और पूर्वशर्त पर जमे रहना व मानव संसाधन विकास का प्राथमिक महत्व स्वास्थ्य को माना गया है। और अन्त में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे लोगों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक छोटे परिवार के मानकों को उन्नत करने में हम उच्च सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं और जनसंख्या की वृद्धि को समाविष्ट नहीं कर लेते हैं उसे रोक नहीं लेते हैं।

11.8 शब्दावली

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product): देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की प्रस्तुति के कुल मूल्य को कहते हैं।

मृत्यु दर (Mortality Rate): किसी क्षेत्र या अवधि में दी गई मृत्यु होने की संख्या या उसके आँकड़े।

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy): इसका अर्थ है औसत अवधि (वर्शों में) जिसमें व्यक्ति जीने की आशा कर सकता है।

11.9 संदर्भ लेख

GOI. (1946). *Bhore Committee Report.* New Delhi: Government of India, Manager of Publications.

GOI. (1983). *National Health Policy, 1983.* New Delhi. Ministry of Health and Family Planning, Government of India.

GOI. (2002). *National Health Policy, 2002*. New Delhi. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

GOI. (2017). *National Health Policy, 2017.* New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

UNDP. (2017). *Human Development Report 2016.* New York, USA: United Nations Development Programme.

WHO. (2000). *Health for All.* Geneva, Switzerland: World Health Organization.

11.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- भारत में वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का उद्‌गम सन् 1943 में नियुक्त स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की सिफारिशों में निहित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक एकीकृत घटक के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की स्थापना की गई।
- प्रत्येक उपकेन्द्र का माप स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के द्वारा रखा जाएगा।
- "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" (Health for All by 2000) की घोषणा आल्मा–एता में की गई सिफारिशों की घोषणा के बाद की गई थी।

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 का संक्षिप्त विवरण
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 का संक्षिप्त विवरण

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को अपनाने से पहले की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का सषक्तिकरण
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की कमियाँ

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के नियम।
- स्वास्थ्य देखभाल के पर्यावरण के सुधार के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का आलोचनात्मक मूल्यांकन

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 12 खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा का अधिकार

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 राष्ट्रीय खाद्य नीति

- 12.2.1 खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
- 12.2.2 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति
- 12.2.3 खाद्यान्न का भण्डार
- 12.2.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- 12.2.5 खाद्यान्न का निर्यात और आयात

12.3 खाद्य सुरक्षा का अधिकार

- 12.3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

12.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक अवलोकन

12.5 निष्कर्ष

12.6 शब्दावली

12.7 संदर्भ लेख

12.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगे:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA), 2013 की प्रमुख विशेषताएँ;
- राष्ट्रीय खाद्य नीति (National Food Security - NFS) की उभरती हुई चुनौतियों की चर्चा; और
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का आलोचनात्मक अवलोकन।

12.1 प्रस्तावना

भारत की खाद्य नीति का विकास सन् 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के परिणामस्वरूप हुआ, इस अकाल के कारण 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इस अकाल का मुख्य कारण एक था खाद्यान्न की समुचित आपूर्ति न होना और दूसरा पीड़ितों की गरीबी के कारण खाद्यान्न को खरीदने की शक्ति का न होना यानि की घोर गरीबी। इसी वर्ष यानी सन् 1943 में ही सर जॉर्ज थियोडोर (Sir George Theodore) की अध्यक्षता में खाद्य नीति समिति (Foodgrains Policy Committee) की स्थापना हुई। इस समिति ने सिफारिश की कि भविष्य में इस प्रकार की भयंकर स्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्नों का राशन करना अत्यावष्यक है। इसके पश्चात् आगे आने वाली सरकारों ने प्रयास किया कि (i) किसानों को न्यूनतम समर्थित मूल्य (Minimum Support Price - MSP) के भुगतान के माध्यम से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाये और उपभोक्ताओं को

खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए एक रचनातन्त्र का निर्माण किया गया। उपभोक्ताओं को विशेषकर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) को विकसित करके स्थापित किया गया।

हमारे पास साक्ष्य हैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है देश में खाद्य और कृषि की नीतियाँ बनी हैं, उनका उद्देश्य भूखमरी, खाद्य असुरक्षा और गरीबी को कम करने का उद्देश्य रहा है। इसके साथ–साथ ही खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि करना और खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्नों के समुचित भण्डारों की व्यवस्था की गई (त्यागी Tyagi, 1990)। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

कृषि मंत्रालय द्वारा अपने मसौदा दस्तावेज "भारतीय कृषि : विजन सन् 2020" (Indian Agriculture: Vision 2020 AD) में दिए गए अनुमान के अनुसार अथवा उसके आधार पर 135 करोड़ लोगों की खाद्यान्न की माँगों की पूर्ति करने के लिए अनुमानित 32.4 करोड़ टन खाद्यान्न पूर्ति की आवश्यकता होगी, यह जनसंख्या का सबसे निम्न स्तर माना गया है।

12.2 राष्ट्रीय खाद्य नीति

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के रूप में देश के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है: न्यूनतम समर्थित मूल्य पर सक्षम अधिप्राप्ति करना, समुचित नीति के मानकों के माध्यम से खाद्यान्नों का संग्रह या भण्डारण करना और उसका वितरण करना, उसके साथ ही खाद्यान्नों के भारी व व्यापक भण्डारों का संरक्षण व देखभाल करना, उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की पहुँच का निर्माण करना, विशेषकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System - TPDS) के अंतर्गत समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की पूर्ति करना है। यह खाद्य नीति, संक्षेप में देश के लिए मुख्य रूप से रखी गई है।

खाद्य नीति में सबसे अधिक प्राथमिकता निम्नलिखित उपायों के रूप में दी गई है:

12.2.1 खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि

भूमि और जल संसाधनों के कम होने के विचार को ध्यान में रखते हुए, खाद्यान्नों, रेषेवाली फसलों अन्य आवश्यकताओं की माँग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है और भावी माँगों और पूर्ति करने के लिए भारत के लिए अधिकतम कार्यनीतियों को अपनाना पड़ेगा व उनको लागू करना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही उपाय है कि (i) उत्पादन में उन्नत प्रौद्योगिकियों के द्वारा लगातार तरीके से कार्य किए जाएँ; (ii) अत्यावष्यक खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य की सहायता राषि या अनुदान और इसकी गारन्टी किसानों को सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए; तथा (iii) सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाए।

12.2.2 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति

भारत सरकार ने सन् 1965 में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India - FCI) की स्थापना इस नीति के परिचालन के लिए की थी। राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से भारतीय खाद्य निगम ने गेहूँ, धान और मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की ताकि किसानों को सहायता राषि उपलब्ध कराई जा सके। भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्ति और

खाद्यान्नों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रत्येक रबी/खरीफ की फसल के मौसम से पहले केन्द्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices - CACP) की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थित मूल्यों की घोषण करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न कृषि निवेशों और उनके उत्पादन के लिए किसानों के समुचित सीमांत पर लगी लागत को ध्यान में रखकर मूल्यों का निर्धारण करता है। किसान आजकल स्वामीनाथन समिति (Swaminathan Committee) की सिफारिशों के आधार पर सी2+50 न्यूनतम समर्थित मूल्य का भुगतान करते है।

राज्य सरकारें विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (Decentralised Procurement - DCP) प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति की जा सकें तथा परिवहन भाड़ा लागत को कम किया जा सके और न्यूनतम समर्थित मूल्य के पहुँच में वृद्धि हो। हाल के वर्शों में खाद्यान्नों के उत्पादनों में भारी वृद्धि के साथ ही उत्तरी भारत में हरित क्रांति लाने में विशेष जोर दिया गया और अधिप्राप्ति के परिचालन का कार्य अनेक राज्यों में विस्तारित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का केन्द्रीय पूल भण्डार संग्रह एक रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है और 319 लाख टन के भारी भण्डार के मानकों से बहुत अधिक हो गया है। इसलिए, अधिप्राप्ति, वितरण तथा खाद्यान्नों के निपटान के साथ अधिप्राप्ति का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है और अब किसानों को समुचित मूल्य समर्थित उपलब्ध कराया गया है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताएँ, भारी भण्डारों का रखरखाव या संरक्षण की पूर्ति करने के लिए और बाजार को बिना किसी नुकसान के दिए फालतू खाद्यान्नों का निपटान किया जा रहा है।

12.2.3 खाद्यान्न का भण्डार

भारतीय खाद्य निगम के पास केन्द्रीय संचयन खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार करने के लिए सभी राज्यों में इसके अपने ग्रिड और सभी तरह से ढ़के हुए अच्छे गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वेयरहाउस निगम (Central Warehousing Corporation - CWC) और राज्य की एजेंसियों जैसे राज्य वेयरहाउस निगमों (State Warehousing Corporations) और निजी पार्टियों के पास समुचित भण्डार करने के गोदाम मौजूद हैं।

समुचित भण्डारण के लिए क्षमता उपलब्ध है। ध्यान रहे कि 783.17 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लक्ष्य के समक्ष 555.40 लाख मीट्रिक टन (2017) में केन्द्रीय भण्डार का खाद्यान्न रखने की क्षमता मौजूद थी। उत्पादनों की वृद्धि तथा खाद्यान्नों की अधिक अधिप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभाग ने देश में भण्डारण करने की क्षमता में आवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारन्टी (Private Entrepreneurs Guarantee - PEC) स्कीम (2008) को आरंभ किया है। निजी उद्यमी गारन्टी स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक–निजी भागेदारी (Public Private Partnership - PPP) मोड तथा भूमि व निर्माण की लागत को चुने गए हिस्सेदार गोदाम निर्माण करने में अपनी धनराशि को लगाएँगे। भण्डारों में आधुनिक सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए स्टील के कोश्ठागारों का निर्माण किया जाएगा, सबका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदार मोड के रूप में निर्मित किए जायेगा।

12.2.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA), 2013 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियों, और सुरक्षित उपलब्धता तथा उनके वितरण को ध्यान में रखते हुए और इसको लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System - TPDS)

नियन्त्रण आदेश, 2015 को अधिसूचित किया है। इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनाया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शक्ति दी गई है कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और उसके वितरण को विनियमित करने के आदेश जारी करें ताकि उसका पालन किया जा सके। हालाँकि, राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए गए किन्तु यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

12.2.5 खाद्यान्न का निर्यात और आयात

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए यह अनिवार्य आज्ञात्मक बन गया है कि खाद्यान्नों का निर्यात और आयात करने के लिए शक्ति से विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने सन् 2011 से निजी पार्टियों के द्वारा भण्डार किए गए ग़ैर–बासमती चावलों की स्वतंत्रता से निर्यात करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। राज्य व्यापार उद्यमों (State Trading Enterprises - STEs) और कुछ अन्य को भी निजी तौर पर ग़ैर–बासमती चावल का भण्डार रखने तथा गेहूँ का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। ग़ैर–बासमती चावल और गेहूँ को कस्टम्स ई.डी.आई. पोर्ट्स के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई है। निर्यात के लिए इण्डो–बांग्लादेश तथा नेपाल की सीमाओं से भी निर्यात किया जाएगा, इसके लिए यह शर्त है कि वे डी.जी.एफ.टी. (DGFT) के साथ मात्रा का पंजीकरण कराए और ग़ैर–ई.डी.आई. भूमि कस्टम स्टेशन (Land Custom Stations - LCS) के द्वारा भी निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। बीज के लिए चावल की कोटि और अन्य (बीज की कोटि के अतिरिक्त भूसी में चावलों (धान या रफ) को लाइसेंस लेने के पश्चात् निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) खाद्यान्नों की राशनिंग करना, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही सिफारिश की गई थी। विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) खाद्य नीति में निहित उच्च प्राथमिकता के उपायों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

12.3 खाद्य सुरक्षा का अधिकार

खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करना, भारत की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने (जून, 2019 में अनुमानित जनसंख्या 133 करोड़) के कारण, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। खाद्य सुरक्षा के लिए कार्यनीति खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर व्यापक रूप से आधारित है, इसलिए, भूखमरी और कुपोषण को कम करना अनिवार्य है क्योंकि यह अनेक अकाल मृत्यु होने का प्रमुख स्रोत है। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) (1948) द्वारा मान्यता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा करने का अधिकार है और व्यक्ति को स्वयं और उसके परिवार को स्वस्थ तथा उसके परिवार की खुषहाली और कल्याण के लिए समुचित जीवन के स्तर को बनाएँ रखने का अधिकार है।

12.3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

लोगों की खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को प्रतिपादित किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रतिश्ठा के साथ जीवनयापन करने के लिए लोगों को उचित मूल्य पर समुचित मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर पोषणात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम के माध्यम से एक परिकल्पित दृष्टिकोण को खाद्य सुरक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसको इससे पहले कल्याणकारी कार्यों के एक उपाय के रूप में मानी जाती थी उसे अब एक हक के रूप में स्थापित कर दिया गया।

इस अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्ष्यित करते हुए इसके अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है जो खाद्यान्न सामग्री पर अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, इस प्रकार से भारत की कुल जनसंख्या का दो–तिहाई हिस्सा 1.3 बिलियन जनसंख्या इसमें समाहित कर दी गई है, उन सबके इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है, उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – प्रथम जो परिवार शामिल हैं वे अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY) और दूसरी श्रेणी के वे परिवार हैं जो कि शेष रह गए हैं, उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। अंत्योदय अन्यय योजना को सन् 2000 में आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य गरीबों में से भी अत्यन्त गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान दिया गया था, और इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। इस प्रकार के परिवारों को प्रति महीना, प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. 1/2/3 प्रति रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से अपरिश्कृत या मोटा खाद्यान्न/गेहूँ/ चावल प्राप्त होगा, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति, प्रति महीना 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न ऊपर उल्लेखित उच्च अनुदान सहायता मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का हक होगा।" इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उन सभी महिलाओं को जो प्रसव अवस्था में है, वे इसकी हकदार होगीं तथा गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और कुछ श्रेणियों के बच्चे भी प्रतिदिन निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होगें। इसका उद्देश्य लक्ष्यित लीक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समाज के गरीब और संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस अधिनियम द्वारा जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत समाधान रचनातन्त्र की स्थापना की है। इस तरह की स्थापना के साथ

ही सम्पूर्ण कार्य संचालन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अलग प्रावधानों का निर्माण भी किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) अब सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है, इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुँचाने की व्यवस्था के अंतर्गत अब लगभग 80.55 करोड़ लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए सुविधा प्राप्त करने वाले में सम्मिलित किया जा चुका है। इस के साथ ही चण्डीगढ़, पुडुचेरी और दादर एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में नकद हस्तान्तरण प्रणाली के अंतर्गत इस अधि ानियम को लागू किया जा रहा है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में खाद्यान्नों पर मिलने वाली अनुदान सहायता राषि जमा हो जाएगी और वे लोग अपनी इच्छानुसार खाद्यान्न सामग्री का क्रय खुले बाजार से कर सकेंगे अर्थात् अपनी इच्छानुसार अनुदान राशि का प्रयोग कर सकेंगे।

यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आवश्यक वस्तु और खाद्यान्नों की बिक्री और वितरण को विनियम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत एक आदेश के अनुसार राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश, 2015) के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिसूचित करें। इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील स्कीम लागू करने के साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (भारत सरकार) को सबला स्कीम के संचालन का कार्य भार सौंपा गया जिसमें यह उद्देश्य है कि 11–18 वर्ष की आयु की किशोर बालिकाओं के लिए उनके पोषणात्मक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए इस स्कीम को लागू किया जाए ताकि उनको अपने विभिन्न कौशलों को ओर अधिक बेहतर बनाने में सहायता मिल सके। सबला स्कीम का यह भी उद्देश्य है कि उनको परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के सम्बन्ध में शिक्षित किया जा सके तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में भी उनका मार्गदर्शन किया जाए। पोषणात्मक स्तर (एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए) का संचालन करने के लिए इस योजना को मिड–डे मील स्कीम के साथ संबद्ध कर दिया गया है ताकि दोनों का आसानी से पालन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त डी.पी.एस. से सम्बन्धित रिकार्डों को प्रदर्शित करने के लिए प्रावधानों का निर्माण किया गया है, जिसमें सामाजिक लेखा और सतर्कता समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके और आवश्यक वस्तु वितरण व्यवस्था में धांधलियों को रोकने के लिए उत्तरदायित्व तय किये जा सके।

12.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक अवलोकन

खाद्य, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण (2012–13) पर गठित की गई लोकसभा समिति की 27वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में प्रस्तावित विधि विधान ने वर्तमान कल्याणकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना को अधिकार आध ाारित दृष्टिकोण में बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग दो–तिहाई जनसंख्या (अनुमानित 67 प्रतिशत) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहायता अनुदान राषि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। जिस देश में लगभग बच्चों का 40 प्रतिशत भाग कुपोषित हो वहाँ पर इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

हालाँकि, इन नीति सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में आलोचना की गई एवं आषंका की गई है। एक बी.जे.पी. के बड़े राजनीतिज्ञ और विपक्ष नेता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को "खाद्य सुरक्षा" के स्थान पर "वोट सुरक्षा" (*हिन्दुस्तान टाइम्स,* 31 अगस्त, 2013) में वर्णित किया था। इसके साथ ही कृषि लागत और मूल्य आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बिल के पारित होने से तिलहनों और दालों के उत्पादनों में भारी गिरावट के साथ भयंकर असंतुलन बन सकता है, और "इससे माँग का दबाव पैदा होगा जिसमें अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों के बाजार मूल्यों में गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त, उच्च खाद्य सहायता अनुदान के कारण बजट पर प्रभाव पड़ेगा और राजकोष को कम करने में अपना सहयोग देना और व्यापक स्तर पर मुद्रा स्फीति के स्तर पर दबाव पड़ेगा। जिससे अर्थव्यवस्था के गड़बड़ाने की आषंका होगी।" आयोग ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह बिल कृषि में निजी प्रोत्साहन पर पाबन्दी लगाएगा और खाद्य बाजार पर सरकार का प्राधिकार होने के कारण बाजार स्थलों पर प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी और कृषि में धनराशि के निवेश के स्थान पर सहायता अनुदान राषि पर अपना ध्यान परिवर्तन कर देंगे और लगातार अन्न उत्पादन में अपना ध्यान केन्द्रित कर देंगे जब उपभोक्ताओं की माँगों के ढाँचे में परिवर्तन होने के कारण प्रोटीन, फलों तथा सब्जियों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता का संकेत प्राप्त होगा।

प्रसिद्ध प्रोफेसर जीन ड्रेज़े इस मूल बिल की रचना 2001 के प्रमुख रचना के प्रमुख वास्तुकार हैं, उन्होंने लिखा है कि "कृकृ यह बिल मानव पूँजी में एक निवेश का रूप है। यह लोगों के जीवन में सुरक्षा पैदा करेगा, और उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता और आसान बनाएगा। उनके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा को संरक्षित करेगा और उनकी प्रगति में जोखिम उठाने की शक्ति प्रदान करेगा (तहलका, 22 मार्च, 2013)। आलोचक अपना विचार प्रकट करते हैं कि एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन एक पहेली और अक्षम व प्रभावहीन बन कर रह जाएगा जोकि अन्य सामान्य सहायता अनुदान तथा कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को उत्पन्न करने में सहयोग प्रदान करेगा। इससे प्रचुर मात्रा में गिरावट पैदा होने की आषंका है। कुछ राज्यों में यह देखा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो परिवारों की संख्या निर्धारित की है वह संख्या अनुमानित जनगणना परिवारों की संख्या से अधिक पाई गई थी अथवा और जिस जनसंख्या को शामिल किया गया है वह अनुमानित कुल जनसंख्या से अधिाक पाई गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्यान्नों के परिवर्तन का उदाहरण ही लीजिए, यहाँ तक जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्णय से पहले पहुँचने पर वहाँ पर भीड़–भाड़ का ही दौर था। इसके साथ ही योजना के परिचालन में भयंकर भूलें सामने आई है उन तथ्यों के साक्ष्य हमारे समक्ष मौजूद हैं जैसे कि 25 से 30 प्रतिशत कार्डधारी द्वेध या अवैध थे अथवा उनका अस्तित्व ही नहीं था। सन् 2016 में यह अनुमान लगाया गया था कि इन कमियों तथा इस तरह के क्षरण या गिरावट और असक्षमता के परिणामस्वरूप अत्यधिक धनराशि नष्ट हुई और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष हानि के रूप में आँकी गई थी।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की आलोचना पर प्रकाश डालिए।

.....

.....

.....

.....

.....

12.5 निष्कर्ष

मनुश्य का स्वास्थ्य केवल लम्बी आयु प्राप्त करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि प्रसन्नतापूर्ण जीवनयापन के लिए भी आवश्यक है। इसको विस्तार से इस प्रकार कह सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा भोजन प्राप्त करने का क्या रूप है अथवा आप कैसा भोजन करते हैं। खाद्यान्नों की आपूर्ति (गेहूँ, चावल और ज्वार, बाजरा तथा मक्का) तथा अनाज, भारत में समर्थन मूल्यों पर उपलब्ध होना खाद्य नीति का एक अनिवार्य घटक है। चिरकालिक खाद्य असुरक्षा का समाधान, या उपाय सहायता अनुदान खाद्य वितरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है (विशेषकर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए) कार्य के लिए भोजन, रोजगार सष्जन करना और गारन्टी कार्यक्रमों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। अभी हाल ही में (2019) केन्द्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि किसानों को और अधिक खाद्यान्नों के उत्पादनों को और अधिक पैदा करने के लिए किसानों को प्रति वर्ष प्रति किसान 6000 रुपए सहायता अनुदान देने की घोषणा की है। इससे यह आशा की जाती है कि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि की प्राप्ति से किसानों के जीवन में सुधार आएगा।

कृषि सम्बन्ध और खाद्य नीति–यों की सूत्रीबद्धकरण और उनके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को सषक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रतिष्ठा के साथ स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाया जाए अथवा उनकी इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाए कि अभी तक इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत इस योजना को आरंभ करने में और इसको लागू करने में गंभीर कमियाँ तथा अप्रभावीकारिता का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण इसके लाभों को प्राप्त करने में अनेक बाधाएँ सामने खड़ी हैं।

12.6 शब्दावली

खाद्य सुरक्षा (Food Security): खाद्य नीति को सभी लोगों तक, सभी समयों पर एक स्वस्थ्य जीवन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री को पहुँचाने या उपलब्ध कराने के रूप में परिभाषित किया गया है।

खाद्य (Food): कोई भी पोषणात्मक पदार्थ जिसको लोग या पशु अपने जीवन और उसकी संवृद्धि बनाए रखने की दिशा में खा या पी सकते हैं।

हकदार या योग्य (Entitlement): कोई तथ्य या कुछ प्राप्त करने का अधिकार होने का भरोसा या उसमें विश्वास करना।

12.7 संदर्भ लेख

Dreze, J. (22nd March, 2013). Summary of the National Food Security Bill 2013. *Tehelka*. New Delhi.

GOI. (2013). *Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2012-2013). Fifteenth Lok Sabha, The National Food Security Bill 2011*. New Delhi: Government of India, Department of Food and Public Distribution.

GOI. (2013). *National Food Security Act, 2013*. New Delhi: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

Gulati, A. et al. (2012). *The National Food Security Bill, Challenges and Options, Commission on Agricultural costs and Prices*. New Delhi: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

Iyer, S. (26th August, 2013). *This is not food security, it is vote security, says BJP*. Hindustan Times. New Delhi.

Tyagi, D, S. (1990). *Managing India's Food Economy*. New Delhi, India: Sage Publications.

12.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:

- भारत की खाद्य नीति का विकास, सन् 1943 के बंगाल में पड़े अकाल के परिणामस्वरूप हुआ था जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।
- सर जॉर्ज थिओडोर की अध्यक्षता में सन् 1943 में एक खाद्य नीति समिति की नियुक्ति हुई।
- इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में खाद्यान्नों की राशन व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी ताकि भविष्य में इस प्रकार की भयंकर स्थिति से निपटने में सरकार को सहायता मिल सके। तब से लेकर अब तक की सभी सरकारों ने (i) किसानों को न्यूनतम सहायता मूल्य देकर देश में खाद्यान्न उत्पादों के स्तर में वृद्धि करने का प्रयास किए तथा, (ii) उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए एक रचनातंत्र का निर्माण किया ताकि खाद्यान्नों का वितरण आसानी से किया जा सके।

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:

- खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि करना
- खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति
- खाद्यान्नों का भण्डारण करना
- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- खाद्यान्नों का निर्यात और आयात करना

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रासंगिकता
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेषताएँ

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- "खाद्य सुरक्षा" के स्थान पर "वोट खाद्य सुरक्षा" के लिए उपायों का निर्धारण।
- उच्च खाद्य सहायता अनुदान के परिणामस्वरूप बजट पर बोझ पड़ेगा, वित्तीय निधियों में कमी आएगी साथ ही व्यापक रूप से या स्तर पर मुद्रा स्फीति का दबाव बनेगा।
- कृषि क्षेत्र में निजी प्रोत्साहन पर पाबन्दी लगाना, खाद्यान्न बाजार पर सरकार के प्राधिकार होने के कारण बाजार स्थलों पर प्रतिस्पर्धा करने में कमी आएगी।
- अक्षमताओं के साथ पहेलियाँ जिसमें अन्य सहायता अनुदान तथा कल्याण योजनाओं के लिए और अधिक माँग उठेगी।
- शिकायत निवारण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 13 रोज़गार नीति (मनरेगा)

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.1.1 रोज़गार नीति का अर्थ

13.2 रोज़गार नीति और कार्यक्रमों पर नई पहल

13.2.1 श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

13.2.2 प्रधानमन्त्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

13.2.3 बाल श्रम प्रतिषेध

13.2.4 प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना

13.2.5 प्रधानमन्त्री युवा योजना

13.2.6 ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान

13.3 ग्रामीण भारत का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

13.3.1 ग्रामीण रोज़गार : मनरेगा

13.4 मनरेगा का महत्व और इसकी प्रमुख विशेषताएँ

13.5 मनरेगा के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाकलाप

13.5.1 मनरेगा के अंतर्गत भू–टैगिंग

13.6 मनरेगा का मूल्यांकन

13.7 निष्कर्ष

13.8 शब्दावली

13.9 संदर्भ लेख

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- रोज़गार नीति (Employment Policy) का अर्थ और पहल;
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act - MGNREGA) का महत्व और उद्देश्य; और
- मनरेगा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित मुद्दे।

13.1 प्रस्तावना

बेरोज़गारी देश के 133 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी और व्यापक समस्या है। बेरोज़गारी की संख्या का अनुमान लगाना और जो लोग भारत में अनेक अभिकरण (सरकारी, निजी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ) काम की खोज में लगे हैं बेहद अलग है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation - ILO) ने घोषित किया

है कि भारत में सन् 2019 में 1.90 करोड़ लोग बेरोज़गार होंगे अथवा इनकी संख्या इसी अनुमान के निकट होगी। भारतीय आर्थिक निगरानी केन्द्र (Centre for Monitoring Indian Economy - CMIE) ने बेरोज़गारों की लगभग 3.1 करोड़ की संख्या घोषित की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office - NSSO), भारत सरकार, ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सन् 2017–18 में बेरोज़गारों की संख्या 6.1 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही भारतीय आर्थिक निगरानी केन्द्र ने अप्रैल, 2019 में यह संख्या 7 प्रतिशत आंकी है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार सन् 2018 में सबसे कम 5 प्रतिशत की संख्या बताई गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का मानना है कि सबसे अधिक संख्या जो बेरोज़गारों की है, वह शहरी क्षेत्र के शिक्षित लोगों में व्याप्त है। इस संदर्भ में अनेक टीकाकारों ने अपने सुझाव दिए हैं कि इसके सम्बन्ध में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है और हमको बेरोज़गारी से सम्बन्धित सभी आँकड़ों को प्रत्यक्ष मूल्य या अंकित मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। एस.ए. स्वामीनाथन अय्यर (Swaminathan S. A. Aiyar) जो आर्थिक मामलों के एक प्रसिद्ध विष्लेशक हैं, उनकी टिप्पणी है कि औपचारिक क्षेत्र के रोज़गारों में तेजी से सुधार हो रहा है ओर हम जिन लोगों को बेरोज़गारों की संख्या में शामिल करते हैं वे लोग वास्तव में सबसे बड़े रोज़गारों की खोज में लगे हुए हैं (*दि इकॉनामिक टाइम्स, The Economic Times* 2019)। इंफोसिंस के पूर्व सी.एफ.ओ., टी.वी. मोहनदास पाई (T.V. Mohandas Pai) तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भारत अच्छे रोज़गारों का सष्जन नहीं कर रहा है, परन्तु निम्न श्रेणी के कम वेतन वाले (10,000 – 15,000 रुपए) प्रति माह के रोज़गार पैदा कर रहा है जोकि डिग्रीधारकों के लिए सज्जित नहीं हैं। भारत में वेतनमानों की समस्या है, ऐसा पाई का मानना है (*बिजनेस स्टैंडर्ड, Business Standard* 16 जून, 2019)।

इससे पहले स्वतंत्र भारत में केन्द्र सरकार ने बेरोज़गारी की भयानक दर की समस्या के साथ इसको अधिग्रहण किया है तथा रोज़गार के अवसरों में सुधार के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस के परिणामस्वरूप बेरोज़गार की दर में कुछ कमी दिखाई देने लगी है। जबकि इस समस्या को लगातार कम करने की आवश्यकता बनी हुई है तथा कुछ वर्शों में यह समस्या अत्यंत भयानक सी भी बन सकती है।

13.1.1 रोज़गार नीति का अर्थ

रोज़गार योजना तथा कार्यक्रमों की सफलता असंख्य कारकों पर निर्भर करती है जिसमें संतुलित नीति का चयन करना अत्यंत आवश्यक विषय है। रोज़गार नीति के शब्द व अर्थ (क) रोज़गार स्थिति के सुधार के लिए लक्ष्य स्थापित करने में अत्यंत आवश्यक हैं (बेरोज़गारी या अल्परोज़गार दर); (ख) इन लक्ष्यों में से प्राथमिकताएँ स्थापित करनी होंगी'; और (ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन अथवा निर्देशन देने की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। रोज़गार नीति को जानबूझकर के विकास तथा रोज़गार सृजन कार्यक्रमों के साथ संबद्ध कर दिया गया है ताकि इसके परिणाम तुरंत और ठोस तथा सहजता से प्राप्त हो सकें।

13.2 रोज़गार नीति और कार्यक्रमों पर नई पहल

13.2.1 श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment), भारत सरकार के सबसे पुराने मन्त्रालयों में एक है। इस मन्त्रालय की मुख्य जिम्मेदारी सामान्य तौर पर

कामगारों या श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और उनका संरक्षण करना है। इसके अतिरिक्त, मन्त्रालय का मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता और निर्माण व उत्पादन के लिए कार्य का वातावरण स्वास्थ्य व स्वच्छ बनाना तथा विकास करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोज़गार सेवाओं के बीच संयोजन करना, उनका समन्वय करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के माध्यम से किया जाना है, जिसमें सेवाएँ तथा श्रमिकों के रोज़गार की सेवा–शर्तों को विनियमित किया जा सके। यह श्रम का विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और इसके अनुसार राज्य सरकार को भी इस सम्बन्ध में कानून बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

13.2.2 प्रधानमन्त्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

प्रधानमन्त्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana - PMRPY) की प्रस्तुति और इसको लागू सन् 2016–17 में किया गया था। इसका उद्देश्य रोज़गार सष्जन को उन्नत करना था। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme - EPS) के द्वारा नए कर्मचारियों को उनके रोज़गार के प्रथम तीन वर्षों के लिए ई.पी.एफ.ओ. में नामांकित सभी कर्मचारियों के लिए 8. 33 प्रतिशत का अंषदान भुगतान करना था। इससे नियोजकों को पदोन्नति या उन्नत करना ताकि वे बेरोज़गार लोगों को अपने यहाँ पर रोज़गार दे तथा अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से रोज़गार देने के लिए उत्साहित कर सकें। प्रधानमन्त्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना की योजना प्रति मास 15,000 रुपए अर्जित करने वालों के साथ कर्मचारियों के ऊपर लागू की जाएगी।

13.2.3 बाल श्रम प्रतिषेध

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम [Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act], 2016 के अंतर्गत सभी व्यवसाय व धन्धों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को रोज़गार या कार्य करने पर संपूर्णता से निशेध किया गया है। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधानों को निर्मित किया गया है जिनको शिक्षा के अधि ाकार अधिनियम (Right to Education Act), 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निश्चित आयु के साथ रोज़गार के कार्यों में सम्मिलित होने को निषिद्ध व प्रतिषेध किया है और उनको बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के साथ संबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में यह भी सम्मिलित किया गया है कि किशोरों को (14 से 18 वर्ष की आयु) रोज़गार में सम्मिलित होने के लिए भी निशेध किया गया है जहाँ पर जोखिमपूर्ण धंधे या संसाधन का कार्य किया जाता है अर्थात खतरनाक कार्यों में किशोरों का रोज़गार करना निषेध किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आर्थिक जुर्माना/दण्डित करने के लिए व्यवस्था की गई है जिनका शक्ति से पालन किया जाना है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना तथा जीवन का सार रूप सुखी और प्रसन्न बनाना है, इसका उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

13.2.4 प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana - PMKVY), यह कौशल विकास और उद्यमीयता मन्त्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - MSDE), भारत सरकार, की परिणाम–आधारित कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण योजना (Skill Training and Certification Scheme) है, इसका आरंभ सन्

2015 में हुआ था। इस कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य युवाओं की व्यापक संख्या को परिणाम–आधारित कौशल प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए उनको गतिशील बनाना है ताकि वे रोज़गार प्राप्त करने के योग्य हो जाएँ और अपने जीवनयापन करने के लिए आजीविका का सष्जन कर सकें।

13.2.5 प्रधानमन्त्री युवा योजना

प्रधानमन्त्री युवा योजना (Pradhan Mantri Yuva Yojana - PMYY) उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर केन्द्र प्रायोजित योजना है, इसका आरंभ सन् 2016 में कौशल विकास और उद्यमीयता मन्त्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - MSDE), भारत सरकार, द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के प्रस्तुतीकरण के पीछे यह उद्देश्य था कि उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रगतिशील व उन्नत बाने के लिए इको–प्रणाली को उत्पन्न करना होगा। यह उद्यमिता के सहयोग संजाल (नेटवर्क) और संवृद्धि की सहज पहुँच का समर्थन करती है और सामाजिक उद्यमों को उन्नत करने का प्रयास कराती है। इस योजना का लक्ष्य सन् 2016–17 से 2020–21 तक के पाँच वर्शों में 7 लाख विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए उनको लाभ पहुँचाना है।

13.2.6 ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान

केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institute - RUDSETI) की स्थापना की जाए। यह सम्बन्धित राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग के साथ ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान की पहल बैंक नेतृत्व के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान को एक बार या एक समय में कर्मचारी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी, इसके अतिरिक्त ग्रामीण गरीबों से आए अभ्यार्थियों के प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण की लागत वसूल करने का प्रावधान भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी या फिर सामान्य षुल्क पर भूमि आबंटित करेगी, इसके साथ ही प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिदिन के कार्यों की जिम्मेदारी बैंकों की होगी। प्रत्येक ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान से यह आशा की जाती है कि वह जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के रहने वाले युवाओं को जो कम से कम 750 ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण देना या प्रदत्त करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान अपने माध्यम से 1 से 6 सप्ताह की कौशल उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की व्यवस्था करेंगे। वर्तमान में देश में ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान अपना प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा कर रहे हैं।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) रोज़गार नीति के शब्दों की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) रोज़गार नीति और कार्यक्रमों पर की गई विभिन्न पहलों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

13.3 ग्रामीण भारत का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

सरकारी सांख्यिकीय आँकड़ों (2017–18) के अनुसार लगभग 7.7 प्रतिशत भारत में रहने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। काम करने योग्य आयु के व्यक्ति (15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग) ग्रामीण पुरुशों का 75.5 प्रतिशत और ग्रामीण महिलाओं का 73. 8 प्रतिशत गाँवों में निवास करता है। इसमें कृषि का 44.1 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही लगभग 52.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का है, जिनकी स्व–रोज़गार आय का प्रमुख स्रोत हैं। प्रमुख स्व–रोज़गार से आय के स्रोत 25 प्रतिशत दिहाड़ी श्रम से अर्जित होते हैं तथा 12.7 प्रतिशत अर्जित आय नियमित मज़दूरी वेतन से प्राप्त की जाती है।

13.3.1 ग्रामीण रोज़गार : मनरेगा

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी – मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee - MGNREGA) कार्यक्रम अगस्त 2005 में संसद में पारित होने के बाद अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में 100 दिन के आधार पर (वर्शा वाले क्षेत्रों में 150 दिन का) रोज़गार उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी उपलब्ध कराई गई है, यह अवधि वित्तीय वर्ष में लागू होगी और विभिन्न न्यूनतम मज़दूरी दर पर अकुषल षारीरिक श्रम करने के लिए जो भी तैयार होगा किसी भी ग्रामीण परिवार के एक प्रौढ़ सदस्य को यह रोज़गार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की निगरानी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वयन के कार्यों की निगरानी में की जाएगी। हालाँकि, ग्राम पंचायत के साथ कार्यक्रम के प्रशासन के लिए प्रत्यक्ष व सीधी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। रोज़गार कम होने या दुर्बलता के समय में संवेदनशील समूहों के लिए यह एक सशक्त सामाजिक सुरक्षा के नेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। यह समुदाय के लिए परिसम्पत्तियों को भी पैदा करने में सहायता करता है जैसे कि भूमि संरक्षण, जल संचयन, वनरोपण, भूमि विकास, ग्रामीण मार्गों इत्यादि सम्मिलित हैं। वर्तमान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्यक्रम देश में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को अपने आपमें समाहित करता है, उनको अपने में शामिल करता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों की लाखों की संख्या के लोगों के लिए एक जीवनरेखा बन गया है।

13.4 मनरेगा का महत्व और इसकी प्रमुख विशेषताएँ

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी का महत्व इस पर निहित है कि इसका उद्देश्य वेतन रोज़गार की विधिक गारन्टी देकर गरीबी को कम करने में सहायता करता है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1) यह अधिनियम मज़दूरी रोज़गार के लिए अधिकार आधारित संरचना प्रस्तुत करता है। यह रोज़गार मज़दूर के अभ्यास, अपने चयन को पंजीकरण कराना, एक जॉब कार्ड

प्राप्त करना तथा जिसमें रोज़गार की चाहत कामगार समय तथा अवधि जिसके लिए वह आवेदन करता है। रोज़गार उपलब्ध कराने की विधिक गारन्टी 15 दिन सुनिश्चित की गई है, यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार नहीं दिया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी कानूनी रूप से बेरोज़गार भत्ता प्राप्त करने का हकदार बन जाता है, इसलिए उसे निश्चित अवधि में रोज़गार देना अनिवार्य है। एक परिवार को एक वर्ष की अवधि के अन्दर एक व्यक्ति को 120 दिन के लिए रोज़गार दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी प्रावधान है कि इस अवधि में उसी परिवार का सदस्य जो प्रौढ़ है उस कार्य को करने में भागीदारी कर सकता है अर्थात् एक व्यक्ति के स्थान पर निश्चित अवधि के लिए दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर सकता है, इसमें अन्य शर्तें वैसी ही बनी रहेगी। कामगार को जो रोज़गार दिया जाएगा वह 5 कि.मी. की दूरी के अन्दर होगा और यदि यह 5 कि.मी. से दूर हुआ तो इसके लिए कामगार को अधिक वेतन दिया जाएगा।

2) यह देखा गया है कि यह अधिनियम केन्द्र रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन संरचना उपलब्ध कराता है, इसमें रोज़गार देने में जो लागत या खर्च होता है, उसको केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च केन्द्र स्वयं देती है। इसलिए यह सब राज्यों पर निर्भर हो जाता है कि वे प्रोत्साहन देने के लिए निर्माण करते हैं अथवा उनको प्रोत्साहन न देने के लिए करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं को योजना के परिचालन के समय पर राज्य सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है।

3) राज्य की भूमिका को विधान में विशिष्ट रूप से शामिल किया गया है कि वह यह निश्चित करेगा कि सूचना के अधिकार और सूचनाओं को सक्रियता से प्रकट किया जाये, और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बनाए रखा जाये, संसद में प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना और उसको प्रस्तुत करना, प्रत्येक जिले के साथ वित्तीय लेखा–परीक्षा कराना अनिवार्य है जिसमें भौतिक लेखा परीक्षा भी सम्मिलित है, इसकी रिपोर्ट करना तथा और कार्रवाई करना भी सम्मिलित है, सतर्कता और निगरानी समितियों की स्थापना करना और बढ़ती हुई शिकायतों के समाधान के लिए प्रणाली का निर्माण करना, विधि के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। यह अधिनियम जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर "तकनीकी संसाधन सहयोग समूहों" की स्थापना करने की सिफारिश करता है और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्यक्रम – मनरेगा के कार्यों की निगरानी करना तथा अन्य कार्यों के निपटाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से प्रयोग करने के लिए प्रावधान निर्मित किए गए हैं और उनका पालन करना कानूनी रूप से अत्यंत अनिवार्य बनाया गया है।

4) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं जैसे कि कुल रोज़गार का 1/3 हिस्सा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त महिलाएँ, पुरुषों के समान वेतन भुगतान की हकदार होंगी। इस अधिनियम के ये महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर बाल देखभाल करने की व्यवस्था के प्रावधान भी रखे गए हैं।

5) इस योजना की व्यापक धनराशि या निधि का केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके पश्चात् इस योजना के अंतर्गत अकुषल षारीरिक काम करने वाले कामगारों को जो भगतान किया जाएगा वह योजना की सामग्री लागत का तीन–चौथाई भाग तक भुगतान किया जाएगा जिसमें कुषल और समकुषल कामगारों का वेतन भुगतान

भी सम्मिलित है। इस तरह से राज्य सरकार बेरोज़गारी भत्ते का भी भुगतान करेगी जिसमें कि एक–चौथाई हिस्सा सामग्री की लागत को शामिल किया जाएगा और इसके साथ कुछ अन्य अल्प प्रशासनिक खर्चे भी राज्य को ही भुगतान करने होंगे।

13.5 मनरेगा के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाकलाप

ग्राम विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को अधिसूचित किया है जिसमें प्रमुख रूप से कृषि और कृषि से संबद्ध कार्यों को शामिल किया है, और प्रमुख रूप से ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान रखे गए हैं। इन कार्यों को व्यापक रूप से 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसमें वाटरषेड, सिंचाई तथा बाढ़ प्रबन्धन के कार्य सम्मिलित हैं, कृषि और पशुधन से सम्बन्धित कार्य, समुद्री तटों पर मछली पालन और अन्य तटीय कार्य तथा ग्रामीण पीने का पानी और स्वच्छता से सम्बन्धित कार्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण रोज़गार योजना के लिए द्वितीय पीढ़ी के साथ कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठकों में ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्णय लिए जाएँगे। ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाओं और पहली बार शौचालय का निर्माण करना, सोक पिट्स तथा सूखा और तरल मलमूत्र व कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था मनरेगा के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2015 से आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत या अनुमोदित क्रियाकलापों में सम्मिलित किया गया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत स्वयं अनुमोदित प्राथमिकताओं को निश्चित किया गया है जो उनके अपने क्षेत्रों में कार्यों का निपटान करेंगे।

13.5.1 मनरेगा के अंतर्गत भू–टैगिंग

भू–टैगिंग (Geo-tagging) एक मेटाडेटा (Metadata) की भौगोलिक पहचान है जो माध्यम के रूप में जोड़ी गई प्रक्रिया है। यह वेबसाइट के रूप में कार्य करती है। मनरेगा के इस मामले में इस कार्यक्रम के तहत सम्पत्तियाँ उत्पन्न करने पर स्थान की विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्त्ताओं को सहायता प्रदान करती है। भू–टैगिंग का प्रयोग 1 सितम्बर 2016 से आरंभ हुआ है, और काँगड़ा जिला (हिमाचल प्रदेश) देश वह पहला राज्य है जहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत सभी सम्पत्तियों के सष्जन में इसका प्रयोग किया गया है।

मनरेगा ने भू–टैगिंग के द्वारा मील का पत्थर रखा है। इसके अंतर्गत एक करोड़ की सम्पत्तियाँ उत्पन्न की गई हैं। मनरेगा के तहत् जो सम्पत्तियाँ सषजित की हैं उनकी मात्रा व्यापक है एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 तक 2.82 करोड़ के लगभग सम्पत्तियाँ अर्जित की जा चुकी है। मनरेगा के अंतर्गत जो सम्पत्तियाँ अर्जित की है उनमें जल संचयन संरचनाएँ, पौधाकरण करना, ग्रामीण संरचना, बाढ़ नियंत्रण उपाय, सतत् जीवनयापन के लिए व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ, सामुदायिक संरचनाएँ इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। केन्द्रीय ग्राम विकास मन्त्रालय के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत अर्जित की गई सम्पत्तियों पर भू–टैगिंग लगाए गए हैं और प्राथमिकता के रूप में जल से सम्बन्धित कार्यों को प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन कार्यों के साथ भू–टैगिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भू–टैगिंग के प्रयोग से यह आशा की जाती है कि मनरेगा के कार्यों में बहुत बड़ी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की विशेष रूप से स्थापना होंगी जो व्यापक जनमानस के लिए हितकारी सिद्ध होगी।

13.6 मनरेगा का मूल्यांकन

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General - CAG) ने अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक 28 राज्यों 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में 3,848 ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats - GPs) का लेखा परीक्षण किया था, उसने मनरेगा कार्यान्वयन में कुछ गलतियों को प्रकट किया। लेखा परीक्षा नें मुख्य समस्याओं की पहचान की जिसमें रोज़गार के स्तर में गिरावट आई, कार्यों को पूरा करने की गति या दर बहुत ही कम थी, बुरी योजना, लीक जागरूकता में कमी के कारण राज्य सरकारों द्वारा संचार की व्यवस्था का निम्न स्तर का होना जिसमें उनका काफी दोष रहा है और इसमें कुछ हिस्सा स्टाफ की कमी होना भी रहा था। इसके पश्चात् नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस योजना को लागू करते हुए 8 वर्ष बीत गए किन्तु इन्होंने अपने–अपने राज्यों में इस पुरानी योजना को अधिसूचित नहीं किया है (इसके पश्चात् इन राज्यों द्वारा इस योजना में सम्मिलित हो गए थे)।

श्री जय राम रमेश, केन्द्रीय मन्त्री, ग्राम विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, ने यह कहते हुए इस कार्यक्रम पक्ष में अपना बचाव दियाः "यह शायद सबसे बड़ा और विश्व का अत्यधिक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा तथा लोक कार्य का कार्यक्रम है" (ग्राम विकास मन्त्रालय, 2012)। इसने फिर आगे कहा कि इस योजना की उच्च प्रसिद्धि अपने आपमें एक साक्ष्य है और तथ्य है कि लगभग एक चौथाई सभी ग्रामीण परिवारों के लोग प्रति वर्ष इस कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं।

आर.के. लस्कर (R.K Laskar) मनरेगा के एक अन्य पक्षधर है, इनका दावा है कि यह योजना बहु प्रकार के लाभों से जुड़ी हुई है जिसमें "गरीबी में कमी आना, आप्रवासन दर कम होना, महिलाओं का सषक्तीकरण, कृषि उत्पादकता में सुधार का होना, और जल संसाधनों का पुनः उत्पन्न होना या उदगम होना, इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं" (*फाइनेंशियल वर्ल्ड, Financial World*)।

मनरेगा के पक्षकारों की ओर से माँग है कि इस योजना के लिए केन्द्र द्वारा आबंटित किया जाना चाहिए ताकि 200 तक कार्य दिवसों में वृद्धि की जा सकती है।

1) प्रत्येक व्यक्ति को जो रोज़गार प्राप्त करने की माँग करता है उसको जॉब कार्ड (Job Card) दिया जाना चाहिए या जारी किया जाना चाहिए।

2) सभी कार्ड धारकों को न्यूनतम 150 दिनों के लिए कार्य दिवसों में कार्य देने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम को शक्ति से लागू किया जाना चाहिए और मज़दूरी भुगतान में होने वाले विलम्ब को कम किया जाना चाहिये।

4) मनरेगा की योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए।

एक अन्य सुझाव दिया गया है कि इस योजना के समुचित क्रियान्वयन की निगरानी और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ग्राम सभा को सक्रिय करने की अत्यंत आवश्यकता है (पीपल डेमोक्रेसी, Peoples Democracy 14 सितम्बर, 2014)।

केन्द्र सरकार ने सन् 2018–19 के बजट में मनरेगा के बजट में वृद्धि करके आबंटित राषि से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण लोगों के संकटों से परिचित और वह विशेषकर बेरोज़गारी पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है जबकि मनरेगा के द्वारा अधिक रोज़गार

सषजित किए हैं जो अन्य सरकारी योजनाओं और निजी क्षेत्र के प्रयासों से कहीं अधिक है। इसके साथ ही इसकी आलोचनाए भी की जाती हैं जैसे कि मुद्रा स्फीति का होना, कामगारों के समय पर मज़दूरी का भुगतान न होना और देश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का निश्चित काम नहीं मिल पा रहा है, इत्यादि मुद्दों पर इसकी आलोचना की जाती है।

सबसे अधिक आलोचना यह है कि मनरेगा की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में है, जैसे कि इसको खर्च करने के लिए अत्यधिक धनराशि दी जाती है, किन्तु उस धनराशि को बिचौलिये बीच में ही खा जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप मनरेगा के कामगारों को उनका वेतन नहीं मिलता है और यदि मिलता भी है तो अत्यंत विलम्ब के बाद मिलता है, यहाँ तक कि उनको निश्चित मज़दूरी का भुगतान भी नहीं किया जाता है। यह भी ध्यान में लाया जाता है कि महुआडेंड, झारखण्ड में जिन मज़दूरों ने मनरेगा के अंतर्गत काम किया उनको उनका वेतन नहीं दिया गया था जिसमें अधिकतर वे लोग थे जिन्होंने काम किया किन्तु वेतन नहीं दिया गया था। यदि कुछ लोगों को मज़दूरी दी भी गई तो वह निश्चित वेतन से बहुत कम का भुगतान करने लगे (नारायणन, Narayanan 27 जून 2017)।

इस सम्बन्ध में किसानों की ओर से भी आलोचनाएँ की गई हैंः भूमिहीन श्रमिक बहुत ही आलसी हो गए हैं और वे खेतों में काम करना नहीं चाहते हैं, उनका कहना है कि मनरेगा में बिना काम किए उनको वेतन मिलता है वे खेतों में काम क्यों करें। कृषि कार्यों में काम करने वाले अब अधिक मजूदरी देने की माँग करते हैं और इस तरह से खेती करने का कार्य बहुत ही महँगा हो गया है और यह अब लाभदायक नहीं रहा है। अर्थशास्त्री जैसे कि जगदीष भगवती और अरविन्द पंगारिया का कहना है कि मनरेगा गरीबों को आय दिलाने के लिए यह एक असक्षम उपाय या साधन है, इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है।

मनरेगा पर रोडरीन्यूज़ ने एक अध्ययन किया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि स्थानीय सरकार के स्तर पर इसमें बेहद भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेखक कहता है कि जॉब कार्ड अधिक संख्या में बनवा लेते हैं जबकि वास्तविक लोगों की संख्या बहुत कम होती है जोकि कार्य स्थल पर कार्य करते हैं। इस तरह से अधिक मज़दूरों की संख्या को दर्षाकर आवश्यकता से अधिक बजट धन प्राप्त कर लेते हैं और उसे स्थानीय कर्मचारी/अधिकारी लोगों द्वारा गबन कर लिया जाता है।" यहाँ तक कि जॉब कार्ड बनवाने के लिए भी स्थानीय कर्मचारियों को रिष्वत देनी पड़ती है। यह रिपोर्ट उन्होंन अपने अध्ययन में की है (2017; 64)।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा का महत्व और उसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए और इसकी कमजोरियों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

13.7 निष्कर्ष

भारत जैसे देश में बेरोज़गारी नीति निर्माणकर्त्ताओं के लिए तथा यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इससे भी अधिक गरीबों और असुविधाभोगियों के लिए है। यह अर्थव्यवस्था और शासन की स्थिरता के लिए भयंकर चुनौती है। सबसे अधिक समस्या विकासशील और अल्पविकास की है जैसे कि गरीबी और भूखमरी है जोकि बेरोज़गारी की परिघटना के परिणामस्वरूप है। भारत सरकार नई पहलों के साथ रोज़गार सम्बन्धित कार्यक्रमों में सकारात्मक परिवर्तन लाकर इसके सुधार में भरसक प्रयास कर रही है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा को सम्पूर्णता से लागू करने के लिए तथा उसको और मजबूती देने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बजट आबंटन में भारी वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2018–19 में 55,000 करोड़ रुपए) की है जैसे कि इलैक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली जैसे उपायों को लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में व्यापक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए आधार सीडिंग और सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया गया है। यह भी कहा जाता है कि एन.डी.ए. सरकार के द्वारा सीधे ही लाभार्थियों को हस्तांतरण योजना (Direct Beneficiary Transfer - DBT) को लागू करने के पश्चात् श्रमिकों के वेतन भुगतान में होने वाले भ्रष्टाचार के अवसरों में कमी आई है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा के ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में यह पोत झण्डा (सिपफ्लैग) है। यह भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे अधिक महत्वाकांक्षी रोज़गार कार्यक्रम है। यह वेतन आय सर्षजित करने के द्वारा ग्रामीण गरीबों की जीवनयापन सुरक्षा में वृद्धि करता है उसको सुदष्ढ़ बनाता है। साथ ही अकस्मात रूप से पूरे देश के हिस्सों में स्थापित संरचनात्मक विकास करने के माध्यम से सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन भी कर रहा है जो एक महत्वपूर्ण कार्य है।

13.8 शब्दावली

भू–टैगिंग (Geo-tagging): भू–टैगिंग विभिन्न माध्यमों जैसे कि वेबसाइटों, एस.एम.एस., क्यू आर कोड्स इत्यादि को मेटाडेटा के रूप में अतिरिक्त भौगोलिक पहचान की प्रक्रिया है।

रोज़गार (Employment): कुछ लोगों को वेतन–आधारित कार्य उपलब्ध कराने का कार्य है।

गारन्टी (Guarantee): यह एक औपचारिक वचनबद्धता (लिखित में विशेष) है जोकि कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

जीवनयापन सुरक्षा (Livelihood Security): इसका अर्थ यह है कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की सुरक्षा प्रदान करता है।

13.9 संदर्भ लेख

Aiyar, S. (05th June, 2019). Not with standing No Naukri. *The Economic Times.* Hyderabad.

Bhalla, S. (12th December, 2014). No proof required: Move from NREGA to cash transfers. *The Indian Express.*

Comptroller and Auditor General of India. (2013). *Audit Performance of MGNREGA.* New Delhi, India: Government of India.

GOI. (2012). *Annual Report 2010-11*. New Delhi, India: Ministry of Rural Development, Government of India.

GOI. (2018). *India 2018: A Reference Annual*. New Delhi, India: Publications Division, New Delhi.

Laskar, R.K. (14th March, 2013). MGNREGA: Safety Net for the Rural Poor. *Financial World*.

Pai, M. (16th June, 2019). India has a wage problem, not job problem. *Business Standard*. Mumbai.

Narayanan, R. (27th June, 2017). Communalism has been Injected Even in Bread and Butter. *The Wire*.

National Sample Survey. (2019). *Periodic Labour Force Survey (2017-18)*. New Delhi, India: Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India..

Rodrigues, A. (2017). The Relevance of MGNREGA: Reflections from Goa. *South Asian Journal of Socio-Political Studie*s. 18(1).

Seetapati, V. (2015). *Half-Lion: How P.V. Narasimha Rao transformed India*. New Delhi, India: Penguin Books.

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:

- बेरोज़गारी 133 करोड़ भारतीयों के देश में एक प्रमुख समस्या है।
- भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, केन्द्र सरकार ने बेरोज़गारी भयंकर दर को समस्या के साथ ग्रहण किया है और रोज़गार के अवसरों में सुधार करने के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की घोषणा की है।
- रोज़गार नीति के शब्दों को निम्नलिखित में सम्मिलित किया है:

  क) रोज़गार की स्थितियों में सुधार करने के लिए लक्ष्यों की स्थापना करना (बेरोज़गारी या अल्परोज़गार दरें);

  ख) इन लक्ष्यों में से प्राथमिकताओं को स्थापित करना; और

ग) इसको तीव्र गति प्रदान करने के लिए अनुक्रिया के कारणों को संबद्ध करना, उनको उपलब्ध कराना जो कि निर्धारित शर्तों से पहले अनुक्रिया नहीं कर रहे थे।

- रोज़गार नीति विकास के मुद्दों और रोज़गार सष्जन कार्यक्रमों में जानबूद्ध कर भी सम्मिलित किया गया है।

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- रोज़गार नीति और आरंभ किए गए कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गएः
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
- प्रधानमन्त्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना
- बाल श्रम प्रतिषेध
- प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- प्रधानमन्त्री युवा योजना (PMYY)
- ग्रामीण स्व–रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSETI)

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- अधिनियम वेतन भुगतान रोज़गार के लिए अधिकार–आधारित संरचना को उपलब्ध कराता है।
- यह देखा गया है कि यह अधिनियम इस प्रकार से बनाया गया है कि रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन संरचना देने की व्यवस्था की गई है जिसमें रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो लागत लगेगी उसको 90 प्रतिशत खर्च को केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- सम्पूर्ण रोज़गार की स्थितियों में एक/तिहाई (1/3) महिलाओं के लिए रोज़गार आरक्षित किए गए हैं।
- इस योजना के लिए व्यापक धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा के कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियों को प्रदर्शित किया है।
- आठ वर्ष पुरानी योजना को पाँच राज्यों ने अभी तक अपने राज्यों में अधिसूचित नहीं किया है।
- सरकार द्वारा प्रदत्त व्यापक धनराशि को बीच में ही बिचौलिए हजम कर जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम – मनरेगा के असंख्य श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ या फिर उनको निश्चित वेतन से बहुत कम वेतन मिल पाया था।
- यह भी कहा जाता है कि गरीबों को आय उपलब्ध कराने देने का जो उपाय किए गए हैं वे असक्षम और अनोपयोगी हैं।

इकाई 14 पर्यावरण नीति

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.1.1 पर्यावरण की संकल्पना और मानव की भूमिका

14.2 पर्यावरण नीति के लिए चुनौतियाँ

14.2.1 गरीबी और जनसंख्या विस्फोट

14.2.2 भूमि पर दबाव मरूस्थलीकरण और वन–कटाई

14.2.3 प्रदूषण

14.2.4 संस्थागत और नीति असफल

14.2.5 विश्व के पर्यावरणीय मुद्दे

14.3 राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के उद्देश्य और सिद्धान्त

14.3.1 उद्देश्य

14.3.2 सिद्धान्त

14.4 नीति और वैधानिक ढाँचा

14.4.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की भूमिका और उद्देश्य

14.5 पर्यावरण की आर्थिक संवृद्धि और शहरीकरण की चुनौतियाँ

14.6 निष्कर्ष

14.7 शब्दावली

14.8 संदर्भ लेख

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- पर्यावरण नीति का महत्व और उसके क्षेत्र;
- पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विधिक और संवैधानिक प्रावधानों का व्यापक अर्थ; और
- पर्यावरण पर आर्थिक संवृद्धि और शहरीकरण के प्रभाव।

14.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 (National Environment Policy - NEP) (मई 2006 में केन्द्रीय मन्त्री परिशद से अनुमोदित) मानव पर्यावरण के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की अनुक्रिया है और भारत के संविधान द्वारा दिये अधिदेश से एक स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। इसके पश्चात् इसको असंख्य न्यायिक अधिमतों के द्वारा मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है।

14.1.1 पर्यावरण की संकल्पना और मानव की भूमिका

पर्यावरण का अर्थ आसपास की स्थितियों से या वातावरण से हैं, जिसमें व्यक्ति या पेड़–पौधे, पशु–पक्षी रहते हैं या वे अपना संचालन करते हैं। इसका अर्थ प्राकृतिक विश्व भी है जिसमें सब कुछ समाहित है अथवा एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, विशेषकर जो मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होता हो। पर्यावरण के अनेक घटक हैं। इसके प्रत्येक घटक जिनका गठन हुआ है और जिसमें मनुश्य अपने हित और कल्याण पर निर्भर है तथा उसके कारण भी जीवित है। मानव और पष्थ्वी की अन्य जातियों के बीच एक बड़ा अन्तर है जो पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण पर पहले का अधिक प्रभाव होता है जबकि बाद का बहुत ही कम होता है, स्वस्थ पारिस्थिति तन्त्र या पर्यावरण मानव और अन्य जीव जन्तुओं के लिए संवृद्धि तथा जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके सम्बन्ध में देखना है कि मानव के क्रियाकलाप और लोक नीतियों में पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाये, उसको संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ तालमेल बनाए रखना अनिवार्य है।

इस नीति का प्राधिकृत सिद्धान्त है कि आजीविका कमाने और सब के कल्याण को सुरक्षित रखते समय पर्यावरण सम्बन्धी संसाधनों का संरक्षण और अभिरक्षण करना अनिवार्य शर्त है। प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट आना व उसमें कमियाँ होने से पारिस्थिति तन्त्र में असंतुलन को बढ़ावा मिलता है और जैव विविधताओं की हानि होती है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के इस नक्षत्र पर जीवन की समाप्ति हो सकती है। इसलिए इस तरह की आपदाओं और संकटों से बचने के लिए, इस राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को सभी विकास की गतिविधियों में पर्यावरण के संरक्षण पर चिन्ता करते हुए, इस नीति को हमें मूल धारा में रखना चाहिए। इसका पालन करना चाहिए।

14.2 पर्यावरण नीति के लिए चुनौतियाँ

विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं की पर्यावरणीय निगरानी पर हुए अनुसंधान की रिपोर्ट बहुत ही भयानक तथ्यों को प्रकट करती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास में संकटपूर्ण अनुभव देखने को मिलें हैं, विकास के प्रयास के परिणामों पर विश्व समुदाय (लोग और राष्ट्रों) ने यह महसूस किया है कि हम अपने स्वास्थ्य और अपना कल्याण व हित तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम पर्यावरणीय प्रलय, तथा विनाश को अपने क्रियाकलापों में बदलाव करके बचा सकते हैं। सन् 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन किया था (इसमें 113 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था) इसमें घोषणा की गई थी कि : "व्यक्ति के पर्यावरण के दोनों पक्षों को प्राकृतिक और व्यक्ति द्वारा बनाया गया है ये दोनों कल्याण और मूल मानव अधिकारों – यहाँ तक कि जीवन जीने के स्वयं के अधिकार अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पर्यावरण सुरक्षित रखना अनिवार्य है।"

भारत पर्यावरणीय विनाष की चुनौतियों का सामना कर रहा है जोकि बहुत ही गंभीर तो हैं ही षायद इसकी क्षतिपूर्ति करना भी असंभव है। भारत के सामने जो प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है, वह आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बीच सम्बन्ध है उसके कारण पर्यावरणीय गिरावट आई है। ये चुनौतियाँ सहज रूप से प्राकृतिक संसाधनों की स्थितियाँ जैसे कि भूमि, जल, वायु और वनस्पतियाँ (पेड़–पौधों का जीवन) और जीव जन्तु (पशु पक्षियों के जीवन) के साथ संबद्ध हैं। यहाँ पर यह मुद्दा या बिन्दु है कि पर्यावरण को नष्ट करने वाले कारण सामाजिक व आर्थिक समस्याएँ हैं जिसमें आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों का लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। दुश्यचक्र को तोड़ने के लिए

केवल सभी स्तरों पर सरकार द्वारा अधिक ध्यान देने पर सफलता नहीं मिलेगी बल्कि लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति के महत्वपूर्ण विकास पक्षों का कुछ पालन करने पर मानव पर्यावरण पर नकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं।

14.2.1 गरीबी और जनसंख्या विस्फोट

गरीबी में अनेक आयाम हैं जो भयंकर प्रदूषण फैलाने में सहयोग देते हैं। गरीबी केवल मानव पर्यावरण को नश्ट नहीं करती है बल्कि यह विकास में भी बाधक है। ग्रामीण गरीबों की निर्भरता, विशेषकर आदिवासी समाजों में जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं (उनका अत्यधिक संग्रह तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग करना, उनका शोषण करना) ये सब पर्यावरणीय निम्नीकरण करने में सहयोग देते हैं, जिसके कारण उपजाऊ भूमि, जंगल के मूल्यवाद पदार्थों व वन–सम्पत्तियों, जंगली जानवरों, मछलियों और जल और वायु की कोटि पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त, द्रद्रयीयिता की जो प्रक्रिया है वह पर्यावरण को और अधिक खराब करने में फिर से सहायता करती क्योंकि गरीब आदमी सीधे ही प्राकृतिक सम्पदाओं पर निर्भर करता है, इससे पर्यावरण में तेजी से गिरावट होने लगती है। इसके अतिरिक्त शहरी पर्यावरणीय गिरावट का कारण हैं, वहाँ पर कूड़े–कचरे का ठीक से निपटान न होना, स्वच्छता की स्थिति भयानक है, उद्योगों और वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण केवल प्राकृतिक संसाधनों पर ही प्रभाव नहीं डालते हैं (मुख्य रूप से जल, वायु और भूमि) बल्कि शहरी गरीबों के स्वास्थ्य पर भी भयंकर प्रभाव डालते हैं। इसलिए, यह उनके रोजगार के अर्जन करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को नश्ट कर देते हैं।

गरीबी और पर्यावरण में गिरावट आना दोनों मिलकर जनसंख्या की वृद्धि होना संकट का कारण बनाने में दबाव बनाते हैं। शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग और गाँवों के गरीब यह जनसंख्या वृद्धि के बड़े परिवार बनते हैं, यह संख्या वृद्धि के घातक बिन्दु हैं। इसके साथ ही 1337 मिलियन लोगों की जनसांख्यिकी के दबाव (मई 2019 में किया गया अनुमान) के परिणामस्वरूप मानव जीवन की कोटि और प्राकृतिक संसाधनों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं जिसके कारण पर्यावरणीय गिरावट तो आती है और लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण की समस्या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि और छोटे कस्बों और गाँवों से होने वाले आप्रवासन का घातक आक्रमण माना गया है। सन् 1911 में भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 11.4 प्रतिशत आंकी गई थी जो सन् 2019 के आते–आते लगभग 35 प्रतिशत हो गई है। भारत में शहरी जनसंख्या त्वरित गति से बढ़ी है जिसके कारण अनेक समस्याओं का जन्म हुआ जैसे आवासों की कमी होना, मलिन बस्तियों का बसना या बनना, रिहायषी स्थानों का संकुचन होना तथा पर्यावरण में भारी गिरावट का उत्पन्न होना है। इन सभी कारणों के परिणामों से सब से अधिक गरीब लोग प्रभावित हुए हैं।

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का सवाल है वहाँ भी इसके समान ही समस्याएँ और हालत संतुश्टिपूर्ण नहीं हैं। गाँवों में आवासीय, जल आपूर्ति, बिजली जैसी भयंकर समस्याओं में असीमित वृद्धि हुई है। ईंधन के लिए वनों की कटाई और उनका भण्डारण और पशुओं तथा अन्य पशुधन के चारे के लिए अत्यधिक जंगलों व घास की कटाई के कारण अब जंगल वनस्पति विहीन और उजाड़ हो गए हैं। इन सबके कारण हमेशा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनीकरण हो गया है, अब वे उजाड़ हो गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक अपशिष्टों व कूड़े–कचरे के निपटान की व्यवस्था न होने के कारण जल

संदूशण में वृद्धि हुई है तथा जीवन की स्थितियों में अस्वच्छता में वृद्धि हुई है तथा स्वच्छता की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये सभी समस्याएँ एक साथ मिलकर पर्यावरणीय चिन्ताओं में वृद्धि करती हैं।

14.2.2 भूमि पर दबाव मरूस्थलीकरण और वन–कटाई

भारत में उच्च जनसंख्या का घनत्व और गरीबी का अत्यधिक उच्च स्तर मिल कर एक घातक संकट उत्पन्न करते हैं। भारत के पास लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर भूमि है (विश्व की लगभग कुल भूमि का 2.4 प्रतिशत भूमि का हिस्सा इसके पास है)। इसमें से 170 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है और 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान में खेती बाड़ी की जा रही है क्योंकि आंचलिक स्थल क्रमिक और पारिस्थितिी के कारण आबद्ध या उसमें समाहित हैं तथा ग़ैर कृषि भूमि के प्रयोग के लिए माँग में वृद्धि हुई है, इसलिए कृषि भूमि के लिए क्षेत्र में वृद्धि करने की गुंजाइष नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत में भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सन् 1950 में 0.89 हेक्टेयर भूमि से गिरकर सन् 2018 में 0.24 हेक्टेयर भूमि प्रति व्यक्ति हो गई है और इसके बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि कर के कारण ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह सन् 2020 तक 0.20 हेक्टेयर भूमि घट जाएगी, कम हो जाएगी।

भूमि की उपलब्धता की कमी होने के कारण संरचनाओं का विस्तार करना, खनिज संसाधनों का विकास, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के फैलाव में उसके विकास में प्रमुख बाधा के रूप में हमारे समक्ष हैं। इस के साथ ही देश की 60 प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है जहाँ पर्यावरणीय गिरावट के कारण उसका शोषण हो रहा है। इसके साथ ही दोहरे दबाव के कारण एक व्यापक क्षेत्र एक बंजर भूमि बनने के कगार पर है और वह भयानक खतरे में पड़ा हुआ है। एक तरफ अपने तौर तरीकों के लिए अमीर लोगों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दुर्विनियोजन किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी ओर गरीब किसान अपने आपको जीवित रखने के उद्देश्य से सीमांत कृषि भूमि को विस्तार देने के लिए अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सीमित चारवाह भूमि के विस्तार के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। भूमि प्रयोग करने का व्यापक रूझान बन गया है, त्वरित जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग जीवनयापन के लिए भूमि की खोज में और वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के लिए और अधिक भूमि की माँग की जा रही है।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण कृषि सम्बन्धी मिश्रण में जुड़ गए हैं। त्वरित जनसंख्या वृद्धि कृषि में गतिरोध तथा पर्यावरण में गिरावट ये सब एक–दूसरे से संबद्ध हैं, और आपस में एक साथ मिलकर अपने दबाव को बनाते हैं। भारत में कृषि विकास जीवन को बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है तथा इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देता है, परन्तु यह लगातार या सतत् रूप से उत्पादनों का संरक्षण नहीं कर पाते है। जबकि पूरे देश में इसकी वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित खाद्य का उत्पादन किया जाता है (1.3 बिलियन से अधिक), परन्तु खाद्य वितरण में समानता न होने के कारण लोगों की मिलियन जनसंख्या उदर पूर्ति के बिना रह जाती है, उन्हें खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अनुउपयुक्त कृषि कार्य या व्यवहार तथा अनेक प्रकार की कृषि की समस्याएँ न केवल इष्टतम उपज से कम पैदा करते हैं बल्कि यह भूमि क्षरण व कटाव मरूस्थलीकरण और क्षार (खारी) मिट्टी के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करती है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग तथा व्यापक सिंचाई का स्तर अत्यधिक प्रभावित करते हैं। कृषि सम्बन्धी अवरोध और पर्यावरण में गिरावट आने पर भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। अधिक शिशु जन्म और अधिक बाल मृत्यु दर में

वृद्धि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण होती है, इसके परिणामस्वरूप कुपोषण की कमी से मृत्यु दर में वृद्धि होती है और यहाँ के सभी स्त्री–पुरुष अधिक बच्चे पैदा करते हैं ताकि कुछ बच्चे तो बच सके जो बुढ़ापे में सहारा बन सकें।

हमारे प्राकृतिक वनों का संरक्षण और सषक्तीकरण एक अन्य संकटपूर्ण क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की उपलब्धि पर इनका विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि देश के अधिकतर कोयला खदानों व संसाधनों का भण्डार तो वनों के अंदर ही व्याप्त हैं। सम्पूर्ण भारत में पर्यावरण के क्षेत्र इस वर्तमान शताब्दी में खाली हो गए या नष्ट हो गए हैं और वे वन भूमि बन कर रह गए हैं। भारत के वन को घेरने या उन पर आवरण डालने, इस सम्बन्ध में तथ्य प्रकट करते हैं कि 75 मिलिटन हेक्टेयर भूमि को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 64 मिलिटन हेक्टेयर भूमि वास्तव में वनों का संरक्षण करती है, और इसके बाद या इससे बाहर केवल 30 मिलिटन हेक्टेयर भूमि संरक्षित की गई है, जिसमें केवल लगभग 9 प्रतिशत देश का भौगोलिक वन संरक्षित बना हुआ है। वन कटाई का प्रमुख कारण वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पेड़ों को काटना या गिराना है तथा वनों को कृषि के प्रयोग के लिए वन भूमि में परिवर्तन करना, आवासों का निर्माण करने और उद्योग स्थापित करने के लिए और इससे कुछ कम अधिक ईंधन के लिए बेरहमी से वनों की कटाई का काम व्यापक स्तर पर किया गया है।

वनों की कटाई का कारण जीवित प्राकृतिक संसाधनों को नश्ट करना है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में कुल 25,0000 पेड़–पौधों की जातियों में से 15,000 जातियाँ तथा 75,000 पशुओं की जातियों में से विश्व की 1.5 मिलियन जातियों में से उसको नश्ट करने की ध मकी भरी आषंका है जो क्रमानुसार मानव की गतिविधियों के विस्तार के कारण नश्ट होते जा रहे हैं, यह प्राकृतिक वन क्षेत्र/यह क्रियाकलाप भूमि और वनों दोनों में किए जा रहे हैं। भारतीय मरूभूमि पारिस्थितिकीय तन्त्र (भारत का भौगोलिक क्षेत्र का 127.3 एम एच ए क्षेत्र संरक्षित किया गया है) जिसमें अत्यंत ही समष्द्ध जातियाँ व उपजातियाँ मौजूद हैं, स्तनधारियों की विभिन्न जातियाँ षीत काल के दौरान क्षेत्र प्रवासियों जैसे पक्षियों की जातियाँ जनसंख्या में त्वरित वृद्धि के कारण उनकी नस्ल समाप्त होने के कगार पर बन गई हैं।

14.2.3 प्रदूषण

पर्यावरणीय प्रदूषण वायु, जल, भूमि, खनिज, विकिरण या गंध के परिणामस्वरूप होता है और इससे प्रत्येक नागरिक का जीवन टकराता है अथवा प्रभावित होता है। जल प्रदूषण सबसे अधिक गंभीर और भयानक होता है, यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक अनुमान है कि भारत में जो जल उपलब्ध होता है वह 70 प्रतिशत नगरों, शहरों और उद्योगों के समुदायों का मलमूत्र, कचरा इत्यादि का सम्मिश्रण ही होता है।

भारत में जल अन्य संसाधनों से अधिक दुर्लभ है, हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16 प्रतिशत है और हमारे यहाँ प्रयोग किए जाने वाले पानी का मात्र 4 प्रतिशत है। इसी तरह से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जल प्रदूषण का निहितार्थ और गंभीर है। एक अनुमान के अनुसार भारत में दो–तिहाई रोग जल से पैदा होने वाले माने जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड, संक्रामक, यकृत शोथ, हैजा और दस्त लगना है। इसमें भारत की बड़ी नदियाँ भी सम्मिलित हैं जैसे कि गंगा, यह आज अत्यधिक प्रदूषित है, इसको औद्योगिक उत्पादन तथा घरों में प्रयोग होने वाले घटिया किस्म के ईंधन को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से यह पर्यावरण का बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण पक्ष बन गया है। इसके परिणामस्वरूप और इसके घटिया रखरखाव के कारण कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोकार्बन,

नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषण की व्यापक मात्रा का उत्सर्जन हुआ है। इसके अतिरिक्त जल और वायु प्रदूषण के अलावा, पर्यावरण से सम्बन्धित षोर–षराबा सबसे बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है। कोलाहल का मुख्य कारण परिवहन, औद्योगिकी, मनोरंजन तथा धार्मिक गतिविधियाँ जो अपने कार्यक्रम में ऊँची आवाज का ही नहीं लाउडस्पीकरों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं जिसके कारण असंख्य हानियाँ होती हैं।

14.2.4 संस्थागत और नीति असफलता

संस्थागत व्यवस्था का असफल होने का अर्थ है जो विनियमों का निर्माण किया हुआ हो। उनका प्रयोग न करना अथवा उनको पूरी तरह से लागू न करना, इस तरह से पर्यावरणीय संसाधनों का प्रयोग न करना से, इन सबके परिणामस्वरूप पर्यावरण को हानि तो होती है उसका स्तर भी निम्न हो जाता है। इस प्रकार के विनियमों के मानव और पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग के बीच जो सम्बन्ध होते हैं वे बहुत ही संकटपूर्ण और आलोचनात्मक होते हैं, जैसे कि विभिन्न संसाधनों के प्रयोग के लिए मिलने वाले अनुदानों व सहायता सम्बन्धी विनियमन हैं उनका स्पष्ट न होना इत्यादि के कारण नीतियाँ असफल होती हैं। अनोपयुक्त या समुचित नीति के न होने पर भी पर्यावरणीय परिणामों पर विपरीत प्रभाव के साथ लोक व्यवस्थित प्रणाली में पाबन्दी न लगाने की दिशा में अपनी अनुक्रिया कर सकती है।

14.2.5 विश्व के पर्यावरणीय मुद्दे

एक अन्य प्रमुख चुनौतियों के समूह का उद्‌गम हुआ है जो कि ओज़ोन की परत का निषेशीकरण यानी नश्ट होने के कगार पर और जैविक विविधताओं में कमी आना, उन के स्तर में गिरावट होना। इसमें विश्व के पर्यावरणीय चिन्ताओं के उभार से जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ मानव जीवन के समक्ष हैं। वातावरण में कार्बनडाइऑक्साइड में वृद्धि व निर्माण होना तथा औद्योगिकी एवं परिवहन चलाने के कारण धुएँ में उत्सर्जन होना, यह सब वैष्विक तापमान यानी भूमण्डल के ताप में वृद्धि करने में सहयोग देते हैं। अब यह भयभीत करने वाली स्थिति बन गई है कि कार्बनडाइऑक्साइड दोहरे रूप से संकेन्द्रित हो गई और इसका स्तर लगभग तीन सौ पचास पार्टस पर मिलियन पी.पी.एम. (Parts Per Million - PPM) स्थिति है एक अनुमान के अनुसार यह 2030 से 2075 तक सात सौ पी.पी.एम. तक वृद्धि होने की संभावना है, और विश्व के तापमान में वृद्धि 1.5 और 4.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है और समुद्र के जल का स्तर 20 सेंटीमीटर से एक मीटर तक पहुँचने की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, भयंकर बाढ़, तूफान, अन्धड और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों की घटनाओं में दोहरी वृद्धि होंगी।

पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं में घटने का एक और भी कारण है कि हम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग समुचित रूप से नहीं करते हैं, इसलिए पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धियाँ हो रही हैं। इस तरह की समस्याओं के यहाँ उदाहरण दिए जा सकते हैं जैसे कि षस्त्रों की दौड़, विशाक्त कचरा व अपशिष्ट ओज़ोन परत के नश्ट होने की चुनौती, संभावित जलवायु में परिवर्तन, इत्यादि प्रमुख समस्याएँ हमारे समक्ष हैं जिनका हमको निराकरण करना है। इस प्रकार की समस्याओं का आर्थिक प्रभाव आपदाओं से परिपूर्ण होगा। पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी का जो प्रभाव पड़ रहा है, यह सोचनीय व चिन्ताजनक स्थिति में पहुँच चुका है। जबकि विकसित देशों में इसकी क्षमता का प्रतिशत बहुत ही कम आंका गया है। विकासशील दुनिया के लिए पर्यावरण के लिए विवेकपूर्ण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना तथा उनका अन्त में इसके विपरीत उत्पादन करना यह केवल इसलिए नहीं करना है कि पर्यावरण और

अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित रखा जा सकें। परन्तु आपकी जिम्मेदारी है कि आप विश्व के पर्यावरण के वातावरण में भी सुरक्षित रह सकें।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) पर्यावरण को परिभाषित कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

2) 'पर्यावरण नीति अनेक चुनौतियाँ का सामना करती हैं'। चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

14.3 राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के उद्देश्य और सिद्धान्त

14.3.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 (National Environment Policy - NEP) के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i) संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण

ii) अन्तःपीढ़िगत कोटि की उन्नति गरीबों के लिए आजीविका की सुरक्षा

iii) अन्तर–पीढ़ीगत को समानता

iv) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना के साथ पर्यावरण की चिन्ताओं को एकीकृत करना।

v) पर्यावरणीय संसाधनों का सक्षमता के साथ प्रयोग

vi) पर्यावरणीय शासन

vii) पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संसाधनों का संवृद्धि न करना।

14.3.2 सिद्धान्त

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में इस नीति के सम्बन्ध विभिन्न अभिकर्त्ताओं की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धान्तों को सम्मिलित किया गया जो निम्न प्रकार हैं:

i) मानव का प्रकृति के साथ सामंजस्यता में स्वास्थ्य उत्पादकता का जीवन जीने का अधिकार है (सतत् विकास के केन्द्र में मानव को स्थापित किया गया है)।

ii) विकास के अधिकार का वितरण इस तरह से पूरा किया जाना नितांत आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों में विकास और पर्यावरण की आवश्यकताएँ का सबको समान रूप से बराबर लाभ प्राप्त हो सके।

iii) सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को विकास प्रक्रिया के एक समाकालीन भाग के रूप में निर्मित करना होगा।

iv) पर्यावरण की गिरावट को रोकने के लिए प्रभावी लागत उपायों को बन्द करने के लिए एक कारण के रूप में सम्पूर्ण वैज्ञानिक मानव शक्ति की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा (सावधानी अपनाने का दृष्टिकोण)।

v) पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में विभिन्न लोक कार्यों का निष्पादन आर्थिक सक्षमता को लागू करने समय सिद्धान्तों के अनुप्रयोग के माध्यम से पूरा किया जायेगा : (क) प्रदूषित करने वाले द्वारा भुगतान करना; (ख) लागत का न्यूनीकरण करना (आर्थिक संक्षमता मील का पत्थर होता है)।

vi) मानव स्वास्थ्य, जीवन और पर्यावरणीय जीवन–सहायक, प्रणाली का जोखिम से परिपूर्ण महत्व जिसका कि लोगों की व्यापक संख्या पर उनके कल्याण पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी स्थिति को असमान या "तुलना करने योग्य" समझना चाहिए (अतुलनात्मक मूल्यों के साथ पहचान की जाए)।

vii) मानव के प्रति पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में अलग तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है (समानता)।

viii) नीति वैधानिक दायित्वों के सिद्धान्तों को प्रकट करती है, जिसमें यह एक विचार निहित होता है कि प्रदूषणकर्त्ता भुगतान दृष्टिकोण के कानून डॉक्ट्रीन को सम्मिलित करना आवश्यक है।

ix) सभी प्राकृतिक संसाधनों का राज्य एक न्यासी होता है जिसमें प्राकृतिक के द्वारा सार्वजनिक प्रयोग और आमोद–प्रमोद के लिए स्वीकार किया जाता है जोकि राष्ट्रीय हितों के कार्यनीतिक मामलों को विषय के रूप में लागू करते हैं (सार्वजनिक न्यास सिद्धान्त)।

x) राज्य और स्थानीय स्तरों पर विशिष्ट पर्यावरण के मुद्दों के निपटाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण इसकी शक्तियों को स्थानान्तरण और विकेन्द्रीकरण कर सकती है (विकेन्द्रीकरण)।

xi) पर्यावरण की नीतियों को सूत्रबद्ध करने, लागू करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्वःशासन स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ संबद्ध करना आवश्यक होता है (एकीकृत)।

xii) पर्यावरण का स्तर आर्थिक और सामाजिक विकास की स्थितियाँ को आवश्यक रूप से प्रभावित करता हैं जिसमें कि उनको लागू किया जाता है (पर्यावरण स्तर की स्थापना करना)।

xiii) आरंभ में ही प्रथम बार में पर्यावरण में होने वाली हानियों को तुरंत ही प्राचीनता के आधार पर रोक देना चाहिए न कि वास्तविक हानि होने के पश्चात पर्यावरण के संसाधनों को पुनः ठीक करने या सुधारने के प्रयासों से पहले (रोकथाम की कार्रवाई)।

xiv) यदि अपवादात्मक रूप से लोक हितों की अनदेखी करनी पड़ जाए तो संकटों से निपटना कठिन होता है अथवा जीव–जन्तुओं की जातियों को खतरे से बचाना और प्राकृतिक प्रणाली का संरक्षण करना कठिन हो तो ऐसी स्थिति में जीवन को बचाना, लागत प्रभावी प्रतिकारक उपायों को कार्यकर्त्ताओं को अपने हाथ में लेना चाहिए (पर्यावरण प्रतिकारक)।

14.4 नीति और वैधानिक ढाँचा

भारत विश्व के कुछ देशों में से एक है जिसने विशेष रूप से अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को समझा और उसमें इसको बचाने के लिए प्रावधानों को सम्मिलित किया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 क और 51क (छ) में सतत् विकास को कानूनी आधार उपलब्ध कराया है: "राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा जंगल एवं जंगली जीव–जन्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण का सख्ती से प्रयास करेगा।" यह नागरिकों का कर्त्तव्य होगा कि "वे जंगलों, वनों, झीलों, नदियों एवं जंगली जीव–जन्तुओं सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसको उन्नत करेगा इसके साथ ही जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन पर दया करेगा।" भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा की गई है कि भारत के संविधान में जीवन जीने के अधिकार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ में पर्यावरण की संरक्षा करना राज्य का कर्त्तव्य है।

अनेक राष्ट्रीय नीतियों में भूमि में गिरावट आना, मरूस्थलीकरण पर्यावरण में प्रदूषण का होना, इन सब पर पाबन्दी लगाना तथा इनको फिर से बदलना व परिवर्तन करने के सम्बन्धा में चिन्ता दर्षाई गई है उसके उपाय सुझाए गए हैं जैसे कि राष्ट्रीय जल नीति, 2012; राष्ट्रीय वन नीति, 1988; राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006; किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय नीतियों के अलावा, बीते वर्शों में दो सौ से अधिक (केन्द्र द्वारा) केन्द्रीय कानून पारित किए गए और राज्यों द्वारा कानून अभिज्ञापित किए गए हैं जोकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पर्यावरण का संरक्षण एवं उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित हैं। इसके साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों के विहंगावलोकन पर निम्नलिखित अनुच्छेद उपलब्ध कराए गए हैं:

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अनुसरण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अंतर्गत 12 राज्यों ने अपने यहाँ संकल्प पारित किए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 152 के तहत केन्द्रीय संसद ने जल और वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को पारित किया। इन बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करके इनके माध्यम से नियंत्रण करने के उपाय किए गए थे। इसके साथ ही संसद ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए और अधिक पहल पैदा करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 को पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण और निर्दिश्ट उद्योगों को जल का उपयोग करने के बदले में षुल्क का भुगतान करना है अर्थात उनको उपकर देने के लिए व भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम षायद लगातार सन् 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए

आलोचना का मुख्य मुद्दा रहा था जिसमें निगरानी तथा विनियम के लिए कानूनी ढाँचे की कमी को इंगित किया गया था तथा इसमें यह भी कहा गया था कि इसके अतिरिक्त समुचित विशेषज्ञता का पूरी तरह से अभाव रहा। इन सब आलोचनाओं और पर्यावरण की कोटि की संरक्षा, संरक्षण और उसमें सुधार के लिए माँग की गई, इसको आधार बनाकर भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को पारित किया।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के द्वारा योजना बनाने तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए दीर्घ अवधि आवश्यकताओं को लागू करने के लिए एक ढाँचे की स्थापना की गई और इसमें पर्यावरण के लिए चुनौतीपूर्ण व खतरे की स्थितियों से तुरन्त और समुचित उपाय करने की एक प्रणाली प्राधिकारियों के सहयोग के लिए कानूनी ढाँचे की अभिकल्पना की गई और वायु, जल और भूमि और आपदापूर्ण पदार्थों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों का निर्माण करते हुए प्राधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की। इस अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित कोटि व स्तरों तथा औद्योगिक प्रदूषण के साथ जल, वायु और ध्वनि के लिए सीमाएँ निर्धारित करते हुए उन पर पाबन्दी के साथ केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को मार्गदर्शन के लिए कानूनों को और अधिक उन्नत करते हुए उनके सख्ती से प्रयोग के लिए निश्चित व्यवस्था के प्रावधानों का निर्माण किया।

वानिकी और वन्य जीव–जन्तुओं के सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में कुछ कानूनों को पारित किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय वन अधिनियम, 1927 पारित किया गया था जिसके बाद में इस अधिनियम की पुष्टि करते हुए इसमें संशोधन किया गया और इसको नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। भारत के वनों की जब त्वरित रूप से वन कटाई होने लगी तो इस खतरे की चेतावनी के उत्तर में केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को पारित किया जिसमें यह शर्त लगाई गई कि जब राज्य सरकार संरक्षित वन को असंरक्षित वन क्षेत्र बनाना चाहे तो फिर वन की भूमि को गैर–वन के लिए प्रयोग करने के लिए वन भूमि को अन्य प्रयोग के लिए वन कटाई के लिए वन को साफ करना चाहे या वन कटाई करना चाहे यह सब कार्रवाई करने से पहले राज्य को केन्द्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य शर्त होगी। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रावधान है कि राज्य वन जीव सलाहाकार बोर्डों की स्थापना करें, जंगल षिकार करने वाले वन्य जीवों और पक्षियों पर किसी भी प्रकार कार्रवाई करने के लिए वन सम्बन्धी विनियमों को प्रख्यायित करें तथा चिड़िया घर या वन्य जीवन अभयषाला का निर्माण करें, इसके साथ ही अभय वन अथवा पशु विहार और राष्ट्रीय पार्कों की अधिक से अधिक स्थापना करें। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि कीटनाषी अधि ानियम, 1968 पारित किया गया जिसमें सभी कीटनाषी तथा कीटनाशक के सभी पक्षों को विनियमित किया जाये और उनके प्रयोग के सम्बन्धी सभी पहलुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाए। इसके साथ ही जैव विविधता (विभिन्नता) अधिनियम, 2002 को पारित किया गया है, इसका उद्देश्य संरक्षण, सतत् प्रयोग करना और जैव संसाधनों तथा इससे सम्बन्धि ात सभी प्रकार की जानकारी व ज्ञान के प्रयोग करने से होने वाली आय अथवा होने वाले लाभों का हिस्सा समान रूप से निष्पक्षता से बाँटा जाए।

इसके साथ ही वैधानिक उपायों के अतिरिक्त नागरिक तथा आपराधिक कानूनों तथा जन हित मुकदमों से सम्बन्धित विनियमों की प्रणालियों, न्यायिक निर्णयों को सुनाना, उनकी घोषणा करना, ये सब इस सम्बन्ध में इन विनियमों को और अधिक शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देते हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दण्ड संहिता दोनों ही सार्वजनिक षोरषराबा तथा वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की रोकथाम और उस पर नियंत्रण करने जैसे प्रभावी और त्वरित उपायों को उपलब्ध कराते हैं।

इसके साथ ही लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 द्वारा खतरनाक पदार्थों का काम करते समय प्रयोग करने से होने वाली दुर्घटना के कारण पीड़ित को तुरन्त राहत देने के लिए प्रावधान उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य वैधानिक व कानूनी उपायों का निर्माण भी किया गया है जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और मोटरयान अधिनियम 1939 आदि कारखानों में पर्यावरण की सुरक्षा को उन्नत करते हैं तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम तथा निर्धारित उपायों के तहत पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate change (MoEF&CC) ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विनियम, 2018 को निर्मित किया है और यह नगरपालिकाओं और ग़ैर–नगरपालिकाओं में लागू होता है। इन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट के स्रोत स्थल पर पष्थ्क्करण करना आदेशात्मक है। इसी प्रकार से मन्त्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन विनियम, 2016 और निर्माण एवं तोड–फोड़ अपशिष्ट प्रबन्धन नियम अपशिष्ट के निपटान के कार्यों को नियमित किया है।

संरक्षण और नमी भूमि का सदोपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय ने नमी भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम (Wetlands (Conservations and Management) Rules), 2010 को अधिसूचित किया है। इस नियम के अंतर्गत नमी भूमि का संरक्षण और नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय नमी भूमि विनियामक प्राधिकरण (Central Wetland Regulatory Authority) की स्थापना की है।

14.4.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की भूमिका और उद्देश्य

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate change (MoEF&CC) पर्यावरण के संरक्षण में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का आंकलन करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति करती हैं जोकि अन्य एजेंसियों से अनुमति प्राप्त करती है उनमें अनुमोदित करवाती है जैसे कि केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और लोक निवेश बोर्ड इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। निवेश की सीमाएँ या क्षेत्र जो विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के लिए आवश्यकता के आधार पर पर्यावरण की निर्बाधितता की वैधता को प्राप्त करते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत के पर्यावरण के अवलोकन और उसके कार्यों को लागू करने के लिए यह एक नोडल एजेंसी है तथा यह झीलों और नदियों, इसकी जैव विविधताओं सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित वन सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों और वन्य जीवों, पशुओं के कल्याण करने को सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण करने के लिए उकसाने के कार्यों पर रोक लगाती है, पाबन्दी करती है और इन सम्बन्धित कानूनों को लागू करती हैं। जब इन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है मन्त्रालय सतत् विकास के सिद्धान्तों के द्वारा मार्गदर्शित होता है अथवा यह कह सकते हैं कि इन सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन करता है। मन्त्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme - UNEP) तथा पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय निकायों की भी नोडल एजेंसी है।

राज्य के पर्यावरण विभागों के अतिरिक्त और केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, अनेक अन्य केन्द्रीय संस्थान पर्यावरण की नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में जैसे कि ठोस अपशिष्ट, प्रबन्धन, जल परिषोधन, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व साफ सफाई के संरक्षण के कार्यों में राज्य सरकारें तथा शहरी एवं ग्रामीण

स्थानीय निकायों के पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करना और उनका पालन करना यह सब आज्ञापक या आदेशात्मक हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है।

14.5 पर्यावरण की आर्थिक संवृद्धि और शहरीकरण की चुनौतियाँ

एक ओर आर्थिक संवृद्धि और शहरीकरण के बीच सम्बन्ध तथा दूसरी ओर पर्यावरण की कोटि को बनाए रखना अत्यंत जटिल समस्या है। आर्थिक गतिविधियों और संवृद्धि के मध्य या बीच में प्राकृतिक पर्यावरण स्थित है जो संसाधनों और कच्चे माल की आपूर्ति करता है (जैसे कि जल, लकड़ी, खनिज, इत्यादि) जोकि वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, और इन उत्पादों के निर्माण में औद्योगिक मल निर्गम और प्रदूषित अन्य पदार्थों का निर्माण होता है जिनका निपटान अथवा उनको सोखना आवश्यक होता है। हालाँकि, वर्तमान नीतियों और गतिविधियों का उद्देश्य मात्र आर्थिक संवृद्धि और शहरीकरण बन गया है जिसके परिणामस्वरूप मानव इतिहास में पर्यावरण के व्यापक स्तर को नष्ट करके और विकास की अपूर्व गति ने सर्वनाश कर दिया है। पर्यावरण के विनाश से मानव और अन्य जीव–जन्तुओं और प्राणियों के लिए उनके स्वास्थ्य और उनको जीवित रहने के लिए एक संकटपूर्ण चुनौती खड़ी हो गई है। भारत में वन कटाई के कारण वनस्पतियों और प्राणियों सहित जीव–जन्तुओं का जीवन संकटपूर्ण बन चुका है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिसम्बर 2018 में वायु की कोटि इतनी गिर गई थी जोकि जीवन के लिए असहनीय हुई और पूरे देश में फॉग की एक मोटी परत जम गई थी जिसके कारण लोगों का ष्वास लेना कठिन हो गया था जिसके कारण लोग 3–4 दिन के लिए अपनी सभी गतिविधियों को छोड़कर लोग अपने–अपने घरों में दुबके बैठे रहे थे, दिल्ली के लोगों का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया था।

सरकार की दीर्घ अवधि पर्यावरण नीति के ढाँचे के लिए गतिविधियों के सभी समोच्चों की पहचान करनी चाहिए। इसका निर्णय करते समय तीन प्रमुख घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः (क) आर्थिक गतिविधियों का आज्ञात्मक माना जाए; (ख) पर्यावरण को संकटपूर्ण चुनौती और (ग) निम्न कार्बन तथा संसाधन के लिए सक्षम प्रौद्योगिकी प्रयोग करना। इस के साथ लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि दोनों के बीच प्रथम और द्वितीय घटक को ट्रेड ऑफ रखना चाहिए। पर्यावरण की प्राकृतिक सम्पत्ति की स्थिति दीर्घ अवधि के लिए सतत् संवृद्धि में मुख्य कारक है। नई प्रौद्योगिकियों की खोज या अनुसंधान आर्थिक उत्पादकता संवृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन दोनों के लिए सहायतापूर्ण व लाभदायक सिद्ध होगी। पर्यावरण की नीतियों पर निर्णय लेते समय सार्वजनिक और निजी हितों की व्यापक सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकल्पात्मक नीतियों की लागत और तकनीकी समाधानों, पर्यावरण की समस्याओं के आर–पार या विपरीत प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और नीतियों को लागू करने में या विनियमों को लागू करने में सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका एवं उनकी क्षमताओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए (ब्राटोन, 1994)।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पर टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

2) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में पारित की गई संविधियों की संख्या लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

14.6 निष्कर्ष

सम्पूर्ण विश्व में यह एक भयानक चुनौती बन गई है कि मानव गतिविधियों के कारण हुए नुकसान या हानि को किस तरह से कम किया जाए जिससे कि पारिस्थिति तन्त्र मानव और ग़ैर–मानव के जीवन में गिरावट ले आये। इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण के मुद्दे अैर अधिक क्षेत्रों में व्याप्त हो गए हैं अब से पहले के किसी भी समय से अधिक प्रकटपूर्ण और गहरे हो गए हैं। पर्यावरण की कोटि में सुधार करने के विचार को ध्यान में रखते हुए जिसमें कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ निर्भर करेगी, इसलिए संपूर्ण विश्व के सभी देशों द्वारा कानूनी और विनियमायक ढाँचे की रचना की है। भारत में इस ढाँचे की प्रभावकारिता और समुचित उपयोगिता की व्यापक आलोचना की गई है। यह विचार इंगित किए गए हैं कि भारत में पर्यावरण सम्बन्धी नीति का निर्माण किया है उसमें गंभीर संकल्पनात्मक समस्याएँ हैं जिनके नाम हैंः सम्पूर्ण उद्देश्यों की सुसंगति या प्रासंगिकता की कमी का होना, प्राथमिकताओं की पहचान में भारी कमियाँ और पद्धतियाँ तथा नीतिगत उपायों की अनोपयोगिता ही सिद्ध हुई हैं। इसके अतिरिक्त पष्चिमी देशों की तुलना में परिवर्तन में पर्यावरण संरक्षण का कार्यान्वयन बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आलोचक भारतीय नीति निर्माताओं की प्रवषत्तियों पर निषाना साधते हुए कहते हैं कि इनको अपनी आँखे खोल लेनी चाहिए और आपदाओं की घटना घटने के पश्चात इनको सबक लेते हुए समझदारी से काम लेना चाहिए।

इसके साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों उद्योग विस्तार, शहरीकरण, परिवहन का विस्तार करते समय पर्यावरण और विकास के बीच सावधानीपूर्ण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी दिए गए उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक व्यक्ति को कार्य आरंभ करने और उसको लागू करने से पूर्व विश्लेषण के लिए सूचना एवं उसके ढाँचे के सम्बन्ध में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यह पर्यावरण के सम्बन्ध में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यह पर्यावरण के सम्बन्ध में सबसे अधिक लागू होता है बल्कि अन्य क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, कि हमें जल, वायु और भूमि की गुणवत्ता, उसकी कोटि को संरक्षित रखना और उसमें सुधार करना है। इसके साथ ही, इसी समय यह आवश्यक है कि सरकार की निगरानी करना, उसका डिजाइन तथा ठीक समय पर ध्यान देना और ठीक समय पर अन्तःक्षेप करने की क्षमताओं में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों का उद्देश्य प्रयोग की गई या प्राकृतिक संसाधनों को खो चुकने के पश्चात उनका पुनः सृजन करने तथा अपने षत्रु का नवीनीकरण करने के पश्चात् उस पर भरोसा करना भी आवश्यक है। नीति का अंतःक्षेप वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के जीवन की निश्चित गुणवत्ता या कोटि का संरक्षण तथा उसमें सुधार करने की

सुविधा भी होनी चाहिए।

14.7 शब्दावली

जैव विविधता (Biodiversity): इसका सामान्यतः अर्थ विश्व में या विशेष प्राकृतिक वास में पौधों और पशुओं में जीवन विविधताएँ होता है।

सतत् विकास (Sustainable Development): यह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का धोहन या उनका दुरुपयोग, प्रौद्योगिकीय विकास का नवीनीकरण तथा संस्थागत परिवर्तन भविष्य इसी तरह से वर्तमान आवश्यकताओं के साथ एकीकृत हो जाता है।

प्रदूषण (Pollution): एक पदार्थ का पर्यावरण में उपस्थित या उसमें प्रविष्ट होना जिसका प्रभाव हानिकारक होता है, उसे प्रदूषण कहते हैं।

सौर ऊर्जा (Solar Energy): यह विकीर्ण ऊर्जा है जो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होती है।

14.8 संदर्भ लेख

Bartone, C., J. Bernstein and J. Leitmann. (1994). *Toward Environmental Strategies for Cities.* Washington D.C., USA: The World Bank.

Basu, D.D. (2015). *Introduction to the Constitution of India.* Gurgaon, India: Lexis Nexis.

Birkland, T. (2011). *An Introduction to the Policy Process*. New Delhi, India: PH1 Learning.

GOI. (2017). *Annual Report 2017-18*. New Delhi, India: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

GOI. (2006). *National Environment Policy, 2006.* New Delhi, India: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

GOI. (2018). *India 2018: A Reference Annual*. New Delhi, India: Publications Division, New Delhi.

Kapur, R. E. (2018). *Environmental Protection in India: A Regulatory Framework*. Retrieved from: http:ll iced.cag.gov.inlwp

Reich, M.R. (1992). Environmental Policy in India. *Policy Studies Journal*. 20 (4).

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- पर्यावरण के घटक
- पर्यावरण का अर्थ, आसपास का वातावरण या स्थितियाँ जिनमें एक व्यक्ति या पशु या पौधे जीवित रहते हैं अथवा परिचालन करते हैं।

- पर्यावरण पर उनके प्रभावों के सम्बन्ध के साथ मानव और अन्य जाति के प्राणियों के बीच अन्तर

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- गरीबी और जनसंख्या का विस्फोट
- भूमि, मरूस्थलीकरण तथा वनकटाई करने पर दबाव
- संस्थागत और नीतियों का असफल होना
- वैष्विक पर्यावरण मुद्दे

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- कीटनाषी अधिनियम, 1968
- जैव विविधता (विभिन्नता) अधिनियम, 2002

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा अध्ययन करने, योजना बनाने तथा पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घ अवधि की आवश्यकताओं को लागू करना;
- यह निश्चित स्तर तथा औद्योगिक प्रदूषण के लिए सीमाओं को स्थापित करना या निश्चित करना इसी तरह से जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के मार्गदर्शन के लिए कानूनों को उन्नत करना;
- यह एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पर वायु, जल तथा भूमि और खतरनाक पदार्थों से सम्बन्धित विभिन्न संविधियों के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के संयोजन के लिए संविधियों का ढाँचा उपलब्ध कराना।